SHRI B. SHANKARANAND: It is my hope that the enactment of this Bill will be emulated by the States where such legislation is yet to be enacted.

With these words, I commend the Bill for the consideration and passing by this House.

15.29 hrs.

[Mr. Speaker in the Chair]

MR. SPEAKER: Now, the Motion moved:

"That the Bill to provide for the use of eyes of deceased persons for the therapeutic purposes and for matters connected therewith, be taken into consideration."

15.30 hrs.

DISCUSSION *RE.* ATROCITIES BEING COMMITTED ON SCHEDULED CASTES IN TAMILNADU, MAHARASHTRA, UTTAR PRADESH, BIHAR AND OTHER PARTS OF THE COUNTRY.

MR. SPEAKER: Now we take up discussion under rule 193—atrocities being committed on the Scheduled Castes in Tamil Nadu, Maharashtra, U.P., Bihar and other parts of the country.

श्री एम. रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद): राम विलास जी, आप के वास्ते स्पीकर साहब स्वयं आए हैं ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : प्रधान मंत्री को भी आना चाहिए था । स्पीकर तो आते ही हैं । प्रधान मंत्री जब तक नहीं आएंगी तब तक समस्या का निदान नहीं हो सकता ।

श्री एम. रामगोपाल रेड्डी: आप का भाषण वह सुन रही है ।

श्री राम विलास पासवान: हमारा भाषण क्या सुनेंगी ?

THE MINISTER OF DEFENCE AND HOME AFFAIRS SHRI R. VENKATARAMAN): I will take care.

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, मैं आप से एक आग्रह करता हूं, इस को अदरवाइज न लिया जाये, लेकिन हम यह देख रहे हैं कि यहां पर डिस्कशन होता है, उस डिस्कशन का कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकलता नहीं है, उस का एक सब से बड़ा कारण यह है कि जब भी इस तरह का डिस्कशन हुआ है प्राइम मिनिस्टर कभी यहां नहीं आई हैं । जब यह एक नेशनल डिजीज हो गया है और उस पर हम लोग विचार करते हैं तो कम से कम प्रधान मंत्री को यहां पर होना चाहिये ।

एक माननीय सदस्य: आप के दल के नेता हैं ?

श्री राम विलास पासवान: हमारे दल के नेता प्रधान मंत्री होंगे तो आप से पहले बैठेंगे । . . . (व्यवधान) . . .

अध्यक्ष महोदय, आज पुनः हम लोग एक ऐसे मसले पर विचार करने के लिए यहां बैठे हैं जिस मसले के सम्बन्ध में जितनी निन्दा की जाए, जितना कुछ कहा जाए कम है । मैं अभी दण्डवते साहब से आज बात कर रहा था, मैंने कहा कि अब नया इस पर क्या कहा जाए ? इतनी बार चर्चा हो चुकी है, इतनी बार सदन में इस पर डिस्कशन हो चुका है, उस के बाद भी मर्ज घटने के बजाय और बढ़ता जा रहा है । उस का क्या उपाय है ? एक ही चीज हमारे जैसे लोगों के दिमाग में आती है कि सरकार की नियत साफ नहीं है, हम इस सवाल को बार बार उठाने की कोशिश करते हैं, समूचे देश के नक्शे को देखें तो मामला बढ़ता जा रहा है । बिहार में रोज घटनाएं घटती हैं, उत्तर प्रदेश में रोज घटती हैं, मध्य प्रदेश में घट रही हैं, तामिलनाडु में घट रही हैं, महाराष्ट्र में घट रही हैं, कोई भी जगह बाकी नहीं रही है कि जहां यह बिमारी फैल न रही हो । आजादी के 35 वर्ष के बाद जब हम यह कह रहे हैं कि हम बढ़ते जा रहे हैं और उस दिशा में बढ़ते जा रहे हैं जो सभ्यता के

विकास की दिशा है, तो उस के साथ साथ हमारे माथे पर यह कलंक जुड़ता जा रहा है और सब से दुखद स्थिति यह है कि कल तक तो यह होता था कि ऐसी घटनाओं के होने के बाद हत्यारों के दिमाग में सजा का डर भी रहता था, लेकिन आज उस के दिमाग में सजा की बात बिलकुल खत्म हो गई है। कोई ऐसी घटना आप नहीं बता सकते जिस में शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के ऊपर ऐसी घटना घटी हो, उस की हत्या हुई हो और उस में किसी को पनिशमेंट मिला हो । कफल्टा के संबंध में पिछली बार मैंने कहा कि जज ने अपने जजमेंट में कहा है कि यह देश के ऊपर कलंक है कि दिन दहाड़े हत्या होती है, कत्ल किए जाते हैं, 18 शेड्यूल्ड कास्ट के आदमी मार दिए जाते हैं चूंकि वह बारात ले कर जा रहे थे और एक आदमी को एक घंटे के लिए भी सजा नहीं हो पा रही है महज इसलिए कि कोई एवेडेंस नहीं है । देहुली की घटना घटी साधोपुर की घटना घटी, मैनपुरी की घटना घटी, और इस इश्यू को ले कर रिजाइन किया । मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को धन्यवाद देता हूं और यह कहना चाहता हूं कि यहां के प्रधान मंत्री और गृह मंत्री, अब तो वह गृह मंत्री प्रोमोशन पा कर जाने वाले हैं, बिहार के मुख्य मंत्री वगैरह को भी थोड़ा बहुत इस का अनुकरण करना चाहिये, इस से लैसन लेना चाहिए । आप को यह सुन कर आश्चर्य होगा कि गैनी में घटना घटी तो बिहार के मुख्य मंत्री ने, बजाए उस पर थोड़ी बहुत सान्त्वना देने के यह कहा कि शायद शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों ने भड़काने का काम किया और यह विभिन्न अखबारों के एडिटोरियल में आया है, उस में उन्होंने कहा है कि:

"The Bihar Chief Minister, Mr. Jagannath Mishra, holds the Harijans and anti-social elements responsible for last Monday's murder of six Harijans by landlords in Gaini village in Patna District. The Harijans were only demanding the legally prescribed minimum wages and had reportedly gone back on a settlement."

आपने बीससूत्री कार्यक्रम बनाया जिसमें एक सूत्र मिनिमम वेजेज दिलाने के संबंध में है । लेकिन वहां पर जब लोग मिनिमम वेज की मांग करते हैं तो उनको गोली से उड़ा दिया जाता है । उसके बाद जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वह भी लैण्डलार्डस का ही साथ देता है । यहां पर हमारे गया के साथियों को मालूम होगा, औरंगाबाद जिला पुराने गया जिले का ही भाग था । इसी गया जिले में इसके पहले घटना घटी थी । 6 फरवरी, 1980 को पारसबीघा में घटना घटी जहां पर दर्जनों लोगों को गोली से उड़ा दिया गया था । इसी सदन में 26 अप्रैल, 1982 को डिस्कशन हुआ था । बेला में चार हरिजन को मार दिया गया था । जस्टिस भोले यहां पर बैठे हैं, हम लोग मैनपुरी डिस्ट्रक्ट में गए तो वहां क एस.पी. कमेटी के सामने नहीं आए । हमने कह दिया था कि इस प्रकार से घटनायें घटेंगी नहीं बल्कि बढ़ेंगी। जिस जिले का डी.एम. और एस.पी. इतनी भी जिम्मेदारी महसूस न करें कि पार्लमेंट की एक कमेटी आई हुई है उसके सामने जाकर हम कुछ बतलावें तो फिर उस जिले की हालत और क्या हो सकती है ? उसके बाद देहुली में घटना घटी, साढ़ूपुर में घटी और फिर रामपुरा में घटना घटी । इस तरह से एक ही डिस्ट्रिक्ट में तीन घटनाएं घटी ।

इसी प्रकार से महाराष्ट्र की बात है । चार लोगों के नाम पर यूनिवर्सिटी खोलने की बात थी -- शिवाजी यूनिवर्सिटी, फुले यूनिवर्सिटी, तिलक यूनिवर्सिटी और डा. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। डाक्टर अम्बेडकर के नाम पर यूनिवर्सिटी खुलती है । उस वक्त शरत पवार की मिनिस्ट्री थी और उस समय इसके लिए प्रस्ताव पास कर के दिया गया लेकिन फिर जो होता है वह किस के दिमाग की उपज है

इसी तरह से देश के अन्य भागों में कुछ सटेंन एरियाज हैं जहां पर ऐसी घटनाएं घटती हैं । मैं तमिलनाडु गया था । वहां पर द्रविड़ कजगम की बहुत बड़ी मीटिंग

[श्री राम विलास पासवान]

हुई थी । मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पेरियार को जिन्होंने वहां पर ब्राह्मणवाद व्यवस्था पर कुठाराघात किया था । वहां पर भी सटेंन डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, जैसे रामनाथपुरम है, तिरूनलवेली है और मीनाक्षीपुरम है । कुछ सटेंन स्पाट्स हैं जहां पर धर्म परिवर्तन होते हैं और ऐसी घटनाएं घटती हैं लेकिन फिर भी यह सरकार उस पर काबू नहीं पा रही है । जब कोई चीफ मिनिस्टर ही एक घटना के बारे में उल्टा बयान देगा तब क्या ऐसी घटनायें घटेंगी ? नहीं, वह तो और भी बढ़ती जायेंगी ।

हमको यह शिक्षा दी गई थी कि अगर कोई कमजोर आदमी कभी किसी बलवान को थप्पड़ भी मार दे तो भी बलवान को ही दण्डित करना चाहिए क्योंकि शोषण के कारण उसमें बौखलाहट रहती है । लेकिन बिहार में चीफ मिनिस्टर ही इंस्टीगेट करते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों ने ऐसा किया । नतीजा यह होता है कि पहले 6 हत्या हुई थीं और बाद में 12 हो गई ।

हम लोग यहां पर कांस्टीट्यूशन की कसम खाते हैं लेकिन क्या वीकर सेक्शन के लोगों को उस पर कोई विश्वास रह गया है ? आज सिविल राइट्स क्या हैं और अनटचेबिलिटी क्या है, इसको कौन नहीं जानता । कौन नहीं जानता कि आज भी गांवों में छूआछूत चलती है, कुएं से वीकर सेक्शन के लोगों को पानी नहीं लेने दिया जाता है । महाराष्ट्र में अन्तुले साहब ने कह दिया था कि अगर डा0 अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के नाम पर रिजेन्टमेन्ट है तो 70-75 लाख रुपया मैं देता हूं, आप नयी यूनिवर्सिटी खोल लें । यह तो वही बात है कि अगर एक कुंए से पानी नहीं लेने दिया जाता तो कह दिया जाए कि पैसा लेकर दूसरा नया कुआं खोद लो । नई यूनिवर्सिटी खोलो – क्यों ? आप भी यह बात जानते हैं कि आज भी गांवों में लोगों को पानी नहीं मिलता है । मैं कमेटी के साथ मीनाक्षीपुरम गया था । एक शैड्यूल्ड कास्ट का लड़का, जो बम्बई में रहता था और बम्बरी से आया था, वह वहां चाय पीने के लिए चाय की दुकान पर गया । वहां उसको चाय तो मिल गई, चाय पीने के बाद उससे पूछा गया कि तुम किस जाति के हो, जब उसने जाति का नाम बताया तो उसको थप्पड़ मार दिया गया । हमें उस कमेटी में यह भी बताया गया कि उन्हें चाय ठण्डी करके ऊपर से मुंह में डालनी पड़ती है । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उसने अछूत निवारण कानून बनाया है, सिविल राइट्स कानून बनाया है, उसके तहत कितने लोगों को सजा हुई है । एक महीने की जेल या 500 या 1000 रुपया जुर्माना । लोग आकर थप्पड़ मारता है, गोली मार देता है, जितना ह्यूमिलिएट कर सकता है, वह करता है और फिर जाकर 500 रु. दे दिया । आज तक अछूत निवारण कानून के तहत मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को सजा हुई है? मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस को आप यदि इन्फोर्स करना चाहते हैं, कानून को इन्फोर्स करना चाहते हैं, तो इस दिशा में आप को सख्ती से कदम उठाना पड़ेगा । आर्टिकल-17 में कहा गया है:

> "Untouchability" is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of "untouchability" shall be an offence punishable in accordance with law.'

मेरे विचार में आज तक एक आदमी को भी सजा नहीं हो पाई है । जब इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जाएगा और एक रूटिन सा बन जाएगा तथा लोगों ने एक मन बना लिया है कि हमें इन लोगों से निपटना है, तो काम नहीं हो सकता है ।

बिहार में पटना डिस्ट्रिक्ट है, वह राजधानी का हैडक्वार्टर है । वहां पुलिस जाती है, जिस को मन में आएगा, पकड़कर गोली मार दी जाती है, नक्सलाइट

के नाम पर । यह एक साधारण बात हो गई है कि यदि बिहार में किसी को मारना हो, तो कह दो कि यह नक्सलाईट है । उत्तर प्रदेश में किसी को मारना है तो कह दो डाकू है । एक ही डाकू जेल में बन्द रहता है, वही डाकू के लिए कहा जाता है कि गोली से मार दिया गया और कुछ ही दिन के बाद उस डाकू के सम्बन्ध में कहा जाता है कि पुलिस उसके पीछे लगी हुई है । यह बात समझ में नहीं आती है कि मरने वाला कौन था, जेल में कौन बन्द था । इसका मतलब यह है कि वह निर्दोष व्यक्ति है । इस तरह की घटनायें घटती जा रही हैं ।

मैं मानता हूं कि जो नीचे की चट्टान है, वह ऊपर आने की कोशिश कर रही है । आज वह समाज का सबसे दबा-कुचला व्यक्ति है, वह अपने अधिकारों को महसूस करने लगा है कि इस देश में भी उसका अधिकार है । इसका नतीजा यह हो रहा है कि जो एक शोषण की मनोवृत्ति जकड़ी हुई है, उसके दिमाग में ढीलापन नहीं आया है । और वह ढीलापन आएगा भी नहीं, जब तक कि हमारी मनोवृत्ति में कहीं न कहीं सुधार नहीं होगा । जब तक हम फिर से उस पर अंकुश लगाने की बात नहीं करेंगे ।

मैं आपको एक-दो उदाहरण देना चाहता हूं । पिछली दफा गुजरात के बारे में यहां पर डिस्कशन हुआ था । उस वक्त गुजरात के बारे में एक पार्लियामेंट में शब्द आया था--मैरिट शुड-नांट-बी-इग्नोर्ड। हमने उस समय भी कहा था कि मैरिट की बात हमेशा आप मत उठाइए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैरिट का क्या अर्थ होता है । आप बिहार में चले जाइए, बिहार में एक मिथला विश्व-विद्यालय है । उस विश्वविद्यालय में दूसरा कोई एडमिशन नहीं पा सकता है । पंडित पाएगा और पंडित में भी मिथिला पंडित जो होगा । पता नहीं पांडे जी मिथला में आते हैं या नहीं आते हैं । मेरे ख्याल में नहीं आते हैं । बिहार में संस्कृत स्कूल खोला गया है । वहां एक वक्त में 20000 शिक्षकों की बहाली होगी । क्या उसमें कोई एक आदमी शेड्यूल्ड कास्ट का हो सकता है, बैकवर्ड का हो सकता है, अंदर देने ब्राह्मण, वह भी मैथिल ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र का होगा, लगुवे-भगुवे । तो रिजर्वेशन किसके लिए है, क्या मेरे लिए है ।

अध्यक्ष महोदय : लगुवे-भगुवे ।

श्री राम विलास पासवान : मतलब अगल-बगल वाले ।

यहां हमने अभी देखा कि जगदगुरू शंकराचार्य जी यहां आए थे, तो सब के सब मंत्री उसमें मौजूद थे ।

एक माननीय सदस्य: आप अध्यक्ष जी का नाम नहीं ले रहे हैं ।

श्री रामविलास पासवान: वह तो उन की स्वागतार्थ वहां गये थे । आप मुझ को एक बात बतलाइये - क्या किसी शंकराचार्य की पोस्ट पर कोई शेड्यूल्ड कास्ट का आदमी बैठ सकता है ? शंकराचार्य की पोस्ट को एक जाति-विशेष के लिए बना दिया गया है । मैंने कई बार कहा है कि आप एक रिलीजस इंस्टीचूशन खोल दीजिये जहां धर्म की व्याख्या हो । कोई भी आदमी उस में हिन्दू धर्म को सीख सकता हो, कुरानशरीफ और बाइबिल सीख सकता हो, दूसरे धर्मों को सीख सकता हो, उस के बाद जब वहां से निकले तो उस धर्म के मन्दिर में पुजारी बन जाये, शंकराचार्य की गद्दी पर बैठ सके । लेकिन ऐसा होता नहीं है । कोई व्यक्ति एक अक्षर वेद का नहीं जानता, लेकिन मन्दिर में जा कर, हरे राम, हरे कृष्ण कह कर मन्दिर का पुजारी बन सकता है, जमीन को हड़प लेता है, हमारी ही जमीन है उस पर कब्जा कर के हमारे ही लिए मन्दिर का दरवाजा बन्द कर देता है ।

What is religion?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) ऐसा व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता ।

श्री रामविलास पासवान: ऐसा व्यक्ति शंकराचार्य हो सकता है ।

एक माननीय सदस्य : शंकराचार्य ने शूद्र को कुत्ता कहा था ।

श्री राम विलास पासवान: ठीक है, कुत्ता कहा था । ब्राह्मण गाय और शूद्र कुत्ता ।

एक माननीय सदस्य: ऐसा आदमी गया का महन्त बन सकता है ।

श्री राम विलास पासवान: बिल्कुल बन सकता है और यह झगड़ा वहां चल रहा है। संघर्ष वाहिनी के लोग लड़ रहे हैं ।

SHRI RAM SINGH YADAV (Alwar): This should be expunged from the record.

श्री राम विलास पासवान : क्या एक्सपंज किया जाए । यह तो शंकराचार्य ने कहा है।

हमारे यहां बिहार में बौध गया है, वहां के महन्त के पास 15 हजार बीघे जमीन एक्स्ट्रा है । सरकार को सब मालूम है कि उस लैंडेड प्रापर्टी का विवाद चल रहा है, लेकिन कुछ नहीं किया जाता है । एक कुरसैला महाराज हैं, जो बिहार में मिनिस्टर भी रह चुके हैं उन के पास 20 हजार बीघा जमीन फालतू है, लेकिन क्या होता है ? धर्म की आड़ में सब कुछ चलता है । दूसरी जाति का आदमी शंकराचार्य क्यों नहीं हो सकता ? अगर जाति-विशेष का आदमी ही शंकराचार्य बन सकता है तो निश्चित रूप से जो पिछड़ी जाति का है, शेडयूल्ड कास्ट है, उस के दिमाग को धक्के पहुंचता है ।

इस देश में गाय को माता कहा जाता है लेकिन जब वह मर जाती है तो अपने कन्धों पर उठा कर उस माता को क्यों नहीं फेंकते ? वहां हमारी जरूरत पड़ती है । उस का दूध तुम पियो, उस को फेंकने का काम हम करें । कहा जाता है कि इसमें मानिटरी-इन्कम का प्रश्न है । मानिटरी इन्कम तो और भी बहुत सी चीजों से होती है, कोठे पर बैठने से भी होती है । आज हम लोगों को एक आदमी का दर्जा नहीं दिया जाता है, जानवरों से भी बदतर समझा जाता है । आज स्वीपर से लोग घृणा करते हैं क्योंकि वह पाखाना साफ करता है । मेहतर का काम पाखाना साफ करने का क्यों बनाया गया है ?

अगर पाखाना साफ करना ही इस का उद्देश्य है तो प्रत्येक मां अपने बच्चे का पाखाना साफ करती है, उस से भी घृणा करें । इस लिये इस देश में जब तक आउटलुक नहीं बदलेगा, काम नहीं चलेगा इस की जड़ में मूल चीज है जाति-व्यवस्था । एक मां के यहां लड़का पैदा होता है तो वह सोचती है कि एक दिन मेरा बेटा जज बनेगा, लेकिन एक स्वीपर के घर में लड़का होता है, तो उसकी मां सोचती है कि मेरा बेटा एक दिन झाड़ू ले कर सफाई करेगा । यहां जन्म के साथ अमल जुड़ा हुआ है । इस लिये जब तक इस जाति व्यवस्था को चोट नहीं की जायेगी, तब तक इस देश का कल्याण नहीं होगा ।

15.47 hrs.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE *in the Chair.*

हम देख रहे हैं कि जाति-व्यवस्था बजाय टूटने के बढ़ती जा रही है । जब आरक्षण का सवाल आता है तो आप को एक उदाहरण बतलाता हूं -- कल हमारे पास एक लड़का आया और बोला कि हम को केन्द्रीय विद्यालय में एडमीशन चाहिये । हम ने कहा -- ले लो । उस ने बताया कि मेरे टोटल मार्क्स में केवल 5 मार्क्स जोड़े जाते हैं । मान लीजिये -- कुल 1000 मार्क्स हैं, उन में मेरे 500 मार्क्स हैं, तो कुछ 5 मार्क्स उस में जोड़ कर 505 हो जायेंगे ।

यानी 0.62 परसेंट। इसके लिये हम ने पत्र भी लिखा है कि यह क्या रिजर्वेशन हमारे लिये रखा हुआ है। आप इस तरह के रिजर्वेशन को खत्म कर दीजिये क्योंकि लोग यह सोचते हैं कि पता नहीं शेडयूल्ड कास्टस के लड़कों को कितनी अधिक सुविधा मिल रही है। टोटल मार्क्स अगर 500 हैं, तो उस में 5 मार्क ही जुड़ते हैं और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं। पिछली बार हम ने एक प्रश्न किया था पटना हाई कोर्ट के के बारे में कि वहां पर चतुर्थ श्रेणी में शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के कितने लोग हैं। पार्लियामेंट में यह सवाल किया था और उस के जवाब में हमें यह बतलाया गया था कि वहां पर 265 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में एक भी चपरासी शेडयूल्ड ट्राइब्स या शेडयूल्ड कास्ट्स का नहीं है। तो फिर यह रिजर्वेशन किसके लिये है, मेरे लिये रिजर्वेशन है ? हम लोगों ने आंकड़े निकाल कर दिये थे कि एक जाति विशेष के कितने लोग किस जगह पर हैं। भारत सरकार में केबिनेट के अगर 18 मंत्री हैं, तो उन 18 मंत्रियों में से 9 एक जाति के मंत्री हैं। जहां गवर्नर लेफ्टीनेंट गवर्नरों की कुल संख्या 27 है, तो उनमें से ब्राह्मण 13 हैं, गवर्नर और लेफ्टीनेंट गवर्नरों के सचिवों की जहां कुल संख्या 24 है, वहां उनकी संख्या 13 है, चीफ सेक्रेटरी जहां कुल 26 हैं, वहां वे 14 हैं, भारत के मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी जहां 49 हैं, वहां वे 34 हैं, सचिव, अतिरिक्त सचिव एवं उनके समकक्ष जहां करीब 500 हैं, वहां वे 320 हैं, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की जहां कुल संख्या 98 है, वहां वे 50 हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज और एडीशनल जजों की कुल संख्या जहां 336 हैं, वहां वे 169 हैं, राजदूत और उच्चायुक्त जहां 140 हैं, वहां वे 58 हैं, स्टेडिंग कारपोरेशन आफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के चीफ एक्जीक्यूटिव्ज जहां केन्द्र में 158 हैं, वहां इन की संख्या 91 है। इतनी संख्या एक विशेष जाति के लोगों की इनमें है और 35 साल की आजादी के बाद भी हमारा 15 परसेन्ट, 16 परसेन्ट रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ है और उसके लिये भी आप हमेशा यही कहते रहते हैं कि सूटेबिल केंडीडेट एवेलेबिल नहीं है। हाई कोर्ट में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये भी सूटेबिल नहीं है।

जब श्री वेंकटरामन फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे, तो उस समय मैंने एक प्रश्न किया था कि जितने नेशनलाइज्ड बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उन में शेडयूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने लोग हैं और कितने बैंकों ने रिजर्वेशन के कोटे को पूरा किया है। इस का जो जवाब हमें मिला, उस में यह था कि एक भी ऐसा बैंक नहीं है, जहां पर शेडयूल्ड कास्टस और शेंडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों का कोटा चतुर्थ श्रेणी में भी पूरा हुआ हो। जब चतुर्थ श्रेणी में ही हमारा कोटा पूरा नहीं हुआ है तो फिर दूसरी श्रेणियों की हम क्या बात कह सकते हैं। हमें यह भी बताया गया था कि होम मिनिस्ट्री 1980 में डाइरेक्ट एक सर्कूलर जारी कर रही है, जोकि रिजर्वेशन के बारे में है। वेंकटसुब्बययया भी यहां है और वे तो शुरू से ही इस मिनिस्ट्री में हैं। इसी पार्लियामेंट में 21-3-82 को मैंने एक प्रश्न किया था, जिसमें यह पूछा था कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की टोटल स्ट्रेंथ क्या है और उसमें हमारा कोटा पूरा हुआ है या नहीं। इसका जवाब हमें यह दिया गया कि उस की टोटल स्ट्रेंथ 80,408 है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का कोटा पूरा नहीं है। सीमा सुरक्षा बल की टोटल स्ट्रेंथ 84 598 है। उसमें शेडयूल्ड कास्टस और शुडयेंल्ड ट्राइब्स का कोटा पूरा नहीं है, असम राइफल्स का पूरा नहीं है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का पूरा

[श्री रामविलास पासवान]

नहीं है और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को भी पूरा नहीं है और दूसरी तरफ आप यह कहते रहते हैं कि 50 परसेंट ले लो, 60 पर सेन्ट ले लो। हमारा जो 12 परसेंट, 14 परसेंट कोटा है, वही आप नहीं दे रहे हैं और सिपाहियों की कैटेगिरी में नहीं दे रहे हैं, जिसमें हम जिन्दगी भर काम करते आये हैं, तो फिर इस तरह की बातें क्यों कही जाती हैं। दूसरे लोगों को समझाने के लिये, उन को भड़काने के लिये आप रोजाना अखबारों में कहते हैं, रोज रेडियो पर कहते हैं कि 40 परसेंट रिजर्वेशन दे रहे हैं, 50 परसेंट दे रहे हैं और 60 परसेंट दे रहे हैं और रोजाना हम को गाली देते हैं। आप हमें इस तरह से गाली देते हैं लेकिन कभी आप ने अपने मन में हिसाब लगा कर देखा है कि कितना रिजर्वेशन हम को मिल रहा है। आप यही देख लीजिए कि बिहार में जब श्री कर्पूरी ठाकुर चीफ मिनिस्टर थे, तो उस वक्त कितने हरिजन एस० पी० थे और कितने हरिजन डी० एम० थे और आज आपने कितने शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों को डी० एम० था एस० पी० लगा लखा है। पहले जो वहां पर शेडयूल्ड कास्टज और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोग डी० एम० या एस० पी० थे, उन को भी बाहर कहीं न कहीं भेज दिया है और आप अपने भाषणों में "हरिजनों की जय", "आदिवासियों की जय" और "मूसलमानों की जय" करते हैं और रेडियो पर यह कहते रहते हैं कि लेकिन रेडियो बन्द हो जाने पर इन सारी बातों को भूल जाते हैं। केवल भाषणों में ही ये बातें रहती हैं। अभी 4 दिन पहले की बात है। मैं अखबार खोज रहा था लेकिन मुझे वह मिला नहीं। आज से 4–5 दिन पहले अखबार में यह निकला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंटस को सर्कूलर भेज देती है लेकिन वे उसको मानती नहीं हैं। यह क्या बात है ?

मैंने शुरू में ही कहा था कि आप एक काम कीजिये कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एस० पी० पर आप इस की रेस्पोंसीबिलिटी फिक्स कर दीजिये। बिहार में बेलछी की घटना घटी थी, तो उस समय हमारी वहां पर सरकार थी। उस समय हमने यह किया था कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्स में एक अधिकारी शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का होगा चाहे डी० एम० शेड्यूल्ड कास्ट का हो, चाहे एस पी० हो, चाहे एस० डी० ओ० हो और ए एस पी हो। इनमें से एक तो हरिजन या आदिवासी होगा ही। और चारों में से एक शैड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब का अफसर रहेगा और प्रत्येक जिला स्तर पर रहेगा। यह कार्यवाही को गई थी। उसका नतीजा हुआ था।

श्री राम स्वरूप राम (गया) : आप के समय में बेलछी में घटना घटी थी, उसके लिए आपने किसी को चार्जशीट नहीं किया, वह हम ने किया।

श्री राम विलास पासवान : बेलछी घटना का जो मेन अभियुक्त श्री इन्द्रदेव चौधरी, निर्दलीय एम० एल० ए० था उसकी जेल में मृत्यु हुई थी। क्या आप के पास में कोई भी ऐसा उदाहरण है ? क्या आपने कफल्ता में एक भी आदमी को सजा दी ? देवली काण्ड में आपने क्या ऐसे लोगों का सजा दी ? देवली काण्ड वाला तो प्रधान हो गया। साधुपुर में क्या एक भी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया ? आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आपके चीफ मिनिस्टर तो आपके मूंह पर तमाचा मार कर चले गये। वह यह कह कर चले गए कि मैं अक्षम हो गया हूं। अब आप लाख ढिंढौरा पीटिए, आप लाख कहिए कि सुधार हुआ है। आपके ऐसे लोगों द्वारा आपका सारा पर्दाफाश होता चला जाएगा।

आप लाख कहिए कानून और व्यवस्था में सुधार हो रहा है, हम शेड्युल्ड कास्ट्स के लिए यह बना रहे हैं, यह कर रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने सब बता दिया है । इसी तरह से बिहार के चीफ मिनिस्टर की बात है । मैं उसको छोड़ता हूं क्योंकि अपनालियामेंटरी लेंगेएज हो जाएगा । अगर उनमें भ: जरा सी हया-शर्म होती तो उनकी भी चीफ मिनिस्टरी को छोड़ कर चल देना चाहिए था ।

मैं राम स्वरूप राम जी आप से कह रहा हूं । मैं सभा माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जब तक आपकी नीयत साफ नहीं होगी तब तक आप कुछ करना भी चाहेंगे तो भी नहीं होगा । इसीलिए आज हम जैसे आदमी को दुःख हो रहा है । आज जिस तरीके से मामला बढ़ रहा है वह अच्छा नहीं है । आज शेड्युल्ड कास्ट्स के लोगों में, गरीब वर्ग के लोगों में वे चाहे किसी भी जाति के लोग हों, उनके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन आ गया है । आप उन्हें लाख शिक्षा दीजिए, आपकी वे शिक्षा सुनने को तैयार नहीं हैं । जब पेट में आग लगती है तो उसे कुछ नहीं सूझता है । हम जैसे आदमी के लिए तो यह बात हो सकती है कि देश बहुत बड़ी चीज है, नेशनलिटी बहुत बड़ी चीज है लेकिन जिस आदमी के सामने जीवन-मरण का प्रश्न हो उसके लिए इन सब बातों पर सोचने का वक्त कहां है ?

धर्मपरिवर्तन के सम्बन्ध में बहुत बातें कही जाती हैं । हम मीनाक्षीपुरम् गए थे । वहां के बारे में कहा गया कि पेट्रो-डालर की ताकत काम कर रही है, विदेशी ताकत काम कर रही है । जब उनमें पेट्रो-डालर काम कर सकता है तो आपका डालर क्यों नहीं काम करता है ? जब आपका चीफ इंजीनियर, सुपरिण्टेण्डिंग इंजीनियर धर्मपरिवर्तन करता है तो क्या उसके पीछे एक हजार या पांच सौ रुपये काम करते हैं ? हमने वहां हजारों आदमियों से बात की । इसके पीछे जो सब से बड़ी बात है, बजाए उसको पहचानने के, आदमी को आत्म सम्मान देने के दूसरे कारण ढूंढे जाते हैं । हमने उन लोगों से कहा कि जब तुम मुसलमान हो जाओगे या ईसाई हो जाओगे तो क्या तुम्हारा ह्यूमिलेशन नहीं होगा । उन्होंने कहा कि हमें कम से कम यह तो फख्र है कि हमने उस हिन्दू धर्म को छोड़ा दिया, जिसका मतलब ब्राह्मण होता है, जिसका मतलब राजपूत होता है, जिसका मतलब वैश्य होता है या जिसका मतलब शूद्र होता है । प्रत्येक दूसरे धर्म में व्यक्ति के प्रति समानता का भाव होता है लेकिन हिन्दु-धर्म में समानता का भाव नहीं है, इसमें सभी के लिए अपनापन नहीं है । हिन्दू धर्म में अपनापन नाम की चीज ही नहीं है । इस में व्यक्ति की बुनियादी स्वतन्त्रता नहीं है । विदेश में अगर कोई चमड़े का कारोबार कर रहा है तो वह नीच नहीं है । लेकिन अपने देश में कोई चमड़े का या जूता बनाने का काम करता है तो वह अमुक जाति का है, अगर कोई झाड़ू मारने का काम करता है तो वह अमुक जाति का है । 35 साल को आजादी के बाद कभी कभी हम को ऐसा लगता है कि अगर इस देश में अंग्रेज नहीं आये होते तो सोशल इक्विलिटी और इक्विलिटी विफोर ला जैसे कानून को इस देश में बनाने के लिए हमें चार जेनरेशन लड़ना पड़ता । नहीं तो यहां ऐसे कानून नहीं बनने वाले थे । यहां ब्राह्मण के लिए अलग कानून बनते, राजपूत के लिए अलग कानून होते, वैश्य के लिए अलग कानून बनते और शूद्र के लिए अलग कानून बनते और मनुस्मृति के मुताबिक बनते ।

श्री केयूर भूषण (रायपुर): वर्ण व्यवस्था को तो अंग्रेजों ने बढ़ावा दिया था।

श्री राम विलास पासवान : वर्ण व्यवस्था की जननी मनुस्मृति है। मैं यह कह रहा था कि इक्विलिटी बिफोर ला को बनाने का जो एक कलम से अंग्रेजों ने काम किया, एक कलम से कानून के सामने सब को बराबर घोषित किया, बराबर बना दिया वह हम लोग नहीं कर पाते। आज हम लोग उस कानून का इम्प्लीमेंट तक नहीं कर रहे हों। आज क्या होता है दिन दहाड़े आदमी का खून होता है। बिहार में मेरी कांस्टीच्युन्सी में दिन दहाड़े एक एम० एल० ए० के लड़के ने एक आदमी को मार दिया। मारने के बाद खुलेआम घूम रहा है, उसको पकड़ा तक नहीं गया। किसकी शामत आई है जो उसको पकड़े। (व्यवधान)

16 hrs.

इसीलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। जब तक जाति-व्यवस्था पर चोट नहीं करेंगे, उसको खत्म करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक यह रोग दिन-ब-दिन बढ़ता ही जाएगा।

हम लोग जब लाइसेंस देने की बात बात करते हैं, गरीबों को लाइसेंस देने के लिए कहा जाता है तो कहा जाता है कि इससे उत्पादन बढ़ेगा। अब उत्पाद घट रहा है। एक आदमी जाता है और सब को भून कर चला आता है। लाइसेंस देने के बारे में आप क्यों नहीं गम्भीरता-पूर्वक सोचते ? कम से कम पढ़े-लिखे नौजवानों को लाइसेंस दिया जाए। क्यों नहीं प्रत्येक गांव में एक फोर्स --- "ग्राम सुरक्षा दाल" बनाते, जिसमें सभी जाति के लोग रहें और ग्राम की रक्षा का उनका दायित्व रहे। ऐसे जिलों में डी. एम. और एस. पी. शेडयूल्ड कास्ट के क्यों नहीं रखे जाते। खासकर जिन जिलों में घटनाएं होती हैं। देश में कुल 8-10 जिले हैं। यहां पर एक्सपेरीमेंट करके देखिए। जिस एस. पी. या डी. एम. के क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं होती हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही करनी पड़ेगी। गया के बारे में जहां पर शेड्यूल्स कास्ट के लोगों पर ज्यादती हुई है, राम स्वरूप राम जी यहां पर बैठे हैं, क्या इन्होंने नहीं लिखा था डी. एम. को और चीफ मिनिस्टर को। इसके बावजूद वहां पर सुरक्षा का प्रबंध क्यों नहीं किया गया ? तब चुनचुन झा और जगन्नाथ मिश्र के विरूद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की जा सकती ? इस तरह से जब तक पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा तब तक सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है।

लैण्ड रिफार्म का कानून बिल्कुल खोखला है। इस कानून के जरिये गरीबों को मत मरवाइए। इस बारे में जनप्रतिनिधि बार-बार लिखते हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती। जब गरीब जमीन के लिए जाता है तो उसे गोली का शिकार होना पड़ता है। इसलिए आप लैण्ड रिफार्म एक्ट का कड़ाई से पालन करवाइए।

सभापति महोदय, यह एक तरह की बदबू है, इसको जितना दबाने की कोशिश की जाएगी, जितना लीपा-पोती करने की कोशिश की जाएगी, उतना ही यह फैलेगी।

जब मैं ब्राह्मणवाद के सम्बन्ध में कहता हूं तो मेरे सामने दयानंद सरस्वती का चेहरा आ जाता है, जो ब्राह्मण थे और जिन्हें जहर खाना पड़ा। यहां पर भी मधुलिमये जी और कई माननीय लोग हैं जो इसके खिलाफ लड़े, लेकिन जो भी इसके खिलाफ लड़ेगा उसको चकनाचूर कर दिया जाएगा। सब उसके शिकार हुए हैं। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक क्यों नहीं किया गया था ? कहा गया था कि यह राजा होने लायक नहीं है। मैं जब महाराष्ट्र गया था तो मुझे लोगों ने बताया कि काशी बनारस से गागा भट्ट को वेदमंत्रों का जाप करने के लिए बुलवाया गया था। इसके बाद पंडितों ने कहा कि ये राजा तो बन सकते हैं, लेकिन वेद मंत्र इनके कान

में नहीं जा सकता । इसी तरह मैं गुजरात गया था । सरदार बल्लभ भाई पटेल के प्रधान मंत्री बनने में एक बाधा जाति की भी थी । कामराज के मार्ग में भी जाति व्यवस्था बाधक थी। इसलिए इस जाति व्यवस्था को तोड़ना पड़ेगा, इस ब्राह्मणवाद को तोड़ना पड़ेगा ।

श्री एम. रामगोपाल रेड्डी: सभापति महोदय, जो रेजोल्यूशन है, उसको छोड़कर दूसरी बातें कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : हमारी जो व्यवस्था है वह सिखाती है जानवरों से प्यार करो, चींटी को चीनी खिलाओ, गाय को मां कहो, सांप को दूध पिलाओ लेकिन आदमी को प्यार न करो इस व्यवस्था को तोड़ना होगा । नहीं तोड़ेंगे तो ये जो एट्रासिटीज हैं ये कम नहीं होंगी । जो एट्रासिटीज करने वाले हैं उनको हम सब को, चाहे वे किसी भी पक्ष के लोग हों, किसी भी जाति या सम्प्रदाय के लोग हों, मन बना कर एक स्वर से निन्दा करनी होगी । साथ ही साथ कड़ी सजा की व्यवस्था करनी होगी।

क्या कारण है कि यह बीमारी रुक नहीं रही है बल्कि बढ़ती जा रही है ? सब से बड़ा कारण यह है कि जो कत्ल करने वाला है, जो अत्याचारी है उसके मन से भय दूर हो गया है । भय नाम की कोई चीज नहीं रह गई है । वह समझता है कि पैसा होना चाहिए । अगर पैसा है और जाति का बल मेरे साथ है तो मैं किसी का भी कत्ल कर सकता हूं, मुझे रक्षा मिलती रहेगी । जब तक य चीज रहेगी तब तक अत्याचार रूक नहीं सकते हैं ।

प्रत्येक स्तर पर शेड्यूल्स कास्ट के लोगों को रिप्रिजेंटेशन मिलना चाहिये । इनका कोई आदमी एस पी बन जाता है तो उससे उनकी रक्षा कम होती है। लेकिन दूसरे लोगों के मन में भय अधिक होता है । यही काफी होता है । मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं कि 1980 में केन्द्र ने जो गाइड लाइंज भेजी थी उन के ऊपर यदि ठीक से अमल किया गया होता, उनको अगर ठीक से पालन किया गया होता तो आज यह बीमारी खत्म होने के कगार पर होती। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है पुनः कि आज यह बीमारी कई गुना बढ़ गई है। हमारी आबादी देश की कुल आबादी का पच्चीस प्रतिशत है । जिस दिन ये पच्चीस प्रतिशत लोग जाग गए तो आप साफ समझ लीजिए कि गृह युद्ध की सम्भावना हो सकती है जीवन की इज्जत, आबरू सब स्टेक पर लगा हुआ है । मरता क्या नहीं करता ? इस जगह राक्षस भी है । गृह भी है, गज भी है । समय की नब्ज को पहचानिए । उनके अधिकारों की आप रक्षा कीजिए । अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक समय आएगा जब वे कहेंगे, हम तो डूबे हैं सनम तुम को भी ले डूबेंगे । पूरा देश डूबेगा ।

आप संविधान की बात करते हैं । आप कहते हैं कि संविधान में शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्स ट्राइब्स, बीकर सेक्शंज को राइट दिया गया है । जब यह राइट दिया गया था उसके पहले भी देश के टुकड़े हो सकते थे । लेकिन यह कहा गया है कि तुम्हारे साथ इन्साफ होगा। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि संविधान की बात सिर्फ पन्नों में दब कर ही रह गई है। न्याय मिलने की कोई आशा नजर नहीं आ रही है। हो सकता है कि लोग कहें कि तुम नक्सलाइट हो । तब वे बन्दूक उठाने के लिए भी तैयार हो जाएं जो मर रहा है वह कहेगा कि मरो भी और मारो भी। यह गर्वोच्च सदन है । पार्लियामेन्ट है। यहां आप कोई रास्ता निकालें कोई दिशा निकालें जिससे आज के बाद इस पर चैक लग सके। जब भी पार्लियामेंट शुरू होती है पहले ही दिन इन एट्रासिटीज की चर्चा उठती है । बिहार असेम्बली या उत्तर प्रदेश असेम्बली जिस दिन शुरू होती है तो पहले ही दिन इस बीमारी को ले कर हल्ला होता है । क्यों होता है ?

इसको आप देखें । नए गृह मंत्री जी ने कार्यभार सम्भाला है । इनके कार्यकाल में, इनके मंत्रित्व काल में, कम से कम और आज के बाद हिन्दुस्तान का जो दबा, कुचला हुआ समाज है, वह थोड़ी राहत की सांस ले. इसकी कोशिश उनको करनी चाहिए और उसको इनको आश्वस्त करना चाहिए कि अब इसके बाद उसके ऊपर एट्रासिटीज नहीं होंगी ।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर): मैं बहुत दुख के साथ आज इस बहस में हिस्सा लेने के लिए खड़ा हुआ हूं । अनुसूचित जातियों के भाइयों के साथ अत्याचार की जो घटनाएं देश के विभिन्न भागों में हो रही हैं उससे भारत के प्रत्येक नागरिक का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए । जब भी संसद का अधिवेशन शुरू होता है अनुसूचित जातियों और जन जातियों के ऊपर किए गए अत्याचारों की बात प्रभावकारी ढंग से उठाई जाती है । और हम समझते हैं कि सरकार इन अत्याचारों को रोकने के सम्बन्ध में पूरी तौर से सचेत है और उसकी रोकथाम के लिए प्रभावकारी कदम भी उठा रही है ।

सभापति जी, सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि इन जातियों पर जो अत्याचार और जुल्मा हो रहे हैं वह कोई नए नहीं हैं । अभी हमारे माननीय पासवान जी बता रहे थे कि किस व्यवस्था के अन्तर्गत इन जातियों के साथ व्यवहार किया गया है । हजारों सालों से उनको नीचा समझा गया । उन पर जुल्म हुए लेकिन यह बेचारे खामोशी के साथ उसको बर्दाश्त करते रहे, उनको बर्दाश्त करने की आदत सी बन गई। देश के हजारों साल के इतिहास में मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि हरिजनों ने सवर्णों के इस अत्याचार के खिलाफ कोई आवाज उठाई हो, कोई संघर्ष किया हो । अगर उसके लिए आवाज उठाई भी गई, संघर्ष किया भी गया तो सवर्ण लोगों में से ही स्वामी दयानन्द सरवती पैदा हुए और बड़े लोग पैदा हुए जिन्होंने उनको न्याय दिलाने की बात की । लेकिन उस वर्ग ने आदत बना ली थी बर्दाश्त करने की, उसका जीवन उसी बर्दाश्त में ढल चुका था और उन्होंने कभी सर नहीं उठाया । लेकिन आजादी के साथ इस देश में और उसके पहले महात्मा गांधी ने यह महसूस किया, आह्वान किया इस वर्ग के लोगों का कि वह बराबर हैं, उनके साथ जो अत्याचार किया जा रहा है उनको विशेष सहूलियतें दे कर उनको समाज के दूसरे वर्गों के साथ लाना है । महात्मा गांधी का यह विचार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रम का प्रमुख अंग बना दिया गया और हरिजनों को यह एहसास होता गया, वह इस बात को समझने लगे कि अब उनको बराबरी मिलेगी । आज वह जिस अंधकार में हैं उससे ऊपर उठेंगे, उनको एक रोशनी मिलेगी ।

आजादी के बाद 35 साल में हम खुशी के साथ यह महसूस करते हैं कि कांग्रेस सरकार ने उनकी इतनी सहायता की, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से कि आज वह अपने को बराबर महसूस करने लगे हैं । बर्दाश्त करने की जो उनकी आदत थी, सदियों से अपमान बर्दाश्त करते थे, आज उसको वह बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं । वह तिलमिला रहे हैं, उनकी भौंहे फड़क रही हैं और समाज के दूसरे वर्गों के लोगों के साथ कधें से कंधा मिला कर चलना चाहते हैं । उनके अन्दर आर्थिक चेतना आ चुकी है, सामाजिक चेतना आ चुकी है, वह समाज के विभिन्न अंगों में बराबरी के भागीदार बन चुके हैं । और ऐसी हालत, जाहिर है कि, हमारे समाज में कुछ लोग जो रूढ़िवादी हैं, जिनको यह चीजें अच्छी नहीं लगतीं, उनको इस जाति के लोगों का बढ़ना बुरा लगता है ।

वह इस बात से समझौता नहीं कर रहे हैं । अभी उन्होंने इस बात को महसूस नहीं किया है कि हजारों साल का हरिजनों का अपमान इतिहास के पन्नों से गायब हो चुका है । अब उनके सामने एक नई रोशनी जाग चुकी है । अब उन पर अत्याचार नहीं किया जा सकता है और ना ही वह इसको बर्दाश्त करने वाले हैं जो उनके पूर्वजों ने उनके साथ किए थे । ऐसी स्थिति में कन्फ्रन्टेशन अवश्यम्भावी है जो कि कहीं न कहीं जरूर होगी, लेकिन यह खुशी की बात है कि वह कन्फ्रन्टेशन बहुत कम है । एतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए यह कन्फ्रन्टेशन तो बहुत अधिक होनी चाहिए थी लेकिन धन्य है यह देश और इस देश में बर्दाश्त करने वाले लोग, यह यह कन्फ्रन्टेशन जितना बसीअ आज होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ । कहीं न कहीं यह घटना अवश्य घटती है ।

आप अन्दाजा लगाइए, 35 वर्ष पूर्व जब आजादी आई थी, तो एक-आध हरिजन के खिलाफ क्राइम हो सकता था लेकिन इस

प्रकार की घटनाएं कहीं नहीं होती थी । इधर 8, 10 साल में जैसे ही हरिजनों में जागरूकता आई है, चेतना बढ़ी है, जैसे जैसे बराबरी के लिए वह ललक रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे कुछ रूढ़िवादी लोगों से उनका टकराव होता है । जो घटनाएं उत्तर प्रदेश, बिहार, तामिलनाडू या देश के दूसरे भागों में हो रही हैं, यह उसका नतीजा है । इसमें किसी पार्टी या किसी सरकार को दोषी ठहराने से काम नहीं चलेगा । यह एक सामाजिक करवट है । हमारा देश एक करवट ले रहा है और इसके जो परिणाम होंगे वह इस देश को भुगतने पड़ेंगे, इस देश के लोगों को और हम सब को भुगतने पड़ेंगे ।

इसलिए मैं श्री राम विलास जी से बड़े विनम्र शब्दों में कह रहा हूं कि यह अच्छी बात है, हम अच्छी तरक आगे बढ़ रहे हैं, देश में बराबरी का, इक्वैलिटी का माहौल तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन सदियों से हजारों सालों का जो अन्याय है, उसको आप चाहें कि 35 वर्षों में एकाएक समाप्त हो जाए तो न यह इतिहास में कभी हुआ है और न आज होने की उम्मीद है । लेकिन मुझे आशा है कि जब सदी बदलेगी, यह सदी समाप्त होगी तो यह मामला कहीं न कहीं आगे पहुंच चुका होगा । मैं समझता हूं कि इस शताब्दी के अन्त तक हम उस बात को पा लेंगे, जिस चीज के लिए हम आज कोशिश कर रहे हैं ।

बिहार में 1977 में बेलछी की बड़ी जबर्दस्त घटना हुई । मैं इसके लिए वहां की सरकार को दोषी नहीं ठहराता । सरकार ने कुछ आदमी नियुक्त नहीं किए थे कि बिहार के हरिजनों को बेलछी में मार दें लेकिन जब कोई घटना हो जाती है तो उस के बाद वहां की सरकार की प्रतिक्रिया होती है । यह देखने की बात है कि वह प्रतिक्रिया क्या होती है । मुझे दुःख है कि बेलछी की घटना के बाद, पासवान जी के नेता, जो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे, वह बेलछी नहीं गए । केन्द्र के उनके मंत्री बेलछी नहीं गए ।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : उस समय वहां मुख्यमंत्री कोई नहीं था, प्रैजीडैंट रूल था ।

(व्यवधान)

श्री जैनुल बशर : कर्पूरी ठाकुर साहब वहां नहीं गए थे ।

श्री रामविलास पासवान : वह उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे ।

श्री जैनुल बशर : वह वहां नहीं गए थे ।

उस घटना के बाद जो कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए थी, वह शुरू नहीं की गई । 1980 में उसका चार्जशीट हुआ और बाद में जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे, उनको सजा दिलाई गई ।

1980 में ही 6 घटनाओं के मुकदमें चले । एक कफाल्टा को रामविलास जी कहते हैं, लेकिन 6 में से 5 में सजा हुई । एक कफाल्टा में सजा नहीं हुई तो उसके बारे में वह चिल्लाते हैं लेकिन दूसरी 5 जगहों को भूल जाते हैं ।

फैजाबाद में भी अभी हरिजनों के विरुद्ध जुल्म के खिलाफ मुकदमा चला था जिसमें 35 आदमियों को आजीवन कारावास हुआ है । (व्यवधान) साढूपुर और देवली के मुकदमे चल रहे हैं और जिस तरह सरकार मुकदमों की पैरवी कर रही है, मुझे उम्मीद है कि उससे कोई अच्छा नतीजा निकलेगा । प्रश्न यह है कि सरकार ने इन घटनाओं के बाद क्या किया है और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए हैं । केन्द्रीय सरकार, प्रधान मंत्री और गृह मंत्री की हमेशा यह कोशिश है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो । लेकिन इन घटनाओं को रोकने के साथ-साथ हरिजनों और आदिवासियों के आर्थिक उत्थान के लिए भी प्रभावकारी ढंग से कार्यवाही करनी पड़ेगी । जब तक उन्हें आर्थिक दृष्टि से ऊंचा नहीं उठाया जाएगा, तब तक वे बराबरी का दर्जा हासिल नहीं कर सकते । इस दिशा में अभी तक बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जितना किया जाना चाहिए था, उतना अभी तक नहीं हुआ है ।

[श्री जैनुल बशर]

इस सरकार की मंशा इस बात से जाहिर होती है कि जहां पांचवीं पंच-वर्षीय योजना में केवल गृह मंत्रालय में हरिजनों के लिए 85 करोड़ रुपए रखे गए थे, वहां छठी पंच-वर्षीय योजना में यह रुपया बढ़ा कर 800 रुपया कर दिया गया है । इस के अलावा और बहुत सी योजनाएं हैं । जैसे हरिजनों के लिए स्पेशल काम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत 400 करोड़ रुपया रखा गया है । (व्यवधान) जब रुपया रखा गया है, तो वह खर्च जरूर होगा । सरकार इस बात के लिए पूरी तरह से सचेष्ट है कि हरिजनों को 20-सूत्री कार्यक्रम और दूसरे कार्यक्रमों के अन्तर्गत ऊपर उठाया जाए ।

[SHRI HARINATHA MISHRA *in the Chair*]

20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लैंड रिफार्म्ज किए गए हैं । दुनिया में पहली बार शान्तिपूर्ण तरीके से इतनी बड़ी मात्रा में भूमि को भूमि के मालिकों से लिया गया और उसे भूमिहीन किसानों में बांटा गया, जिन में 90 प्रतिशत से ज्यादा हरिजन और आदिवासी थे । हो सकता है कि भूमि-सुधार के कानून को लागू प्रभावकारी ढंग से लागू करने में कुछ कमी रही हो । लेकिन एक बड़ी जबर्दस्त शुरुआत हुई है, जिससे सब से ज्यादा फायदा हरिजनों और आदिवासियों को पहुंचा है इस लिए श्री पासवान का यह कहना सत्य से परे है कि हरिजनों के लिए कुछ नहीं हुआ है (व्यवधान) आज जगह-जगह प्रोफेसर दिखाई दे रहे हैं, राजनैतिक नेता दिखाई दे रहे हैं । 35 वर्ष पहले यह स्थिति नहीं थी । अब तो बहुत से लोगों को जलन हो गई है कि सब कुछ हरिजनों को दिया जा रहा है, दूसरों को नहीं दिया जा रहा है । इसलिए टेन्शन भी पैदा हो रही है ।

यह कांग्रेस की सरकार थी, जिसने महात्मा गांधी के नेतृत्व में हरिजनों को ऊंचा उठाने का बूत लिया था । वह हरिजनों को ऊपर उठाने के लिए कटिबद्ध है ।

पासवान जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री का जिक्र किया । मुझे बड़ी खुशी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया । हरिजनों पर, कमजोर वर्गों पर जो अत्याचार हुए उस से वह प्रभावित हुए, द्रवित हुए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया । मैं समझता हूं कि उन के मुख्य मंत्री हों, चाहे उन के केन्द्र के गृह मंत्री हों उन्होंने यह कमी नहीं किया था । यह काम भी एक कांग्रेस के मुख्य मंत्री ने ही किया । किन मैं इस से सहमत नहीं हूं । मैं बड़े अदब के साथ राम विलास जी और विरोधी पक्ष के लोगों से यह अर्ज करना चाहता हूं कि कल को किसी मुख्य मंत्री के विरुद्ध या गृह मंत्री विरुद्ध एक गैंग तैयार और वह गैंग किसी गांव में जा कर बीस या पन्द्रह आदमियों को जान से मार डाले, फिर कल को कहें कि मुख्य मंत्री इस्तीफा दें तो यह कोई उचित परम्परा नहीं होगी कि दो चार या दस पांच आदमियों को मार कर मुख्य मंत्री से यह कहा गया जाए, उस पर दबाव डाला जाए कि वह इस्तीफा दें । यह बात कल आप के साथ भी हो सकती है, हमारे साथ भी हो सकती है । हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अच्छी नीयत से इस्तीफा दिया है लेकिन मैं समझता हूं कि सार्वजनिक दृष्टि से यह बात उचित नहीं होगी ।

आज जो अत्याचार हो रहे हैं उनको केवल राजनैतिक तरीके से या सरकारी जोर दबाव डाल कर नहीं रोका जा सकता । हमें अपने समाज की मनोवृति को भी बदलना होगा । क्या राम विलास जी को नहीं मालूम है कि हरिजनों पर जो अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं उस में अधिकतर उन वर्गों के द्वारा वह की गई हैं जो कांग्रेस के समर्थक नहीं हैं । मैं यह नहीं कहता हूं कि आप लोगों ने किया है या जिन्होंने किया है वह आप लोगों के हमदर्द हैं लेकिन विरोधी पार्टियों में बैठने वाली एक पार्टी के वह विशेष रूप से हमदर्द हैं । तो उन लोगों को रोकने की आवश्यकता है .... (व्यवधान)...

मैं अपने विरोधी साथियों से अपील करूंगा कि ये घटनाएं...

सभापति महोदय : आप उनकी बात मत सुनिए, अपनी बात जो कहनी है वह कहिए ।

श्री जैनुल बशर : मैं उन से अपील कर रहा हूं कि उन के समर्थकों द्वारा जो हो रहा है . . . (**व्यवधान**) . . कांग्रेस के समर्थक नहीं हैं, उन्हीं के समर्थक हैं।

श्री राम विलास पासवान: हमारे समर्थक हैं तो उन को पकड़ कर बन्द क्यों नहीं करते हैं ?

श्री जैनुल बशर : कर रहे हैं।

तो उन को भी आप समझने की कोशिश करिए।

एक बात और कह रहा हूं कि तमिलनाडु में जो घटनाएं हो रही हैं अत्याचार की वह भारत के अन्य स्थानों की घटनाओं से बिल्कुल भिन्न हैं। तामिलनाडु और देश के कुछ अन्य भागों में जैसे गुजरात में और महाराष्ट्र में भी एक नया संगठन खड़ा हो रहा है--विश्व हिन्दू परिषद्। इस संगठन के लोग हरिजनों को टेररराइज कर रहे हैं, इस प्रकार का वातावरण पैदा कर रहे हैं कि अगर वह कन्वर्ट होंगे अगर वह धर्म परिवर्तन करेंगे तो उन को उजाड़ दिया जाएगा, उन को बर्बाद कर दिया जाएगा। इससे न केवल हरिजनों में आतंक पैदा हो रहा है बल्कि इस देश के अल्पसंख्यकों में भी आतंक फैला हुआ है चाहे वह मुसलमान हों, चाहे ईसाई हों चाहे वह बौद्ध हों चाहे दूसरे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हों। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि तामिलनाडु में जो घटनाएं हो रही हैं या महाराष्ट्र और गुजरात में जो घटनाएं हो रही हैं उस में विश्व हिन्दू परिषद् के नाम से जो संगठन खड़ा हो गया है उस का भी हाथ है। कल को उत्तर प्रदेश और बिहार में भी वह अपनी यह भूमिका शुरू करेगा। तो इस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: (Jadavpur): Mr. Chairman, Sir, it is a matter of great concern, if not of national shame, that this House is obliged to discuss this matter, namely the question of atrocities on the Harijans and Adivasis almost during every session, because the position has gone on unabated and the atrocities are still being perpetrated. Even after 3-1/2 decades of our independence, we have not been able to usher in even a castless society, far less a class-less society. The founding fathers of the Constitution felt that some special provisions were necessary for the advancement of the Harijans, Scheduled Castes and Scheduled Tribes in this country. Laudable objectives were inserted in the Directive Principles of State Policy.

You are aware that one of the provisions is Article 46 which provides for the promotion of the educational and economic interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. and other weaker sections. It was felt that a period of ten years would be sufficient, during which reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes would have to be kept; but it is a national recognition of the failure of the ruling party—which itself brought the amendments periodically, after every decade—that this period has been extended now upto 40 years. This shows that the reservation of seats is still necessary. which proves that there is an abject failure on the part of the Central Government. which has been specially assigned the task of looking after the interests of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—that they have not been able to do their duty.

Not only that after 35 years of independence we find that Scheduled Castes and Harijans still remain steeped in gnawing poverty; they are not even being treated as human beings in many places. They naturally desire to be treated with dignity and respect. Their fate is one of continuing misery, and exploitation by the so-caled higher castes and rich people. They are being treated as loss than second-class citizens.

This is the position. Over and above this, not only the economic disparity is increasing, but their social

[Shri Somnath Chatterjee]

backwardness is also being exploited. There is the inhuman treatment. There is the physical torture and atrocities on the weaker sections, viz. the Harijans and Adivasis. To-day, they have to cry in agony for the protection of their life and liberty and the very small pittance of property which they may have.

Every session we are discussing this; and every session we find during the period that more and more such incidents are occurring. Mr. Ram Vilas Paswan has taken the trouble of identifying the districts; but it is a question of attitude. Apart from the fact that we have to try to ascertain the causes of such atrocities after 35 years of independence, we have to analyze, in this august House, the highest legislating forum in this country, as to what has been the attitude of the administrative agencies in combating this. Can the present Government, which has its own party Governments in almost all the States where these things are hapening, deny its responsibility? Is it possible for them to deny that they cannot take any constructive action to save the plight of these depressed communities?

Various instances I shall come to, because it is necessary to remind us as to what has happened. We know of the incidents that have taken place in so many places—from Pipra to Belchi, to Vishrampur to Dharampur, to Bajitpur to Deoli, to Sadhupur. It did not end there. It has come to Gaini the other day. A series of incidents are there; and it has been pertinently pointed out that in all these cases, there is unthinkable butchery perpetrated. In many cases, the law-enforcing machinery, viz. the police, has been in active connivance with either landlords or sections of the people who have been torturing the Scheduled Castes. Women had been beheaded and burnt allve. Children had been burnt alive. Don't we feel ashamed of it when there is supposed to be a civilised form of Government in this country? Their only supposed crime is that they are poor; their suupposed crime in some places is that they are asking for minimum wages, minimum agricultural wages; their supposed crime in some places is that they are trying to combine to protect their interest; their supposed crime in some places is that they do not wish to remain perpetually the system of total exploitation their supposed crime in some places is that they are objecting to their conditions of bonded labour being continued indefinitely.

MR. CHAIRMAN: There is yet another crime that they could not pre-arrange their birth.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: This is a very pertinent observation that we get from you. For those crimes for which they have no responsibility today, this country, this society, the administration cannot provide the minimum protection, the minimum relief. What had happened in Deoli? 24 Harijans were killed and our Prime Minister attributed the cause to an ordinary village rivolry. I was reading today *The Hindustan Times*. The Prime Minister in her party meeting has said, has brought politics into it. I am sorry I have to say that because this has been reported in the newspaper. The Prime Minister said as follows:

> "An attempt was being made to alienate the Congress-I from the people by indulging in such propaganda as that atrocities against Harijans, minorities and women had increased since her return to power."

Then she is supposed to have said this. I am quoting from the *Hindustan Times* dated 8-7-1982. It says as follows:

> "This is a blatantly false propaganda, the type of which was indulged in by Hitler."

I thought she had changed her views of Hitler because her Presidential

Candidate has been making adulatory references about Hitler which we have been hearing recently. He seems to be greatly enamoured of Hitler.

However, not a single word of solace for these oppressed people, tortured people, their relations, the people who had been killed, has been uttered. Far less she has expressed her determination as the Prime Minister to combat the evil. But the hon. Speaker has thought it fit to allow discussion on this subject on the first day of this session because of its importance. It cannot be described just as a political propaganda being carried on by the opposition parties. The members on the other side, even if they are not concerned about the atrocities that are taking place, they do not feel ashamed that, in their regime, where their government exists, there is no minimum protection. Don't they feel ashamed that one of their Chief Ministers has resigned? That shows that there is an admission of failure that they are unable to protect the life, liberty and property of the weaker sections, Harijans and Adivasis about whose welfare there is a special obligation cast upon the Central Government and also on the State Governments. Where you are ruling, you cannot even control this. Many causes have been given, but the real reason is the collapse of the administration completely together with the lack of political will in most parts where these incidents are taking place. But the causes that have been suggested, the reasons which are being given for such incidents which are taking place say that there are local conflicts in many places, traditional local conflicts. It is said that there are economic disputes. It is also said that in some places the Harijans are standing on their rights in matters relating to community worship and village facilities, etc.

Mr. Paswan was saying that the solution suggested—where the untouchability is practised—is to have different wells for the Harijans and Scheduled Castes. If this approach is not altered, if the attitude of the people is not altered, there can be no solution of this problem unless the Gvernment takes a very serious action.

Sir, in a recent editorial, I find that very pertinent observations have been made. I am reading from the *Patriot* of July 6, 1982. It says:—

> "Prevention of these atrocities is primarily a political task which places heavy responsibility on all political parties committed to a really democratic and egalitarian order. The wide chasm between what these parties profess and what they seriously do about it reflects the hypocrisy of our system. The reasons for this deceptive behaviour are obvious. Harijans are in a minority in an overwhelming majority of the villages in our country and therefore, even those who are very articulate in their denunciation of the excesses committed on this oppressed section of our society, slyly try to placate the upper caste zealots whose support is important in the electoral arithmetic. Acquiescence in the atrocities against Harijans is regarded as pragmatic politics and the issue is agitated only to embarrass the opponents and the victims, therefore, develop a cynical attitude towards all those who shed tear for them. This crisis of confidence in the sincerity of those who dominate our society and politics encourages the more desperate among the younger section of Harijans to look to extremist solution of their problems."

But this is one of the reasons, very pertinent, if there had been a real political will and administrative will, but if it is utilised for the purpose of political manoeuvrability, because they happen to be minority in so far as political arithmetic, voting arithmetic is concered, that is why they are remembered only at the time of elections when many things are said; 20-Point Programmes are adumbrated,

[Shri Somnath Chatterjee]

some of the points are sought to be for the upliftment of the Harijans, and so much money is supposed to have been provided for this. But the benefit are not reaching them. It is very good for the benefit of the elections, but when the elections are over then we find that there is a complete reversal of the attitude, because it is more paying politically to some people, to some political parties in some of the States, to placate the richer sections and the upper class people.

Land reforms should be a matter of commitment so far as the people of this country are concerned. We accept, for which we claim credit with humility that what has happened in West Bengal we do not find elsewhere. And that is why we claim credit again with humility, that in West Bengal such incidents of atrocities on Harijans are minimum, if not absent totally. But in other States, in the neighbouring State of Bihar from which you come in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, this is happening and this is happening in Maharashtra, and in Tamil Nadu. I am not happy to say this. I am not trying to make political capital out of this. But the people know who are the persons in control in these States, who are running the administration. (*Interruptions*).

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: What about the atrocities on Anand Margis?

MR. CHAIRMAN: At present we are discussing atrocities on Harijans.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: They will never learn to be serious. Please give them some coaching.

Does this hon. Member feel happy to know that atrocities on Harijans in 1981 up to November—the number of incidents was 11,743? Does he feel proud of it? Out of them, 3,627 alone were in Uttar Pradesh—does he feel proud of it—where his Party is ruling since 1980?

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: We are ashamed of it.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Therefore, the attitude is, when we are solemnly discussing such a disease in our society, which is being utilised for political purposes in some cases, such flippant interjections are being made!

You kindly permit me to read out an extract from an editorial from the *Statesman*. These are not left papers. This is what it says.

I am quoting a passage from the editorial of "*The Statesman*":

"The tragedy is that these lessons are persistently ignored by people who would far rather exploit suffering for political gain than come to grips with reality. Mr. Viswanath Pratap Singh made the astonishing charge of "a deeplaid conspiracy to murder Harijans en masse in eastern U.P." presumably by the Opposition to discredit the Congress (I). The UP Government had already glibly brushed aside circumstantial evidence to suggest that the Sadhupur outrage, in which ten Harijans were killed, was the work of dacoits, Mrs. Gandhi had only six weeks earlier dismissed the slaughter of 24 Harijans in Deoli as the result of "Ordinary village rivalry". If Mr. Jaganath Mishra in Bihar has not felt obliged to indulge in similar diversionary prevarication, it can only be because the death of three Harijans at the hands of armed landlords in Dhanbad district was not considered a serious enough offence to need explanation. But Bhopal lost little time in attributing last Sunday's vicious killings to enmity between two groups, thereby trying to suggest parity beaween society's defenceless outcasts and the bloodthirsty mob of upper caste Hindus which burned alive or decapitated 13 men, women and children."

Recently in June, you know what has happened. 'The Indian Express' of 30 June, 1982 says:

"In yet another act of vengeance by landlords, at least six Harijans, including two women and a child of six years, were shot dead in cold blood in village Giani under Obra police station of Aurangabad district on Monday."

When the matter was raised in the Assembly of the State, the Chief Minister who was present in the House chose to remain silent. He did not have even his version to make. He does not even say as to what action the Police is going to take. Mr. Ram Bilas Paswan is absolutely right when he asks: in how many cases, has the action been taken and in how many cases has the conviction taken place? How is it that there are serious allegations against the police that they are hands in glove with the attackers? In many cases our leader, Mr. Samar Mukherjee, has been writing to the Ministers for the last one-and-a-half-month. He has written to the Chief Ministers of Uttar Pradesh and Bihar, the Prime Minister, our new Home Minister. I do not know how long he will be the Home Minister.

SHRI R. VENKATARAMAN: Till the end of the Session.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: But I recognise you today as the Home Minister. I can afford to miss the Urdu couplets. I am not sorry.

So many complaints are coming to us here. They are being forwarded to the powers that be—the Chief Minister, the Home Minister, the Prime Minister. But what action is being taken for protection? Because some people are poor and belong to the so-called low caste and they are defenceless, they are subjected to any type of physical brutality and atrocities. Homes after homes are burnt down. In some the incidents I find that the children have been burnt alive. Some have been be-headed. Women have been raped. Things like that are happening. But some are trying to be flippant. Some are trying to impute motives here and there. The Prime Minister says that whatever has been alleged is a Hitlerian propaganda. It is a matter of great shame if this is the attitude of the Prime Minister. On the eve of the parliament's session, she is taking it as an opposition propaganda. She is utilising her party forum for the purpose of firing salvos at the opposition just before the session starts without saying a word about these people.

MR. CHAIRMAN: You are your own judge. I learn that altogether two and a half hours have been allotted.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: I quite appreciate.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): He allotted time when he was in the Chair!

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: There is no dearth of material; but, in view of the paucity of time, I am not going into the details.

What I am submitting is this. The party in power in the Centre and in the States where it is happening with regular frequency, with monotonous regularity, namely. the Congress (I) Party, cannot avoid responsibility. They have to accept responsibility. They have to show their political will, they have to show administrative will.

Why is it happening particularly in these States? If it is thought that by coming into an arrangement or understanding with the so-called high caste people, or rich people, they can for ever subjugate the harijans, they are living under a mistaken notion, because these people are too many and so many of them are aware of the rights of the citizens of a civilized country and the civilized form of living, which they have been deprived from enjoying. I hope, I sincerely hope that, with proper political education, with proper awareness given to them of their constitutional and legal rights, the rights of a human being, they will be able to withstand these onslaughts and that the economic

[Shri Somnath Chatterjee]

disparities will disappear. If they continue further, if the hiatus goes on increasing, if the administration think that by helping those affluent sections of the people, who are always worried, who are always concerned, whether the benefits of progress are going to the weaker sections or not, to the backward sections or not, and that is why there is resistance by the affluent sections, by the so-called socially stable sections of the society, who are always afraid that the benefits of progress, if any, would percolate to the lowest level, who are always the subject matter of exploitation, and that is why there is always resistance, and if the Government continue their present policy of supporting the affluent sections, they will not be able to solve the problem.

So, some positive steps have to be taken to instil confidence in these oppressed people. One of them, no doubt, island reforms, which give permanent rights to these people, should be implemented property.

Coming to the administrative services, so far as the police service is concerned, I find that in UP the harijans constitute only 15.24 per cent of the police force. Even then a preponderant majority are constables and lower echelons of the police force and hardly a few—one can count with his fingers—of the rank of SP or similar high rank. So, some urgent action has to be taken to make them feel that there are persons who will stand by them in their times of distress, in their times of difficulties.

Therefore, we very strongly urge that, if the constitutional declaration or the Directive Principles are not to be treated only for the purpose of political propaganda and utilisation during the time of the elections, if this Government is really concerned, genuinely concerned, with them and not interested in utilising them as pawns during the elections, let us see what administrative actions are taken what land reforms are being implemented, and what action they take against their political malefactors, like the Chief Ministers or the persons concerned, who are also encouraging these things and not taking proper steps against them. Therefore, I feel that it is a matter which should be taken with the utmost seriousness and I would request the Government to take appropriate steps in the matter.

श्री रामस्वरूप राम (गया) : सभापति महोदय, आज यह सदन एक ऐसे गंभीर मसले पर विचार कर रहा है जो एक मानवता का मसला है। जो हत्याएं होती हैं या जो एट्रासिटीज होते हैं, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और देश पर कलंक है। इसी सदन में एट्रासिटीज आफ हरिजन्स के नाम पर कई बार वाद विवाद हुआ, लेकिन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। आखिर इस सामाजिक कोढ़ को कैसे दूर किया जाए, यह सोचने के बजाए राजनीतिक रोटियां अधिक सेंकी जा रही हैं।

अभी भाई रामविलास जी बोल रहे थे। मैंने उनकी बातों को बड़े गौर से सुना, लेकिन दुःख हुआ कि समस्याओं के दृष्टिकोण को छोड़कर उन्होंने ब्राह्मणवाद की व्याख्या कर डाली। मैं आपके माध्यम से विरोधी दल के लोगों से कहना चाहता हूं कि जाति पर आधारित सभी बातें खराब हैं, चाहे ब्राह्मणवाद हो या पिछड़ावाद। समस्याओं का समाधान वाद से सम्बन्ध नहीं है। रामविलास जी की बात के बारे में जिसमें उन्होंने ब्राह्मणवाद की बड़ी आलोचना की है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 1931 में हट्टन साहब सेंसस कमीशन के चेयरमैन थे उन्होंने एक किताब लिखी है "कास्ट आफ इंडिया"। उसमें लिखा है कि रामनाथ-पुरम और तिरुनल वैली के जो रहने वाले लोग हैं, उनमें 63 प्रतिशत तेवर जाति के लोग हैं। उन्होंने 8 सूत्री प्रोग्राम बनाया, हरिजनों का दमन करने के लिए। जिसमें जूते न पहनना, घुटने के नीचे धोती का न होना, छातरी न लगाना आदि बातें शामिल थीं। 1950 में अमानुल नामक लड़का पैदा हुआ, जिसने क्रिश्चियन धर्म मान लिया। उसने जब ये पाबंदियां तोड़नी चाही तो 8 के बदले 12 पाबंदियां लगा दी गईं। ये तेवर जाति के लोग कौन थे। ये ब्राह्मण नहीं थे बल्कि पिछड़ी जाति के थे। यह इतिहास है। इसलिए

जाति पर आधारित बातों को हमें कंडेम करना चाहिए, तभी सोल्यूशन हो सकता है।

श्री राम विलास पासवान : पिछड़ी जाति किसने बनाई है ? **(व्यवधान)**

श्री रामस्वरूप राम : "मनुस्मृति" के आधार पर समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और आज "मनुस्मृति" पढ़ने के लिए कोई तैयार भी नहीं है ।

अभी तक हम यह पाते हैं कि 1978 में सबसे अधिक अत्याचार हुए -- 15070 क्राइम्स हुआ जो हरिजन-आदिवासियों से संबंधित थे। मैं आंकड़ों की बात नहीं करना चाहता हूं। असल बात मैं कहना चाहता था। लेकिन आंकड़ों की बात जो आप ने रखी है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि 15070 क्राइम्ज हरिजनों और आदिवासियों पर 1978 में हुए थे ? आप को याद होगा राम विलास जी कि आपकी ही सरकार तब सत्तारूढ़ थी ----

17 hrs.

श्री राम विलास पासवान : कितने लोग तब मारे गए थे ? अभी कितने मारे गए हैं ?

श्री राम स्वरूप राम : तब क्राइम्ज पराकाष्ठा पर थे शुरूआत वहीं से होती है ।

मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि तब बैलची की घटना घटी थी। यह ठीक है कि तब कर्पूरी ठाकुर की सरकार बिहार में नहीं थी । लेकिन केन्द्र में श्री मोरारजी देसाई की रिएकशनरी सरकार बन गई थी जो जातपात में विश्वास रखती थी और उसको बढ़ावा देती थी और चौधरी चरण सिंह होम मिनिस्टर थे । आप को यह भी याद होगा कि आप ने बेलची के हरिजनों की बात यहां लोक सभा में उठाई थी और आपने कहा था कि हरिजनों की जो हत्याएं हुई हैं उनकी जांच होनी चाहिए । तब आपने अपने ढंग से यह लड़ाई लड़ी थी। लेकिन चौधरी चरण सिंह ने हरिजनों के बारे में कैसी तीखी टिप्पणी की थी, यह भी शायद आपको याद होगा । इस वास्ते घड़ियाली आंसू बहाने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है ।

श्री राम विलास पासवान : आप क्यों नहीं लड़ते हैं यह लड़ाई ?

श्री राम स्वरूप राम : हमारे देश का नेतृत्व इसके लिए परेशान है और कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से इसको खत्म किया जाए । आपको मैथिली शरण गुप्त की एक लाइन याद होगी ।

बड़ी जलन है इस ज्वाला में जलना
कोई खेल नहीं
जिधर देखो करुण से मानवता का
मेल नहीं ।

यह मानवता का प्रश्न है, राजनीति का प्रश्न नहीं है । इसका समाधान हो इसके लिए हम को कदम उठाने होंगे ।

जो एट्रासिटीज आज हरिजनों पर हो रही हैं देश में वे इस कारण भी हो रही हैं कि -- वे जागृत हो गए हैं अपने अधिकारों के प्रति और उनको लेने का एक बहुत बड़ा साहस उन में पैदा हो गया है । यह साहस जो बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम पेश किया गया है श्रीमति इंदिरा गांधी की तरफ से उसकी वजह से हुआ है । मिनिमम वेजिज, लैंड रिफार्म्ज आदि सब कार्यक्रम उनके लिए बनाए गए हैं और उनको दिये गए हैं । वह गांव में बैठा है । खेत मजदूर हो या अन्य कामों में लगा हुआ है, अपने हक लेने के लिए तैयार है । प्रतिक्रियावादी ताकतें जो हैं, जो सामन्त हैं, जो जाति में नहीं बल्कि वर्ग में पलते हैं, वे उनकागला घोंटने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं । मैं उदाहरण देता हूं । हरिजनों की समस्याओं को हल करने के आपके इरादे नेक हैं । लेकिन प्रशासन की वजह से, सामाजिक बनावट की वजह से हरिजनों पर जो जुल्म हो रहे हैं उनको आपको गम्भीरता से लेना चाहिए । सदन में वाद विवाद करने से और रस्मी जवाब दे देने से हरिजनों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है । बिहार में हरिजनों और आदिवासियों को रस्मी तौर पर थोड़ी बहुत मजदूरी मिलती है । इंदिरा गांधी जी ने उनका -- आह्वान किया, तुम आगे बढ़ो, सरकार तुम्हारे साथ है । जब यह नारा उनको दिया तो उस नारे का सहारा ले कर गायनी गांव, मेरा गांव, रक्षा गांव

[श्री राम स्वरूप राम]

मैं मैं गया हूं जहां के लोगों को उग्रवादी कह दिया जाता है, वहां पर सामन्तवादियों ने ----

सभापति महोदय : शान्ति। समय पर भी ध्यान रखें। दो चार मिनट में समाप्त करें।

श्री राम स्वरूप राम : आप की आज्ञा हो तो दो चार मिनट और मिल जाएं तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री राम विलास पासवान : जिले के मंत्री के सम्बन्ध में भी तो बोलिए ।

श्री राम स्वरूप राम : औरंगाबाद का जो गायनी गांव है, जहां यह घटना घटी है, बिहार के मुख्य मंत्री डा. जगन्नाथ मिश्र ने अपनी परसनल जानकारी के लिए पांच आदमियों की एक कमेटी भेजी जिस में भोला सिंह वेगूसराय के एम एल ए थे, राजहंस नारायण सिंह थे एम एल ए, मैं भी था, जमना राम जी थे, राम नारायण राम थे और हम सब गये थे । चूंकि वह पर्सनल जानकारी करना चाहते थे वहां जा कर मैंने देखा, जो मुझे बताया गया था कि उग्रवादी थे, तो मैंने देखा कि श्रीमति इंदिरा गांधी के 20 सूत्री प्रोग्राम को लागू करवाने के लिये कटिबद्ध थे और वह उसको लागू कराने के लिये लड़ रहे थे । गैनी गांव के सामन्तों ने पहले तो लाठी, भाला, गंडासा और अन्य संगीन हथियार ले कर सुरेश के घर में उन्होंने आग लगाई और जब सभी हरिजन चंदली गांव की तरफ भागने लगे तो बलदेव जो कि काफी वृद्ध था, और उसके नाती को जिसकी उम्र 6 साल की थी, उनको मारा । क्या 6 साल का बच्चा उग्रवादी हो सकता है? तो हरिजनों को उग्रवादी नहीं कहना चाहिए, इसको रोकना चाहिए । वह अपने हक के लिये लड़ रहे हैं । लेकिन पुलिस के अधिकारी सामन्तों के प्रभाव में आ कर कहते हैं कि यह नक्सलवादी हैं और इसलिये उनको मार रहे हैं । हरिजनों के बच्चे जो बी. ए. में पढ़ते हैं-सालिगराम पासवान, अवधेश पासवान, राम रतन दास इनको पुलिस ने नक्सलाइट कह कर जेल में बंद किया । 3 तारीख को मैंने वहां मीटिंग की वह नेशनल स्ट्रीम में आने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रशासन उनको उग्रवादी का नाम दे कर परेशान कर रहा है । इसको तुरन्त रोका जाना चाहिए । हमारे मुख्य मंत्री डा. जगन्नाथ मिश्र ने 20 लाख लोगों को ओल्ड एज पेंशन दे कर साबित कर दिया कि वह प्रोग्रेसिव मैथड्स अडाप्ट कर रहे हैं । यह सोशियो इकोनामिक प्राब्लम है और इसको उग्रवादी की संज्ञा दे कर लोगों को मारा न जाए। प्रशासन को इसकी गहराई में जा कर देखना चाहिए और खामख्वाह सामन्तियों का इन गरीब लोगों को शिकार न बनने दें ।

3, 4 दिन पहले मैंने अपने गृह मंत्री का बयान अखबार में पढ़ा था जो शायद उन्होंने मद्रास में दिया था कि हरिजनों को अब बन्दूकें नहीं दी जाएंगी । जब कि पहले गृह मंत्री ने कहा था कि उनको अपनी रक्षा के लिए बन्दूकें दी जाएंगी और ग्राम सुरक्षा दल में 2, 4 बन्दूकें रहेंगी । तो जब उन पर अत्याचार बढ़ रहे हैं समाज की व्यवस्था के कारण, राम विलास जी के शब्दों में जाति पर आधारित समाज होने के कारण, इसलिये हरिजनों और आदिवासियों की सुरक्षा के लिए उनको सरकार आर्म्स दे, व्यक्तिगत रूप से न सही, क्लेक्टिव रूप से दे 10, 20 घरों की एक टोली बना कर आप उनको आर्म्स दें ताकि ग्राम सुरक्षा दल बन सके । पिछले बीराकांड के समय गृह मंत्री जी ने कहा था कि हम ग्रामीण सुरक्षा दल बनाएंगे । लेकिन अभी तक उसको कार्य रूप नहीं दिया जा सका ।

सभापति महोदय: आप इसी से अपनी बात समाप्त कीजिये ।

श्री राम स्वरूप राम: मैं दो मिनट में सारी बात कह दूंगा ।

मैं सिर्फ बिहार की ही बात नहीं करता हूं, देश के हर भाग की बात करता हूं । एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों की प्रतिष्ठा की जो बात होनी चाहिये, उनको जो प्रोटेक्शन देना चाहिये, वह प्रोटेक्शन इन लोगों की तरफ से नहीं मिल पा रहा है । एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री तपासे, जो कि हरिजन गवर्नर थे, लोकदल के लीडर श्री देवी लाल ने

जाकर उनके तमाचा मारा । क्या श्री तपासे ब्राह्मण थे ? वह तो वैकवर्ड थे । आप कहां हमारे लिये आंसू बहा रहे हैं, यह इसका इलजाम नहीं हो सकता ।

एक माननीय सदस्य: श्री तपासे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तमाचे की बात ।

श्री राम स्वरूप राम: सारी बातें अखबारों में आई हैं, अखबारों के माध्यम से जो जानकारी मुझे हुई है, उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं ।

देश में हरिजनों की आबादी 25 प्रतिशत है । उनको इस बात का पूरा भरोसा है कि देश में गरीबी कोई दूर कर सकता है इनका कोई सुरक्षा अगर दे सकता है तो वह प्रधान मंत्री श्रीमति इन्दिरा गांधी ही दे सकती है।

मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि पिपरा में जो घटना घटी, आज 98 आदिवासी जेल में हैं । दहेली में जो अत्याचार हुआ आज 43 आदमी जेल में बन्द हैं । मैं कोई नम्बर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत कह रहा हूं ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अर्ज करना चाहता हूं कि वह हरिजनों के लिये आर्म्स का लाइसेंस दे । उनके लिये स्पेशल कोर्ट्स बनाये ताकि जस्टिस में डिले न हो । अगर जस्टिस में डिले होता है तो वही एट्रोसिटीज का कारण बनता है । मेरा सुझाव है कि हर स्टेट में स्पेशल कोर्ट्स बनाइये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि वह पूरी मुस्तैदी से 20-सूत्री कार्यक्रम लागू करेगी ।

श्री सूरजभान (अम्बाला): सभापति महोदय, मैं इस बात के लिये आदरणीय स्पीकर साहब का धन्यबाद करता हूं कि सैशन के पहले दिन ही उन्होंने हरिजनों आदिवासियों पर अत्याचार के बारे में बहस मान ली ।

मैं एक बात कहने पर मजबूर हूं, लोकसभा में यह रिवाज है कि जब नया सैशन शुरु होता है तो पुराने एम. पी. ज. जो मर जाते हैं उनके बारे में पहले कन्डोलैंस रेज्यूलूशन लाया जाता है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जब कभी नया सैशन शुरु हो, इन्टर-सैशन पीरियड में अब हरिजन आदिवासी बहुत ज्यादा तादाद में मारे जाने लगे हैं, इसलिये उनके लिये एक कंडोलैंस और कंडमनेशन रेज्यूलूशन पहले दिन ही लाना चाहिये ।

(व्यवधान)

जो बाकी सैशन में घटनाएं होती हैं, उसको बाद में डिस्कस करें ।

यह रेज्यूलूशन महदूद है, लिमिटेड है एट्रोसिटीज पर जो कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज पर हुई हैं । उनके मसले ऐसे बहुत हैं, इकनामिक्स के, सर्विसेज के जिन पर इस रेज्यूलेशन पर बहस नहीं हो पाएगी। मैं मांग करता हूं कि कमिश्नर फार शिड्यूल्ड कास्ट्स एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्ज और कमीशन फार शिड्यूल्ड कास्ट्स एंड ट्राइब्ज इन दोनों ने अपनी रिपोर्ट्स दे दी हैं, उन रिपोर्ट्स पर भी इसी सैशन में बहस होनी चाहिये ताकि हरिजन आदिवासियों के दूसरे मसलों पर भी बहस हो सके । यह महदूद मामला है, लेकिन इसके बारे में जितना कहा जा सकता है, मैं कहने की कोशिश करूंगा । इस तीन महीने के अरसे में –इस इन्टरसैशन पीरियड में–एट्रोसिटीज के सैकड़ों वाकआत हुए हैं, लेकिन मैं केवल दस पंद्रह का जिक्र करूंगा, जो बहुत प्रामिनेंट हैं ।

बिहार में गैनी में, जिसका जिक्र श्री राम स्वरूप राम ने किया है, 6 हरिजन गोली से उड़ा दिए गए, 7 को जख्मी किया गया और 29 घर जला दिये गए । दानापुर में 13 हारिजन लैंडलेस लेबरर्ज को जून में मारा गया ।

तामिलनाडु में इस बार हद हो गई है । 30 मई को विल्लकापाक्कम में एक शिड्यूल्ड कास्ट टीचर को जान से मार दिया गया और 40 हरिजनों को जख्मी किया गया । उनका कसूर सिर्फ इतना था कि

[श्री सूरज भान]

गांव में पानी का नया कनेक्शन आया था और वे उससे लेने लगे थे। पुलियन्गुड़ी में जून के पहले हफ्ते में 9 हरिजनों को जिन्दा जलाया गया और 20 आदमी जलने के कारण जख्मी हो गए। उन लोगों की 30 झोंपड़ियां जला दी गईं। मिन्नाल गांव में एक शिड्यूल्ड कास्ट्स के आदमी सुब्रह्मण्यम् को —हमारे सुब्रह्मण्यम् नहीं; ये स्वामी हैं, वह स्वामी नहीं था—जिन्दा जलाया गया। मैंने आज इन्डियन एक्सप्रेस में पढ़ा है कि सेंट्टूर नाम के गांव में एक हरिजन को मारा गया है, एक को अगवा किया गया है और एक को पीटा गया है।

वेस्ट बंगाल में तीन ट्राइबल लेडीज को गैंग-रेप किया गया है।

मध्य प्रदेश में केसतारा नामक गांव में हरिजनों को मारा गया। खंडवा में 35 झोंपड़ियां जलाई गईं। राजगढ़ जिले के टोका गांव में एक हरिजन को मारा गया, 4 को जख्मी किया गया। उनका कसूर यह था कि वे मवेशी चरा रहे थे।

राजस्थान में टोंक जिले में राजमहा गांव में दो हरिजनों को मारा गया और बस्ती के सब घर जला दिए गए।

केरल में सुल्तान बैटरी गांव में 5 ट्राइबल्ज को अबूबकर नाम के आदमी ने गोली से मार दिया। उनका कसूर यह था कि उन्होंने पास ही अपनी जमीन दे कर अबूबकर को बसा लिया था।

इस तरह की बहुत सी एट्रासिटीज गिनाई जा सकती हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इन एट्रासिटीज के कारण क्या हैं और उनकी रेमेडीज क्या हो सकती हैं, जब तक हम इस पर गौर नहीं करेंगे, तब तक वे जारी रहेंगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस हाउस में जो डिसकशन होता है, उसका फायदा क्या है। मैं पूछना चाहता हूं कि हम लोगों ने पहले इन डिसकशन्ज में जो सुझाव दिए हैं, क्या उनमें से किसी सुझाव पर कोई कार्यवाही हुई है। इस सदन में रेलवे मंत्रालय और दूसरे मंत्रालयों पर डिस्कशन होता है और वे सब मेम्बरों द्वारा उठाए गये पायंट्स का जवाब उन्हें भेजते हैं। लेकिन होम मिनिस्ट्री की तरफ से हमारे पास कभी कोई जवाब नहीं आया है। मैं चाहता हूं कि यहां पर जो कुछ कहा जाए, होम मिनिस्ट्री उस पर कुछ एक्शन ले।

सभापति महोदय : आप नए मिनिस्टर को भी परख लें कि वह क्या जवाब देते हैं।

श्री सूरज भान: इन एट्रासिटीज के कुछ कारण हैं। लेकिन एक कारण यह भी हो गया है कि बेलछी में एट्रासिटीज हुईं, हरिजन मारे गए और उसके बाद उस गांव को सड़क मिली। यानी अगर किसी गांव तक सड़क बनवानी है, तो वहां हरिजन आदिवासियों को मारो। देवेली में हरिजनों का कत्ले-आम किया गया, उसके बाद उस गांव तक सड़क बनी। क्या गांवों में सड़कें बनवाने के लिए हरिजनों की हत्या जरूरी है? ज्ञानीजी के ढाई साल के रेजीम में हरिजनों पर जो एट्रासिटीज हुई हैं, क्या उन्हीं के लिये उनको प्रोमोशन मिल रहा है, उन्हें राष्ट्रपति बनाया जा रहा है? हमने जितने भी सुझाव दिये, ज्ञानीजी ने कभी हमें किसी बात का जवाब नहीं दिया। इस लिए मैं होम मिनिस्टर साहब से उम्मीद करूंगा कि वह मेहरबानी कर के पिछली गलतियों को न दोहराएं। जो कुछ हम कहते हैं, वह उनपर कुछ तो कार्यवाही कहते हैं, वह उनपर कुछ तो कार्यवाही करें।

कमिश्नर फार शिड्यूल्ड कास्ट्स एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्ज दोनों हैं। दोनों ने जो रिपोर्ट्स दी हैं, उनमें कान्ट्राडिक्शन्ज हैं। लेकिन कमीशन के लिये कोई कांटीयूशनल प्राविजन नहीं है। कमिश्नर की कोई वकत नहीं है क्यों कि कमीशन बैठ गया और कमीशन का कोई कांस्टीच्यूशनल स्टेटस नहीं है। जनता पार्टी के समय में एक बिल आया कि उस को रेगूलराइज किया जायगा। आप भूल गये हैं, मेहरबानी कर के वह बिल लाइए और उस का कोई कांस्टीच्यूशनल स्टेटस तो बनाइए। माइनारिटीज कमीशन का यही स्टेटस है।

मैं कुछ रीजन्स देना चाहता हूं कि क्यों यह अत्याचार ज्यादा होता है। पहली वजह

है सोशल डिस्क्रिमिनेशन । जाति पांति जब तक इस मुल्क से नहीं जायगी यह एट्रासिटीज रहेंगी । महज विधान में लिख देने से जाति पांति खत्म नहीं हो जायगी । मैं जानना चाहता हूं कि सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट जो कई साल पहले बन चुका था उस के तहत कितने आदमियों को सजा दी गई है? यह हाउस को बताया जाए। बदकिस्मती की बात है कि यह एट्रोसिटीज और अनटचेबिलिटी की बात आज आम मासेज की निस्बत सर्विसेज में ज्यादा आई है । सर्विसेज का कोई आदमी लिखता है कि मेरे साथ यह एट्रासिटीज हुई है तो क्या उस को कोर्ट में जाने की परमिशन मिलती है ? जब तक उस को परमिशन नहीं मिलेगी वह कोर्ट में नहीं जा सकता । इस लिये मैं कहना चाहूंगा कि सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट को पूरे तरह से इम्पलीमेंट किया जाए । एक दूसरा पहलू है सोशल डिस्क्रिमिनेशन का और वह कि हमारे यहां धर्म के अन्दर कुछ ऐसे हास्य हैं जिसके अंदर ऐसी बातें हैं। हम तो कहते हैं कि जाति पांति खत्म करो, पार्लियामेंट में भी कहते हैं और बाहर भी कहते हैं, लेकिन मन्दिरों में रोज प्रोपेगंडा किया जाता है कि-

ढोल गंवार शूद्र पशु नारी । ये सब ताड़न के अधिकारी ।

श्री एम. रामगोपाल रेड्डी : यह कौन से मन्दिर में आप ने सुना है ?

श्री सूरज भान: सब में होता है ।

17.22 hrs.

[SHRI SOMNATH CHATTERJEE *in the Chair*].

श्री एम. रामगोपाल रेड्डी : नहीं, बिलकुल ऐसा नहीं होता । ..(*व्यवधान*)

श्री सूरज भान: सभापति महोदय, मैं ने सोशल लेवेल पर सोशल गैदरिंग्स में यह सुझाव दिया है, वह अपने लेवेल पर उस को ठीक करेंगे । लेकिन मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि अगर आप वाकई में इस को खत्म करना चाहते हैं तो रेलीजस बुक्स का रिवीजन किया जाय और उन में जो ऐसे पोर्शन्स हैं जो इन को रेलीजस सैक्शन देते हैं, उन को हटाया जाए । उन को शुद्ध किया जाए । जब तक यह नहीं होगा यह अनटचेबिलिटी जायगी नहीं ।

कुछ एकोनामिक रीजन्स भी हैं । मिनिमम वेजेज एक्ट है । उस के ऊपर उन का झगड़ा होता है । वह पैसा ज्यादा मांगते हैं, लैंडलार्ड देता नहीं है, जिस से उन में आपस में झगड़ा होता है और उन के ऊपर एट्रासिटीज होती हैं । मैं समझता हूं कि इस प्रकार के एक्ट्स को सरकार को स्ट्रिक्टली इम्पलीमेंट करना चाहिए ।

लैंड रिफार्म्स एक्ट जितने भी बने हैं हिन्दुस्तान में उन सबको नाइन्थ शेड्यूल में शामिल किया जाए । जब तक उन को उस में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक ये झगड़े होते रहेंगे । इसलिए मैं यह मांग करता हूं इन को उसमें शामिल किया जाए ।

एक और सुझाव मैं देता हूं आप को । सुल्तान बटेहरी जहां पांच ट्राइब्ल्स को मारा गया था उस जगह मैं गया था और मैं ने यह कहा कि केरल में तो शेड्यूल्ड ट्राइब्ज लैंड एलियनेशन एक्ट बना हुआ है कि ट्राइबल की जमीन कोई नॉन-ट्राइबल खरीद नहीं सकता । 1976 में वह ट्राइब्ल लैंड एलियनेशन एक्ट बना था । लेकिन आप को सुन कर हैरानी होगी कि उस के ऊपर अमल की बात तो दूर रही, आज तक उस के रूल्स नहीं बने । जो एक्ट 1976 में बना था, उसके बाद वहां पर कांग्रेस की हुकूमत भी रही है, कम्युनिस्ट हुकूमत भी रही है, लेकिन उस एक्ट की वही हालत है कम से कम उस के रूल्स तो बनाए जाने चाहिए । जब तक वह नहीं होगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी ।

कुछ महिलाओं को तंग करने की बात को लेकर भी यह होता है और जनरल ला एंड आर्डर सिचुएशन जो मुल्क में है उस के कारण भी हरिजन और आदिवासियों की यह हालत है । आज पूरे देश में जो माहौल है उस का असर इन गरीबों पर ज्यादा होता है, वह बेकस है, मजबूर हैं, बेबस हैं, इसलिए उन की हालत

[श्री सूरज भान]

सुधारने के लिए आप को पूरे मुल्क की ला एंड आर्डर की हालत भी सुधारनी होगी ।

मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं क्यों कि महज दर्द बता दिया जाय, दुख बता दिया जाय उस से बात नहीं बनेगी । इसलिए मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं और ये सुझाव अगर इम्प्लीमेंट हो जाये तो शायद कुछ हालत ठीक हो जाए । पहला सुझाव देने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब रिजर्वेशन के बारे में एजीटेशन शुरू हुआ था तो प्रधान मंत्री ने एक अजीब बात कही थी कि रिजर्वेशन तो रहेगा लेकिन मेरिट विल कान्ट बी इग्नोर्ड । मेरिट इग्नोर नहीं होगी तो रिजर्वेशन कैसे रहेगा ? वही बात उन्होंने फिर कही है एट्रासिटीज के बारे में. जिसका जिक्र घटजी साहब यहां पर कर रहे थे, कि अखबार वाले इन एट्रासिटीज को बढ़ा-चढ़ाकर हाईलाइट करते हैं । लेकिन इन-को तो हाईलाइट होना चाहिए। बल्कि आजकल जितनी ऐसी घटनायें होती हैं वह भी नहीं छप पाती हैं । इसलिए प्राइम मिनिस्टर जो चाहती हैं कि यह घटनाएं रिपोर्ट न हों, इससे यह मिनिमाइज नहीं होंगी । इन घटनाओं को बिल्कुल छिपाना नहीं चाहिए बल्कि इसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए ।

मेरा सुझाव है कि इन एट्रासिटीज को बन्द करने के लिये कुछ प्रिवेन्टिव और प्यू-निटिव मेजर्स लेने चाहिए । जहां पर भी ऐसी एट्रासिटीज हों उस पूरे क्षेत्र पर सामू-हिक जुर्माना होना चाहिये। आज तो जहां पर ऐसी घटनायें होती हैं वहां पर आप सड़क मंजूर करते हैं जिससे कि उनको उल्टे और बढ़ावा मिलता है ।

दूसरी बात यह है कि इन एट्रासिटीज में जो हरिजन मरता है वह अपनी फैमिली का ब्रेड अर्नर होता है । दूसरी तरफ अगर कोई लैंडलार्ड है तो उसे पता होता है कि अव्वल तो वह सजा से ही बच जाएगा। वह समझता है अगर उसकी मौत भी हो जायेगी तो भी उस-के परिवार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस लिये मैं समझता हूं कानून में संशोधन होना चाहिए कि उसकी प्रापर्टी भी कान्फिस्केट की जाए ताकि उसके बच्चों को भी कुछ भूख का अहसास हो सके जो कि किसी हरिजन आदिवासी के बच्चों को ऐसी हालत में होता है ।

तीसरी बात यह है कि जो ऐसे एट्रा-सिटी प्रोन एरियाज हैं उनको आइडेंटि-फाई किया जाए । इस प्रकार की जो स्टेट्स हैं वह तो पहले से ही आइडेंटिफाइड हैं जैसे कि यू पी है, बिहार है, तामिलनाडु है या मध्य प्रदेश है । इन स्टेट्स में एट्रा-सिटी प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स को भी आइडेंटि-फाई किया जाये । मैं समझता हूं मुश्किल से ऐसे 35-40 डिस्ट्रिक्ट्स हो होंगे । इस प्रकार के जो डिस्ट्रिक्ट हों उनमें आप छांट कर अच्छे आई ए एस डिस्ट्रिक्ट्स मैजिस्ट्रेट्स और आई पी एस सुप्रिंटेन्डेन्ट पुलिस लगा सकते हैं । जनता पार्टी के जमाने में मोरारजी की तरफ से ऐसे इंस्ट्रक्शन्स ईश्यू किये गये थे कि अगर किसी जिले में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्ज पर एट्रासिटीज होंगी तो उसके लिये वहां के डी एम और एस पी को जिम्मेदार ठहराया जायेगा । क्या आपने उन इंस्ट्रक्शन्स को वापिस ले लिया है ? अगर वापिस नहीं लिया है तो उनपर अमल क्यों नहीं हो रहा है ? मैं जानना चाहूंगा कि अब तक आपने कितने डिस्ट्रि-क्ट मैजिस्ट्रेट और एस पी इस सम्बन्ध में सस्पेण्ड किए हैं । जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक यह एट्रासिटीज होती रहेंगी । मैं समझता हूं हर एट्रासिटी प्रोन जिले में डी एम, एस पी, ए डी एम और डी. एस. पी.—इनमें कम से कम एक शेड्यूल्ड कास्ट जरूर होना चाहिए । साथ ही पुलिस में इनकी भर्ती ज्यादा की जानी चाहिए ।

इसके अलावा मेरा सुझाव है कि नेशनल इंटिग्रेशन कौंसिल की एक स्पेशल मीटिंग इसपर विचार करने के लिए होनी चाहिए और साथ ही इनके लिए सेप्रेट मिनिस्ट्री का गठन किया जाना चाहिए ताकि पिन प्वा-इन्ट किया जा सके कि ऐसी घटनायें क्यों हो रही हैं ।

अन्त में कन्वर्जन के बारे में भी जिक्र करना चाहूंगा । इस बात की चर्चा है कि यहां पर विदेशों से पैसा आता है जिस-के कारण ऐसा होता है । लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है ।

अभी होम मिनिस्ट्री की कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग में जो नोट प्रावाइड किया गया वह मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा । मैं उसके बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता । मीनाक्षीपुरम का जिक्र करते हुए उसमें कहा गया है :

"A total of about 2,000 Harijans have embraced Islam during 1981 uptil now. In Tamil Nadu these conversions have taken place largely in Tirunelveli, Madurai, Ramanathapuram and Thanjavur districts Recently conversions have started taking place in North Arcot district also."

इसके आगे थोड़ा सा जिक्र और करना चाहूंगा । इस नोट के पैरा (7) में लिखा है :

"A crucial role is being played by the activists of the Jamaate-Islami-Hind and the Indian Union Muslim League as well as the proselytising agencies in the areas such as Ishatial Islam Sabha and the Tahligh Jamat in motivating the Harijans in favour of conversions and projecting this as the only solution which could bring the Harijans social status and strength."

ऐसी कुछ चीजें इसमें लिखी हैं। मैं शाटकर रहा हूं :

"Al Alam Al Islami (World Muslim Congress) has claimed credit for the mass conversion in and around Meenakshipuram. It has stated that the target for conversion of harijans to Islam for the year 1981 was 50,000 of which some 1700 have already been converted.

This number was expected to swell to 2,00,000 persons by the end of 1982.

The London-based Islamic Cultural Centre is reported to have worked out plans to convert 80 million of the 120 million Harijans in India to Islam with financial largesse from the olirich Islamic Gulf States and other Arab nations.

The move is stated to be aimed at raising the Muslim population in India from 80 millon to 200 million in the next decade.

यह कन्सल्टेटिव कमेटी में होम मिनिस्ट्री ने जवाब दिया है ।

जिसमें से मैंने कुछ अंश पढ़े हैं । (*Interruption*) I can lay the paper on the Table of the House.

एक माननीय सदस्य: कौन से दिन ?

श्री सूरज भान: सितम्बर 1981.

सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । होम मिनिस्टर साहब से मैं इस बात की उम्मीद करूंगा, क्योंकि फारन कन्ट्री के पैसे का भी जिक्र किया गया है, जो पैसा फारन कन्ट्री से जिस परपज के लिये आता है, वह उस परपज के लिये खर्च हो । एक हरिजन अपनी इच्छा से इस्लाम धर्म अख्तियार करता है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन यदि लालच देकर या किसी और ढंग से कन्वर्ट किया जाता है, जो बिल्कुल गलत है।

प्रो. मधु दण्डवते: जो लोग यह समझते हैं कि विदेशी पैसा लेकर ये कन्वर्ट होते हैं, तो हमें उनसे पूछना चाहिए कि जो लोग कन्वर्ट होते हैं वे काफी इकानामिक कन्सेशन लूज करते हैं । हरिजन ऐसा है कि बिकाऊ आदमी है । फारेन पैसा लेगा, कन्वर्ट होगा और साथ ही साथ इकानामिक कन्सेशन लूज करेगा ।

श्री सूरज भान: सभापति महोदय, कोई हरिजन डायरेक्टली पैसा लेकर कन्वर्ट नहीं होता है । उनमें एजेन्ट्स किएट होते हैं, जो उनको बरगलाते हैं, गलत प्रोपैगंडा करते हैं । उसके लिए करोड़ों रुपया खर्च होता है ।

मैं मांग करना चाहता हूं कि जहां कहीं एट्रासिटीज होती हैं, शैड्यूल्ड और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज विक्टिम्स होते हैं, उनको रिहैबिलिटेट किया जाए । उनके बच्चों को रिहैबिलिटेट किया जाए । यह एट्रासिटीज कोई एक दिन में नहीं होती हैं। इसके लिए काफी अर्से से माहौल होता है। उनके जो ग्रिवेंसिस पैंडिंग होती हैं, उनको प्राप्टली सौल्व किया जाए । अगर इन सुझावों पर अमल करेंगे, तो शायद कुछ कमी हो सके, बिल्कुल खत्म होना तो नामुमकिन है, जब तक कि यह कांग्रेस है ।

SHRI KUSUMA KRISHNA MURTHY (Amalapuram): Mr. Chairman, Sir, it is my personal experience that the subject of Scheduled Castes is the most convenient subject which gives everything to every political party at every time and any time to exploit it for their own political ends. Their social inequality and economic backwardness are the important subjects at every election to every political party. The subject of their upliftment has been the pivotal point in formulating the policies of every Government formed by any party. The subject of 'Atrocities on Harijans' is a regular ritual undertaken on the floor of this House during every session and they start with an assurance that they will not politicise the issue. But when we go through their speeches, actual contention made by them clearly gives one the impression that they are certainly politicising the issue for their own ends. When they make such sweeping statements that the subject of atrocities on Harijans is the responsibility of a party or the exclusive responsibility of a Government, I do not understand their real intentions. When they speak like this saying that responsibility lies on one political party, it only exhibits their lack of understanding of the whole issue.

Mr. Chairman, Sir, you have read out an Editorial while making your speech emphasing the fact that it is the primary responsibility of all parties to solve this problem. If that is the case, if that is the fact, how can we blame any Government or any political party?

They look at it only from an angle which is a political angle. When I went round the country with the Parliamentary Committee on the welfare of Scheduled Castes and Tribes, to study the problems I came to know how their problems were mishandled. And when I have personally visited those places where the atrocities were committed on these innocent Scheduled Castes, I could find in most of the cases, that they have not just killed the Harijans but terrorised them while killing because they want to teach them a lesson wherever these people try to assert themselves. The reasons are quite simple. I would not like to go into them in detail because this subject has been discussed time and again in this House. But I would only like to go into the fundamental cause of this problem.

Sir, whenever persons belonging to Scheduled Castes try to become assertive or insist to allow their bonded labour to continue or resist the insult meted out to them or try to protect the honour of their women or ever demand a minimum wage which the society as a whole is not able to accept, they would try to teach them a lesson. In fact, I have found these truths, during my earlier visits to places like Villupuram, Belchi, Pathad, Dharmpur and Marathwadvada and during my recent visits to places in U.P., Bihar and Tamil Nadu. In these places, they have not just killed the Harijans but they have terrorised them by way of indulging in cruel acts while killing them. The whole blame is on the society as a whole and the society is responsible for these kinds of atrocities, not only the State Governments or only the Party which was formed the Government. Therefore, the problem should be viewed in its totality and those who speak here should try to offer a solution from the bottom of their hearts. Therefore, it is a question of attitude not atterances. Simply making some sweeping statement and giving speeches at given intervals on the floor of this House does not solve the problem. My friend, Mr. Paswan, was talking about the intentions of the Government. I am really sorry to say that the persons are fighting with the Government instead of offering some concrete solutions to these problems. For instance, some hon. Members have talked about the economic backwardness. In one of the Parliament-

ary Committee Meetings, it has been made very clear that the fruits of plan expenditures did not properly reach the Harijans so far. The fruits of the plan expenditures in thousands of crores of rupees allocated for the various schemes did not properly reach the Scheduled Castes of the society. Therefore, we have insisted that unless the Government makes special allocations for the upliftment of Scheduled Castes, the problem would not be solved. Accordingly special component Plan with substantial allocation was brought out by this Government. Now, the question of implementation of these schemes is a crucial thing because here the caste-biased bureaucracy comes in the way. Mr. Paswan said that the intentions of the Government are not clear. But he himself made a self-contradictory statement by saying that the Government that is, the Prime Minister and the Home Minister have written to the various State Governments during 1980 itself about the comprehensive measures to solve the problem of atrocities on Harijans by formulating various measures like preventive, precautionary and punitive measures. In the case of punitive measures, they have not been able to implement them properly. The Government should take note of it with all seriousness. Wherever the District Magistrates and the Superintendent of Police are held responsible, things are all right there. But making District Collectors and the Superintendent of Police responsible for cases of atrocities on Harijans have not been properly formulated so far. The result is that they are not able to account for the atrocities committed on these people in their areas. They are simply justifying the acts by giving answers, but they are not able to solve the problem. Therefore, this is a problem which should be tackled with all seriousness but not by giving answers to justify the acts of officials. The Government had already suggested various measures and as soon as these measures were indicated to the various State Governments, some of the States had already taken actions. For instance, in Andhra Pradesh, they have set up Special Courts to deal with these cases. But these special courts should function with objectivity in solving their problems instead of creating further problems through their functioning. Therefore, again it is the question of implementation. In some of the States wherever the atrocities are committed, they have expedited the cases and given the judgements thereby many of the culprits were brought to book, which fact Mr. Paswan denied. I don't however, claim that the Government has solved the problem, but it has taken steps in the right direction. It has gone too far, but still much has to be done. Therefore, Sir, the allegation that he is making that the Government has failed totally is incorrect.

Sir, they are accusing the present Government and its leader. In the previous Parliament, when I was sitting in the opposite side, I talked to the friends on this side about the one important issue concerning the Scheduled Castes. At that time the Reservation Bill was almost lapsing. I requested my friends belonging to the Scheduled Castes who were sitting on the Treasury Benches at that time to ask their government to bring in the legislation for extending the reservations. But, Sir, they were not successful. The moment Mrs. Gandhis' Government came back to power, the first piece of legislation she brought forward was concerning this issue by extending the period of reservation. Some of these leaders even question: who are the Scheduled Castes and they also used to asked why special safeguards were necessary for the Scheduled Cates? When the leader of Shri Paswan, Shri Charan Singh was Home Minister during 1978, the highest number of atrocities were committed on the Scheduled Castes in the history of the country and the number was about 16,000. The present Government has been successfully trying to control such incidents. The point is even during the present Con-

[Shri Kusuma Krishna Murthy]

gress, Government even if they are committed less there is no justification at all. It is not the question of more or less, but why should these atrocities be committed on the Scheduled Castes alone?

When Shri Charan Singh was the Home Minister, he was trying to translate the human agony of these atrocities on Scheduled Castes in terms of percentage. He was then calculating that if there is reservation of 12 to 15 per cent, atrocities can be to the extent of 2 to 5 per cent. If they evade the issue in this way, they can never solve the problem.

When Mrs. Gandhi came to power whatever suggestions were given to her, she acted on them. Whenever we wrote about the atrocities to the Home Ministry we got prompt replies The Government examined the cases and wherever it found that these things are happening, it took all possible steps to discourage its recurrence. The State have been instructed to take prompt action. Now there is a special machinery to see that proper and prompt action is taken. Therefore, I say when Mrs. Gandhi came back to power, she understood the problem, took special action to alleviate their economic difficulties and also to see that these atrocities are brought down to the minimum.

Sir, this problem should be looked at at the national level and all parties should come together to solve this problem. Unless you strengthen the weakest link a chain, the purpose for which you are making efforts to strengthen the nation will be defeated. Not only that the hard earned independence of the country will be endangered. So, the weakest section of the society, namely Scheduled Castes should be strengthened. only in the interest of the nation. Therefore it is the responsibility of the whole society. Therefore, national conscience should be developed to respect and uplift these people Just making allegations against one another will never solve their problem. Therefore, I strongly urge upon the political parties that they should not exploit the subject on the floor of the House any more. All parties should make sincere efforts to come together on this vital issue and evolve a national policy to solve this problem soon only in their interest and in the interest of the nation as a whole.

SHRI C. T. DHANDAPANI (Pollachi): Mr. Chairman, Sir the House has discussed this issue on many occasions, but we are not seeing any tangible result out of the discussions so far. The funny part of it is that whenever the incidents take place in various areas, the Central Government calls for report from the respective States. The State Governments also gave certain data and other reports to the Centre, which are known to Members of Parliament. The matter ended there. Thereafter, no follow-up action is being taken either by the Centre or State Governments.

As Mr. Paswan said, we have been discussing this issue for many years now, i.e. for three decades. But the condition of Harijans and Adivasis has remained the same. As Mr. Krishnamurthy asked, has the Government got any intention to evolve a policy, and to find out a new method to stop this kind of atrocities against Harijans?

I do not want to quote the incidents which have taken place all over India. But there is one important thing which Government can do in the matter of their economic development. For example, most, or the majority of Harijans are landless agricultural labourers. Sir, as you have stated, there is the question of distribution of lands to the poor Harijans. Even that small thing has not been achieved so far. I do not know the reason. Of course, the powers and functions are all with State Governments. Chief Ministers of States and others are being consulted by the

Centre every now and then. Chief Ministers give some figures about what they have achieved. But when we make a physical verification, the achievement is nothing else but Nil. That is why there was a demand in this House that Harijans should be given a proper place in the industrial sector also. Nowadays even the public sector units do not provide them with adequate do not provide them with adequate and legitimate employment opportunities. Secondly, the private sector units totally neglect them and deny jobs to Harijans. So, Government should come forward to help Harijans by providing for reservation in the private sector also. I had brought in a Private Member's Bill in 1972 in this very House demanding it.

The private sector units which get financial assistance either from the States or the Centre—or from financial institutions—must provide some reservation, some percentage, so that Harijans can come up economically.

As far as the agricultural sector is concerned, the landlord has got a direct domination over the Harijans. The Harjan works under the landlord. The latter can dominate him. The Harijan can be used for any purpose, like an animal. But suppose the Harijan gets a job in an industry, the owner of the industry will have no domination over him. That is why I say the Harijan should be given a proper place in the industrial sector also. This can be done.

Of course, the Prime Minister has written to all the Chief Ministers to provide employment opportunities to Harijans. It is just an appeal to the Chief Ministers. I don't think it will help Harijans. It will not even satisfy the Government. So, I request the hon. Minister and the Government to bring in a separate legislation in this regard—i.e. to provide more employment opportunities to Harijans. If a Central legislation is there, it will help. If any private sector unit denies employment opportunities to Harijans on the plea of merit, efficiency and other things, licences should not be granted to it. Many people talk about qualifications and merit and other things. I come across to an interesting news item about Kanyakumari District of my State. 13 students qualified themselves for priesthood. Out of 13, 3 were Harijans and 10 belonged to the other community. So, 10 students will be getting jobs in any temple because they are allowed. Even though the Harijans were qualified for a particular post, they were not allowed because a Harijan cannot become a priest. That is why when my party was in power, we brought forward a legislation in the Tamilnadu Assembly saying that whoever it may be, whether he is Brahmin or non-Brahmin, if he qualifies himself for a particular post, namely, priest, he should be given that post. That Bill was struck down by the Supreme Court. There is a need for amending the Constitution in accordance with the judgment of the Supreme Court. I would appeal to the Government to see that this kind of liberty, right should be incorporated in the Constitution. Not that every Harijan will go for a priest's job, but at least we should give recognition to the community.

About atrocities, I have already stated that no follow-up action is being taken by the Government. For example, in Vellupuram, atrocities are being committed on Harijans. Many houses were burnt. Even the Parliamentary Committee was to go there. The present Chief Minister stopped it. He was against the visit of the Parliamentary Committee saying that no Member of Parliament or the Parliamentary Committee should visit the affected areas. Then he immediately ordered setting up a commission on the 28th July, 1978. The Inquiry Committee also submitted its report to the Chief Minister. Till today no action has been taken by the State Government. I pleaded about it with the officials of the Home Ministry the

[Shri C. T. Dhandapani]

other day. The Scheduled Caste MPs called a meeting and in that meeting I also wanted the Government to get the report and make it available to the Members and see what action should be taken by the State Government on that matter. Neither the Central Government nor the State Government has done anything in this matter. Our present Home Minister knows the fact because I have confidence in him. Certainly he will look into this matter.

About Meenakshipuram, he said, my friend has stated about the conversion. Why conversion took place? Not that Harijans want to embrace Islam but because of local conditions. The police with caste Hindus suppress the Harijans. Wherever they go, they will be beaten. First they appealed to the Government and the Chief Minister. Then they became Muslims. When they became Muslims, they embraced Islam. They have got the protection and that is the reason why they embraced Islam. For example, I visited Parmakudi along with Mr. Makwana. I went to a village. There I asked a boy, "Why did you embrace Islam?" He said, "If I put a cap on my head, nobody would touch me. Even if anybody touches me, I will go to Parmakudi and collect Muslims against them. So long as I remained Hindu Harijan, I was being tortured and humiliated."

Then it seems that the Home Minister stated that money played an important role in this conversion. If it is true, then I am sorry, this kind of statement does not make sense.

If money can play havoc or something like that in Meenakshipuram, why cannot the same money attract the Harijans in other villages? How has it failed? The Home Ministry should think over it. The Harijan is humiliated when he remains a Hindu Harijan. If he goes to some other religion he is humiliated. Even after conversion he is being humiliated as having converted by taking money. They are being treated like animals. Therefore, I would request the Government to rectify the statement, or correct their statement. Therefore, this kind of allegations against Harijans should not come again.

About this Puliangadi incident, here also the Police is responsible. If Police could have intervened at the right time the clash could have been prevented. About nine people died in Puliangadi. The Chief Minister in my State does not bother about these things. He has got some other work.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South): You are giving him trouble. You are responsible for his trouble.

SHRI C. T. DHANDAPANI: Therefore, what I would request the Government is, as my previous speaker has stated, the Government should identify these places. In this case I would request the Minister to declare Ramanathapuram and Tirunelveli districts as disturbed areas. The Government should declare them as disturbed areas. The Central Government should intervene in this matter and protect the Harijans or else many Harijans will be killed.

PROF. N. G. RANGA (Guntur): The whole district or part of it?

SHRI C. T. DHANDAPANNI: The whole districts of Ramanathapuram and Tirunelveli where this kind of incidents erupt often.

I would like to ask the Government what are the proposals of the Government which are to be implemented, for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, or to prevent the atrocities which are being committed on them?

There is another important matter. A special cell of Police force should be created in each State, under the Central Government, whether it is the

States run by the Congress Party or the Opposition Parrties. Such a special cell should be provided so that that cell can deal with the matter through the State Government, and the Central Government need not wait for the State Government's report and their action.

I once again request the hon. Minister to take action against some elements which are creating this communal tension in these areas to ban them.

AN HON. MEMBER: Name them.

SHRI C. T. DHANDAPANI: For example, Vishwa Hindu Parishad. This Parishad is completely backed by R.S.S. elements.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: That is Dr. Karan Singh's point.

SHRI C. T. DHANDAPANI: No, no. That is different. For Puliangadi this Vishaj Hindu Parishad is responsible. By saying that they are projecting Hinduism they created trouble in Puliangadi against Harijans. This kind of elements should not be allowed to function in this country.

Before I conclude, I once again request the Minister to spell out the future programme of the Government about the way the Government is going to tackle all these matters.

MR. CHAIRMAN: Shri Chandra Shekhar Singh.

17.59 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*].

श्री चन्द्रशेखर सिंह (बांका): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य राम विलास पासवान जी को धन्यवाद देना चहता हूं जिन्होंने देश के एक जलते हुए सवाल को यहां पर पेश करने की चेष्टा की और जो कुछ भी उन्होंने कहा है उनके दृष्टांतों से और विवरण से मतभेद हो सकता है, परन्तु आम तौर से जो दृष्टिकोण उन्होंने उपस्थित करने की चेष्टा की उसमें मतभेद की बहुत गुंजाइश नहीं है। हम सभी इस बात को महसूस करते हैं कि आज आजादी के 35 वर्ष बाद भी जहां सामाजिक रूप से हरिजन सर उठा कर चलने की कोशिश करता है, या आर्थिक रूप से अपनी हालत सुधारने के लिए कोई प्रयास करता है, या सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रयास होता है उसकी बड़ी ही तीव्र प्रतिक्रिया दूसरे वर्गों पर होती है और ऐसी भावना उनके मन में जगती है कि जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था चल रही है उसके परिवर्तन से उनके हितों पर आघात होगा, और इसलिए उसको रोकने के लिए वह बरबर और क्रूर व्यवहार करने पर उतारू हो जाते हैं।

18 hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The time allotted for this discussion was 2½ hours and that is over now. How long are you going to sit?

SHRI SUNDER SINGH (Phillaur): Till 7 P.M.

MR. DEPUTY-SPEAKER: All right, we will sit till 7 P.M. There are six Members to speak. Each Member will take not more than five minutes.

श्री चन्द्रशेखर सिंह: अनेक जगहों पर सद्भाव के भी उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि आम तौर से वह अपवाद के रूप में हैं और जो आज सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है उसमें हरिजन और गरीब तबके के लोगों को न्याय मिलने में जो बाधायें हैं उससे हम सभी लोग अच्छी तरह अवगत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सत्र में भी बोलते हुए यहां कहा था कि यद्यपि

[श्री चन्द्रशेखर सिंह]

सरकार की ओर से शुरू किये गये कार्यक्रम के प्रभाव से गरीब तबकों की हालत में सुधार हुआ देखने में आता है, लेकिन आज जो आर्थिक कार्यक्रम और विशेषतौर से किसान वर्ग को सहायता देने का कार्यक्रम हम अपना रहे हैं उसका मुख्य लाभ बड़े जमीनधारियां और बड़े लोगों को मिल रहा है जिसकी वजह से आज देहात में आर्थिक विषमता और दूरियां और बढ़ती गई हैं और तनाव भी बढ़ता गया । आज इन सभी बातों का प्रमाण देखने में आता है जिससे सारा सदन चिन्तित है और इस सदन के सभी हिस्सों के लोग इस बात से सहमत हैं कि इस अवस्था में परिवर्तन लाने और स्थिति में सुधार लाने के लिए कारगर कार्यवाही होनी चाहिए । इसके पहले कि इसके सम्बन्ध में मैं कुछ अपने विचार आपके सामने उपस्थित करूं, यह जानना आवश्यक है कि आज की स्थिति क्या है ? क्योंकि कई हमारे माननीय सदस्यों ने कहा यह सरकार कुछ नहीं कर रही है, या मुद्दों पर हालत और बिगड़ रही है ।

श्री राम विलास पसवान ने भी इस बात की चर्चा की कि केन्द्रीय सरकार ने व्यापक निर्देश इस सम्बन्ध में दिया है जिससे इस प्रकार की घटनाएं रुके और अगर घटना हो जाये तो सजा देने के लिए क्या कार्यवाही की जा सकती है । केन्द्रीय सरकार ने केवल निर्देश दे कर ही संतोष नहीं किया है, उसने इस बात की जानकारी हासिल करने की कोशिश की और उसको लागू करवाने की कोशिश की है जिससे उसके द्वारा दिये गये निर्देशों का पूरी तरह पालन हो और राज्य सरकारें उस पर तत्पर रहें ।

हमारे माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि जिले में यह आदेश होना चाहिए कि जो प्रमुख अधिकारी 4, 5 हैं, उसमें कोई एक व्यक्ति हरिजन होना चाहिए । मैं बतलाना चाहता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है, सरकार ने यह साफ आदेश दिया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीनियर सुपरिण्टेंडेण्ट आफ पुलिस, सुपरिटेंडेण्ट आफ पुलिस, सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट और सब-डिवीजनल पुलिस आफिसर, इन पांचों में से कोई एक हरिजन होना चाहिए और इस आदेश का पालन होना चाहिए । इस तरह से आज सरकार की ओर से जो कार्यवाही की जानी चाहिए, वह सरकार कर रही है ।

इस बात का जिक्र किया गया कि अनेक घटनाएं इस तरह की हुई हैं । बेलछी से लेकर देहुली, कफ़ाल्टा आदि तमाम जगहों में जो ऐसी दर्दनाक घटनाएं हुई हैं, जिनकी चर्चा सदन में अनेक बार हुई है, लेकिन केन्द्रीय सरकार के सुझाव पर राज्य सरकारों ने अनेक जगहों पर खासतौर से आन्ध्र-प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार और राजस्थान में स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था की है और उसका नतीजा यह हुआ है कि जिन मामलों के निष्पादन में वर्षों लग जाते थे, आज उसमें काफी तेजी आई है और अनेक मामलों में सजा काफी तेजी के साथ हो रही है । मैं अनेक उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं समझता हूं लेकिन बेलछी की चर्चा, जिसका जिक्र श्री राम विलास जी ने भी किया, उसका मामला हमारे सामने मौजूद है । आज जब हमारी सरकार अधिकार में आई तो उसने सख्त और कारगर कार्यवाही की, जिसका नतीजा है कि दो अभियुक्तों को मृत्यु दंड की और अनेकों को आजीवन कारावास की सजा हुई है ।

मैं याद दिला कर विपक्षी दल के माननीय सदस्यों को तकलीफ नहीं देना चाहता हूं कि उनके कार्यकाल में जब यह घटना हुई तो किसी मंत्री ने बेलछी गांव में कदम रखने का कष्ट तक नहीं किया ।

आप जानते हैं कि उस समय जो विरोधी लोग थे, उनमें ही वह निर्दली सदस्य थे, जिनका उसमें मुख्य हाथ था, और आम तौर पर धारणा यह कि उनकी सरकार अवांछनीय तत्वों को प्रोत्साहन दे रही है। चाहे कफाल्टा हो, विश्रामपुर हो, पिपरा हो इन तमाम जगहों पर एक वर्ष में सजाएं हुई है और सख्त सजायें हुई, कहीं कहीं पर तो 35 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई, जिसका असर पड़ता है।

मैं यह उदाहरण इसलिये दे रहा हूं, यह बात सिद्ध करने के लिये कि भारत सरकार और राज्य सरकारों को इस दिशा में जो कदम उठाने चाहिये, वह जागरूक हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिये आरूढ़ हैं।

एक माननीय सदस्य, खासतौर से हमारे श्री सोमनाथ चटर्जी ने बार-बार यह कहा कि हमारे कार्यकाल में यह घटनायें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, मैं आपको आकड़े देना चाहता हूं जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि सबसे अधिक हरिजनों पर अत्याचार की घटनायें अगर किसी समय में हुई तो वह जनता पार्टी के राज्य में हुई। किस वजह से हुई, आप सीधे इसके लिये जिम्मेदार हैं या नहीं, यह निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ना चाहता हूं। मैं तो तथ्यों का वर्णन कर रहा हूं, किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं। लेकिन आंकड़े इस प्रकार हैं : 1976 में जब हम लोगों की सरकार थी, 5968। 1977 में 10879—जस्ट दि डबल। 1978 में 15070। 1979 में हम लोगों की सरकार बनी, तो इस संख्या में गिरावट आई, कमी हुई, कम से कम जो उसकी रफ्तार बढ़ रही थी, वह रुक गई। हम इसमें अपनी असफलता मानते हैं कि हम इसमें जितनी कमी करना चाहते थे, उसमें हम कामयाब नहीं हुये। लेकिन फिर भी उससें कमी आई है। 1979 में 13975, 1980 में 13866 और 1981 में 14308। इससे स्पष्ट है कि पिछले दस वर्षों में सब से कम घटनायें 1976 में हुई और सबसे अधिक घटनायें 1978 में हुई। मैं नहीं कहना चाहता कि इसमें जिम्मेदारी किस की है और इसके लिये इस सदन में कौन दोषी हो सकते हैं।

लेकिन मैं मंजूर करूंगा कि इस देश में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते अगर इसकी जिम्मेदारी किसी पर है, तो सब से अधिक हम लोगों पर है, कांग्रेस पार्टी पर है और हमारे नेतृत्व पर है। जब हम देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो यह हमारी जिम्मेदारी है इन बाधाओं को लांघने, मिटाने और हटाने की। मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों से खास तौर से कहना चाहता हूं कि अगर वे समझते हैं कि कल की बात का, उनके विचार का, उन की कार्यवाही का, उनकी गतिविधि का कोई असर नहीं पड़ता है और सारी जिम्मेदारी हमारी है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। आज के कनटेक्सट में वे जितना समझते हैं, उतनी दूर तक उन्हें इरेलिवेंट (irrelevant) मानने के लिये तैयार नहीं हूं। आज की दशा के लिये उन की भी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है, यह भी मैं दो चार शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं।

मैं सदन के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि हर सत्र में बहसें होती है और सदन के सभी हिस्सों से लोग कहते हैं कि इस स्थिति में सुधार और परिवर्तन होना चाहिये, इन वर्गों के साथ इंसाफ होना चाहिये, भूमि-सुधार का कानून लागू होना चाहिये, उन को वाजिब मजदूरी मिलनी चाहिये, लेकिन यह परिवर्तन क्यों नहीं हो पाता है। यह परिवर्तन इसलिये नहीं हो पाता है कि पोलीटिकल पार्टीज के आर्डर आफ प्रायर्टीज में, प्राथमिकताओं की सूची में, इसका स्थान बहुत नीचे हैं। हमारे लिये राजनीति

[श्री चन्द्रशेखर सिंह]

सर्वोपरि है । अगर हरिजन आदिवासियों को, गरीब तबकों को, इंसाफ दिलाने के लिये साहस के साथ कदम उठाने की बात हो, तो हमारे पांव कांपने लगते हैं । हम इंसाफ को दबा कर राजनीति को जिन्दा रखना चाहते हैं ।

आज विरोधी दलों और विरोधी दलों के माननीय सदस्यों की क्या गतिविधियां हैं और उनकी तरफ से क्या चेष्टायें हो रही हैं ? कल मैं टी वी देख रहा था, और गौर से सुन रहा था प्रो० चक्रवर्ती की बात । हम समझते हैं कि इस संबंध में सी पी आई (एम) काफी आगे है । लेकिन उनके अनुसार पार्लियामेंट में सबसे पहले इस प्रश्न पर बहस होनी चाहिये कि हरियाणा में गवर्नर साहब ने क्या किया ।

(व्यवधान)

SHRI JAI PAL SINGH KASHYAP (Aonla): It is a clear murder of democracy.

श्री चन्द्रशखर सिंह : वह विषय अपनी जगह पर है । मैं नहीं कहता कि आप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, लेकिन आपकी प्राथमिकता क्यों हरियाणा की तरफ दौड़ती है । कारण यह है कि आज आप उन राजनैतिक प्रश्नों की खोज में लगे हैं, जिन पर आप सभी इकट्ठे हो सकें । आर्थिक प्रश्नों को उठाने से विरोधी दलों में दरार पैदा हो जायेगी, दीवारें खड़ी हो जायेंगी, सब गुट अलग अलग हो जायेंगे । इस लिये आप आर्थिक प्रश्नों को छूने का साहस नहीं करते हैं । सी पी आई (एम) जैसी पार्टी भी सबसे पहले मंत्र-पाठ करती है, हरियाणा के श्री तपासे का नाम लेती है और गरीबों का सवाल उसकी आंखों से ओझल हो जाता है । (व्यवधान)

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : आप कुछ कर के दिखाइये ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह: मैं अगर नहीं कर पाता हूं तो मैं आप से ईमानदारी के साथ कहता हूं कि अपनी असफलता को मंजूर करने के लिए तैयार हूं । कम से कम इतनी ईमानदारी आज कांग्रेस पार्टी में मौजूद है । हम समझते हैं कि हरिजनों, आदिवासियों और गरीबों को इन्साफ दिलाने के लिए हम ने आज तक जो कुछ किया है वह बहुत नगण्य है, मन्जिल से बहुत दूर है । लेकिन यह भी निश्चित है कि इस देश में अगर पार्टी ने या किसी नेता ने हरिजनों और गरीब तबके की हालत में सुधार करने के लिए हिम्मत के साथ कदम उठाया है तो वह कांग्रेस पार्टी है और श्रीमति इन्दिरा गांधी का नेतृत्व है । कोई दूसरा नेतृत्व नहीं है ।

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Do you really believe what you say?

SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH: Yes. Certainly.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Can you question the motive?

श्री चन्द्रशेखर सिंह: मैं प्रोफेसर चक्रवर्ती जी से कहता हूं कि हर आदमी का इम्तहान होता है और मैं केवल माननीय सदस्य नहीं रहा हूं, मैं अपने सूबे में मंत्री भी रहा हूं, मैं आज यहां कह रहा हूं, लेकिन मौके पर मैं ने ईमानदारी से इस को लागू करने के लिए चेष्टा भी की है । मैं उस का जिक्र यहां नहीं करना चाहता हूं । लेकिन आज मैं यह समझता हूं कि हरिजनों की हालत में सुधार लाने के लिए अगर कुछ करना जरूरी है तो बुनियादी तौर पर उन के लिए आर्थिक प्रश्नों का समाधान निकालना है । यह सब से बड़ा सवाल है । आज इस सदन में कोई भूमि सुधार की चर्चा नहीं करता है । धीमी आवाज में चर्चा करता है । आज कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी रेम्युनरेटिव प्राइस की चर्चा करते हैं । बड़े बड़े फार्मर्स को पूरी प्राइस मिले इस के लिए परेशान हैं । आज

डी एस पी के नेता धरना देने के लिए तैयार हो जाते हैं इस लिए कि कुल को ज्यादा दाम क्यों नहीं मिलता है ? आज ये सवाल उन के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं । हमारी भी कमजोरी है और जो देश का वातावरण है हम लोग भी उस से प्रभावित हो जाते हैं । प्रोफेसर चक्रवर्ती बराबर हम से पूछते हैं कि हम लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, समाजवाद से भटक रहे हैं । मैं ने आज भी उन को उत्तर दिया है कि आप इस बात को समझते हैं कि आप की पार्टी में वह ताकत नहीं है, मैं कोई आक्षेप के ख्याल से नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह तथ्य है कि आप आज राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नीतियों का कार्यान्वयन करा सकें यह ताकत आप की पार्टी में नहीं है । इसलिए आप के लिए भी यह उचित है कि देश की जो सब से बड़ी पार्टी है और समाजवादी और प्रगतिशील पार्टी है उस को समर्थन दे कर अपनी नीतियों को हमारे द्वारा कार्यान्वित करवाने की चेष्टा करें । आज देश का और समाज का कल्याण इसी में है । और कोई रास्ता नहीं है ।

आज हमारी जिम्मेदारी जरूर है, इस देश में अगर हरिजनों पर कोई अत्याचार होता है, अगर उन को इन्साफ नहीं मिलता है, गरीबों को सताया जाता है तो इस की जिम्मेदारी सब से पहले हम कांग्रेस पार्टी के लोग अपने माथे पर लेने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमें इस काम को पूरा करना है । इस देश में कोई दूसरा आदमी, कोई दूसरा दल या कोई दूसरा नेतृत्व इस काम को नहीं कर सकता है । इसलिए मैं आप से कहता हूं कि राजनैतिक दल के लोग भी इस बात को याद रखें, यह हमारा पेरिफेरल प्रोग्राम हो जाता है । और सारे प्रोग्राम हैं लेकिन किनारे पर का यह कार्यक्रम हो जाता है । जिस दिन आप तमाम लोग अपने कार्यक्रमों में इस को केन्द्र बिन्दु बना कर आगे बढ़ेंगे, सेंट्रल प्वाइन्ट इसे बना देंगे उस दिन हरिजनों की हालत में जरूर सुधार होगा और जो अत्याचार और अन्याय की कहानियां रोज सुनने में आती हैं वह बन्द हो जाएंगी, इस में कोई शक नहीं है । सारे सदन के लोग इस में शामिल हो जायं, एक राय से काम करें और सभी लोगों का विश्वास इस पर है तो क्या कारण है कि हमारा विश्वास कार्यरूप में परिणित न हो सके और जमीन पर वह साकार न हो सके ।

आज तमाम जगह तो अत्याचार हो रहे हैं वह जमीन के नाम पर हो रहे हैं। उन को कोई जमीन सरकार देती है, पट्टा देती है, वह कब्जे में दूसरे के है, वह चढ़ने नहीं देता है । हरिजन गरीब उस जमीन पर जाने की कोशिश करता है तो उस की गर्दन उतारी जाती है । अगर वह गरीब हरिजन वाजिब मजदूरी मांगते हैं, हिम्मत करते हैं, संगठन करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो दूसरी तरफ से भी सशस्त्र हमले किए जाते हैं, उस को दबाने के लिए, हमेशा के लिए उस को रोकने की कोशिश की जाती है । इसलिए हमारा और आप का कर्तव्य हो जाता है कि हम आप मिल कर अपने कार्यक्रमों में खास तौर से इस कार्यक्रम में राजनीति से हट कर इस को केन्द्र बिन्दु बना कर काम करें तो हमें विश्वास है कि हम सफल होंगे और यह अभिशाप जो देश के माथे पर है वह अभिशाप दूर होगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह और भी कारगर कार्यवाही सदन के सामने स्पष्ट करें, साफ करें । और किस तरह से आर्थिक क्षेत्र में, भूमि सुधार के मामले में, न्यूनतम मजदूरी दिलाने के मामले में सख्त कार्यवाही की जायेगी, इसका विवरण इस सदन के समक्ष दिया जाए जिससे कि इस देश को संतोष हो सके, इस सदन को संतोष हो सके, गरीबों को संतोष हो सके तथा हरिजन आदिवासियों को संतोष हो सके तथा उनकी रक्षा करने के लिए श्रीमति इन्दिरा गांधी का नेतृत्व और इन्दिरा गांधी की सरकार मौजूद है और वह उनको हमेशा प्रोत्साहन और मदद देने के लिए तैयार रहेगी ।

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East): Sir, the Minister-in-charge of Home Affairs—I do not know how long he will be in this job, because he is already the Minister of Defence—we had a hope to see him in the Rashtrapati Bhavan. But unfortunately, we did not have that opportunity. I hope during the time he is in the Home Ministry, some fun-

{Dr Subramaniam Swamy}

damental difference comes about in the method of working.

The subject which we are discussing is not new to the House. We have discussed it before. The only thing, for which I am grateful, is that we are discussing it now before midnight. In the past, we had always discussed this subject from 9 p.m. to about 4 a.m. of the next day morning, when the rest of the country was sleeping.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We are discussing on the first day itself.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: We are discussing on the first day and I hope we will discuss it on the last day also. The question is one of credibility. If they can manage the affairs of the country in terms of law and order, if they can give security to the Harijans, well, we shall all be very happy. But if they cannot, they must be honest enough to say that they are not in a position to do so and then certain logical conclusions would follow. So, their party colleague, Shri Vishwanath Pratap Singh in Uttar Pradesh has said that he could not protect the life of Harijans and so he resigned. He said, "I cannot manage". It is for Shri Venkataraman and his senior colleagues—there is only one senior colleague—to decide.

SHRI R. VENKATARAMAN: You are looking for an easy way to come over to this side.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: You found an easy way in July, 1979. We are also looking for something like that.

Therefore, it is for them to decide. Look at the balance sheet. During the last two and-a-half years, has there been any improvement? Shri Chandrashekhara Singh seemed to have quoted some statistics. He quoted figures for the years 1976, 1977, 1978, 1979 and 1981. But he did not quote for 1974. In 1976, naturally, there were fewer cases because people were afraid to go to the police station and to register the case. If anybody goes to the police station, he would immediately be given *Nasbandi*. So, people did not register. I would ask him, look back to 1974. Tell me, how many cases in 1974 as compared to 1977. Therefore, it is not enough to quote statistics. We know, it is happening and it is happening in a big way. Why it is happening? I am not saying that their policies are promoting it. I say and I said it before that there are two fundamental conflicting tension points in our society.

SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH: In 1974, the figure was 8,860.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Well, then you deflate it by the population figure in whatever scientific way you can. (*Interruptions*) That is all right, Sir. We cannot take pleasure in 20 more or 20 less. Therefore, I will say, we should understand the sociological conditions of what is happening. I am not saying, their policies are responsible. But they are not understanding the basic dynamics of what is happening. The Harijans are being given the political equality, in terms of right to vote. But there is no commensurate change in the economic situation. I have seen the National Sample Survey data and I am surprised to find that when it comes to unemployment, when it comes to indebtedness, when it comes to poverty, more than 71 per cent of the Harijan population is unemployed, more than 75 per cent of the Harijan population is below the poverty line. In fact, what is surprising is that 74 per cent of the indebtedness is there in this community.

Now, on the one side, you have the political right, equality guaranteed in the constitution and, on the other side, you have this kind of an economic situation. This is going to generate tension. This is what Dr. Ambedkar said in the beginning. It is he who said that you have put a time-bomb in this whole matter because, on the one side, there is the political equality but, on the other side, you are not making sufficient changes in the economic situation. This is one point that the Home Minister has to come

to grip with. As to how he should do, I will suggest something in a moment.

The second thing is that there is a growing number of young Harijans who are getting educated and who are not prepared to put up with this nonsense. I know from my personal experience. I had occasion to go not once but several times to Meenakshipuram and I had occasion to stay there. I was surprised to see elder Harijans willing to put up with indignity but the younger people are not prepared to do that. In Meenakshipuram, the people who got themselves converted were young Harijans. This is the point I mentioned last time and I am repeating again today. It was the doctor, the engineer and the Sub-Inspector of Police, these people who were converted. Will they convert themselves for money?

The hon. Member, Shri Suraj Bhan, quoted the Home Ministry's report. I would like the Home Ministry to come out and say whether they stand by this report. It is a disgrace. If it is true, it means that somebody in the Home Ministry is working against the national interest. What is the proof that they are converted for money? My hon. friend, Prof. Madhu Dandavate, has said very rightly that when a person, specially a young person converts himself, he is giving up all the economic facilities that the constitution has given to him and which he is able to take advantage of. If still he is converting himself, it means that there must be something terrible that is going on.

I just today got a letter from one Shri Amba Samudram; this is about the most-prone district of Tirunelveli. I will be happy to give it to the hon. Minister. It is in Tamil. After great difficulty, I was able to read it. It is written in DMK Tamil, not in Brahmin Tamil. What does it say? It gives instances after instances of a particular community which is engaged in committing atrocities. Unfortunately, that community, a good portion of that community, which is represented in the legislature is with MGR's party. Therefore, MGR is terrified to do anything in front of them. That is the reason.

Here is a class which is not a very prosperous class. But this class certainly feels that they are in power; they are in police; they are here and they are there and they can do anything they want. I went to Meenakshipuram. If any murder takes place there, what have the people of Meenakshipuram told me? They told me that if any murder takes place, then the police has to show that they interrogated so many witnesses. They said that they will come to a village, take a few people, beat them and enter into a register that they interrogated 'X', 'Y' and 'Z'. They are all Harijans. They cannot speak out. One incident was so terrible that every person there was beaten up and therefore, the people there could not stand. The younger generation took the lead and others followed.

The question here is that of socio-economic situation that is prevailing. They are not addressing themselves to it. I can certainly find political arguments to say that we were better than they are. I can quote a number of instances of what Shri Morarji Desai as the Prime Minister did. But that is not enough. What is to be done here is that they have to address themselves to this problem seriously.

Take the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Is it read by anybody? In fact, many years ago, there was the Elaiperumal Committee Report which quoted volumes in terms of references. This report is being completely ignored. Has the Home Minister read it? When the President of India comes to deliver his speech before the members of the two Houses, does he refer to it? Has the Cabinet ever devoted one day to discuss the report? There is no such thing. There is one speech made and forgotten. I would like to know from the Home Minister whether in the course of his reply to the debate he will come out with some concrete

[Dr Subramaniam Swamy]

suggestions. These are time-bombs. I can tell you that the younger generation, young Harijans, are not going to put up with this kind of a thing. This man is a peaceful Harijan. He only shouts. But there are others who are going to be angrier than him. He is already agrier than his father. But his succeeding generations are going to be even angrier. I can tell you when they come up with the same education and they find no difference between one caste and another caste, then why should he take it lying down? Then he will take to terrible methods. This is what we have to look at. I say this problem is not as big as all India. There are seven States where the preponderance is there....

MR. DEPUTY-SPEAKER: What are your suggestions?

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I am coming.

श्री राम विलास पासवान: इस लड़ाई में क्या आप हम लोगों के साथ नहीं रहेंगे ?

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी: क्यों नहीं रहेंगे ? जरूर रहेंगे । हम तो हरिजन हैं, आनरेरी हरिजन ।

I told him that I married outside my caste. Therefore, I also qualify to be a Harijan....

AN HON. MEMBER: He is a part-time Harijan.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Therefore, what can the Government do? That is the question you asked me and I can tell you. There are 7 States—Tamilnadu, UP, Bihar, Maharashtra, Madhya Pradesh, etc. Such States are there. In these States there are only 45 Districts which are prone to such things. First of all, let them set up a monitoring centre because whenever there is going to be an atrocity on Harijans, it is not spontaneous. It comes after simmering, after two weeks. Sometimes the Police Stations have advance information, even a month ahead, but they do not do anything about it as it happened in Meenakshipuram. They had advance information much ahead of the incident....

AN HON. MEMBER: In Gaya also.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Everywhere they have advance information. We know. In Mainpuri people said the same thing. People know it in advance....

MR. DEPUTY-SPEAKER: For my information, who is to be there in the monitoring centre—the local Police or some other Police?

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: They can have a special intelligence set up from the Centre. They should be living there. They should feed information. They should be monitoring reports on the state of health of these Districts. You will know exactly what is happening. There are only 45 Districts. Out of 400 districts, only 45 districts. He can find time and even read these reports on a daily basis as to what is happening.....

MR. DEPUTY-SPEAKER: If you give him the power, he will find the solution also.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I would like to become Prime Minister just now if his leaders are agreeable to it. I do not want to spoil your chance of remaining as Home Minister.

श्री रामस्वरूप राम: उपाध्यक्ष महोदय, गया में सुब्रह्मण्यम साहब के जाने के बाद से एट्रासिटी बढ़ी है, वहां पहले एट्रासिटी नहीं थी । इन्होंने जमीदारों और कुलक्स की मीटिंग बेला गांव में बुलाई थी तब से बढ़ी है ।

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Actually it was not me. After I went, the Harijans had a lot of confidence in that area. It is their Minister, Rameswara Prasad Singh वह गड़बड़ कर रहा है ।

SHRI RAM VILAS PASWAN: He has complained against him.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: This Ram knows that the other Ram is

creating all the trouble, but he will not come forward and he says that I am responsible. I am not responsible. I am responsible for giving confidence to the Harijans.

Sir, if he cannot do it, he can have a separate Ministry—a Ministry for Harijan Affairs and make Ram as the Minister-in-charge. They should have a monitoring unit. They have not done it. This suggestion I have given before. The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Shri Laskar —I do not know where he has gone— wrote to me a letter after my last speech, saying 'Please tell me which those 45 Districts are.' I am not the Home Minister to know which those 45 Districts are. I said, 'You send me your officers. I will sit down with them and on the basis of the reports tell them which those 45 districts are.' After that I got no reply. Here this is something which they can do and it will be effective.

Secondly, I would say that the Commissioner for Scheduled Castes should be given Commission status and he should be able to function under the Commission of Inquiry Act, with the same powers as a Commission. He can conduct the inquiry. He should not wait for them and depend on their co-operation. Let him have the powers under the Commission of Inquiry Act, 1952 to conduct inquiries. This is another suggestion.

The third suggestion is this. They say that it is a State policy. It is a State matter and 'we cannot intervene'. Sir, it is all wrong. Here is the Constitution and let me read out from Part XI, Chapter I of the Constitution—the Distribution of Legislative Powers and relations between the Union and the States. Article 247 says:

> "Notwithstanding anything in this Chapter, Parliament may by law provide for the establishment of any additional courts for the better administration of laws made by Parliament or of any existing laws with respect to a matter enumerated in the Union List."

That means they can appoint under Article 247, with the help of Parliament, Magistrates whose seniority supersedes the seniority of all the State Magistrates. It also means that the magistrates goes there and they can function there. They do not worry about the local magistrates because they are senior to all of them and they can take quick action. Have they taken quick action; on any of the other incidents that have taken place? (*Interruptions*) This is not a state matter. This is a matter for which Constitution has told you that it has got the first priority. The Untouchability Act, 1955 has given you such a fundamental right. So, by using Art. 247, they can even bypass the State Governments. They can have direct access. So, this is another suggestion that I make. I would say that we should channel all our Central assistance to plans for the scheduled castes and scheduled tribes through this Commission. Give the money to them and let them spend it but do not give that to the ministries. The ministries are always underspending it or by some methods they scuttle it. If the Home Ministry writes a report like this that foreign money and visits by so and so organisation four times a year is responsible for the conversion, it shows that it is totally insensitive. I do not know who is responsible in that ministry. You must find that out. Here the money is also not being spent. It must be done through the Commission. Then only the Commission gets some authority, some teeth, some money or some power. This is the thing that should be done.

I would like to conclude by saying that we have not really, in the last thirty years, done anything about the caste system. The caste system is the root cause of all evils. The caste system is totally anti-national—I consider. As long as the caste system is there, the National Integration Council work will be slowed down. The caste system must be fought against. Originally the caste system started with occupation and then it ac-

[Dr. Subramaniam Swamy]

quired its birth. I do not know where-from it acquired its birth. There is nothing in our Shastra. The whole Shastra is talking about the birth. Later on, with the birth qualification was added. Birth and occupation have nothing to do with the caste system. Now even the Brahmins are the Executive Directors of Bata Shoe Company. This is not the work of brahmins. Maybe, they may be sitting in air-conditioned rooms. They are manufacturing the shoes. There are kshatriyas who have become businessmen and there are vaishyas who have become professors. So, the relationship between caste and occupation has disappeared.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Satyasadhan Chakraborty, professor is a vaishya.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: No, Sir. He is a marxist. And marxist by definition is a viashya. They believe in dialectical marxism. That is the vaishya concept.

Now, Sir, we find that in the last thirty years, this relationship between caste and occupation has broken. Now there is superimposed caste by birth. That should be broken. That can be broken only if there is a campaign. You can take the help of the religious mutts. I was happy to see the photograph of the Home Minister with the Sringeri Shankaracharya. In that dress I have never seen him for a long time. He should come to Parliament like that. There is no harm in that. In this secular Government there is nothing wrong to call all the religious people and motivate them or you may use the National Integration Council for that purpose. The war against the caste system has to be launched with the help of the Government. If Shankaracharya object to it, then you bypass them. But, there has to be this attempt. Without that, it is not possible.

SHRI RAM VILAS PASWAN: They are anti-nationals.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Well, some of them may be cut not all of them. In fact the Shankaracharya of Kanchi has made the harijans into poojaris. You will we surprised to know this. I asked him what he wanted to do about the Meenakshipuram harijans who converted into Islam and reconverted back. I asked him to what caste they belong to. He said that they can belong to any caste. I asked him: 'Can you make them Brahmins?' He said 'Yes'. They should go to some district and declalre themselves as Brahmins. Who can stop them? No Supreme Court can stop them. He also said that, if they do not know Sanskrit let them come to my Match and I will teach them Sanskrit.

आपको शंकराचार्य का इतना भूत नहीं लगना चाहिए । एक-दो ऐसे हैं, सब नहीं हैं ।

Threfore, this is what he has to do but he is not in a position to do it.

Then, Sir, the radio must do proper propaganda against these myths. Mr. Dandavate when he was the Railway Minister got examined the matter and found there was no relationship with reservation and promotion nor in the same way are Harijan children different from other children. These are all superstitions and false propaganda. The radio must do the proper propaganda. On the contrary it is propagating that Harijans are a purchaseably commodity. There is no proper propaganda which shows that Government has no heart in this matter. Sir, if the Home Minister wants to do something different from his predecessor then let him come forward before the Parliament with concrete suggestions and the Opposition will be too happy to fully cooperate in this matter.

SHRI R. R. BHOLE (Bombay South Central): Mr. Deputy Speaker, Sir, I heard the speeches of my friends Dr. Subramaniam Swamy and Mr. Paswan with interest. Dr. Subramaniam Swamy has made some useful suggestions and, I think, they deserve to be exa-

mined by our Government. But, Sir, the problem which is being discussed here is not so simple. We all know that this problem is being continued for centuries. Many reformers have come and gone. Lord Budhha was, perhaps, the first rebel against the traditional high and low society as well as the caste system but even a great man like Lord Buddha and his religion were driven out of this country, they say, by Shankaracharya. How far that is correct has to be examined. But the fact does remain that this attitude of high and low which has a religious sanction even today has remained.

There was a section of our people in our country, at the time when freedom was fought, who said that there should be social revolution also along with the political freedom but we got rightly political freedom after a non-violent battle, thanks to the strategy of Bapuji with whom I had the good fortune also to remain for a year in his Ashram. But then what have we achieved today after 35 years since our political freedom? Have we really succeeded in eliminating this attitude of 'high' and low? Have we succeeded in bringing about equality amongst the citizens of our country? Did we narrow down the gap or social discrimination? Did we at least narrow down the economic inequalities. I am sorry to point out that although we have been making strenuous efforts and spending crores of rupees, we find that some of the surveys which have been made have clearly shown that the results are not equal to the efforts made. These results are not equal to the money spent.

We are discussing today only the problem of the Scheduled Castes. There are certain guidelines given by our Home Ministry on 10-3-80. It says:

> 'Comprehensive guide-lines on the precautionary, preventive, punitive rehabilitative and personnel policies: Measures that have to be taken for effectively checking crimes against the scheduled castes."

So, these were the guidelines sent by this Ministry. Sir, in our Fifth Plan we have spent Rs. 85 crores. In our Sixth Plan we will be spending Rs. 800 crores. In addition to this there is the Special Component Plan under which the States will be spending Rs. 4,000 crores. I am merely citing the amount of money spent by us. We have the 20 point programme in which there is a special point in favour of and for the benefit of the scheduled castes and the scheduled tribes. There is a special point to give minimum wages to everybody including these classes of people There is also a special point also to grant lands enough to meet the needs of everybody, including these classes of people. All these schemes are there. But he important questionis: Whether all this money given as per guidelines and plans and given by the State Government are prducing the full results? As I said earlier, the attitude which we had centuries ago, might have vanished now to a certain extent in our big cities and towns. Because of the industrialisation, becaue of the way of living of people in towns and cities, this discriminatory attitude might have faded a little and the problem solved to some extent. I don't know whether our friends Dr. Subramaniam Swamy wears a thread.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I am not wearing it.

SHRI R. R. BHOLE: I am glad you are not wearing it. Sir, person is born only once. But in our country some of the persons who start wearing threads are born a second time, without of course, the pregnancy of mother. This is a funny and clever sort of attitude which we are having. Some people say: 'I am higher than the other'. All these things happened because of the ancient conspiracy in labelling this 'high' and 'low' attitude with the sanction of religon. Everybody s made to think that he is higher than somebody next below him. Because of this position, everybody wants to keep himself in that place, because he knows that he has some people below him so that he can kick them. That is the most unfortunate part of it. Therefore what is the reason, why after so much money being spent and so much effort being made, it is not giving

(Shri R. R. Bhole)

enough fruits and enough benefits. The reason is that the bureaucracy—I think to a large extent, it is bourgeois—is still there with the same traditions, the colonial traditions. The bureaucracy is the same as it was during the days of the British. The bureaucracy consists also of persons who mostly belong to high and few of low. If some relief, if some benefit is asked for a smalll man, for a Scheduled Caste man or for a poor man, the bureaucratic who sits there—if he comes from a class different from the applicant—creates 101 hurdles and ultimately the relief is lost in the jungle of the procedure which we are still following. And that is the reason why after spending crores of rupees, we are not having the full benefit and the pockets and families of these poor Scheduled Castes people are not benefited.

Sir, I think I have brought out my points. In this context, I may point out that I have introduced two or three Bills in this House. One is that the Articles 17 of the Constitution is to be amended; by it untouchability is to be abolished. I said that the "caste" and untouchability should be abolished. I hope this House will discuss the Bill. But unfortunately, these have been brought under 'B' category. I will reqest you, Sir, as the Chairman of the Advisory Committee to bring them under 'A' category.

There is another Bill which I have brought before this House. I have said in that Bill that the officers who deal with the problems of the poorer classes belonging to Scheduled Caste will have to be accountable personally. If it is found that because of his negligence or because of his attitude the benefit is lost, the officers should be personally made responsible for that. These are some of the things which I thought I must express. But at the same time, I must say that a large number of Scheduled Caste boys and girls are being educated. I think about 5 lakh scholarships to students were given in 1980 as compared to 114 in the 40s. Now, many young people were getting educated. I know of instances where boys having passed Matric are working as labourers in the forest. So, unemployment is there, even amongst the educated in Schduled Castes. This problem will therefore have to be solved very strategically by trying to change the attitude of the people who are in the bureaucracy. The bureaucracy must be screened to see that they are fit enough to work for this national cause and other programmes. One more thing I will say and that is in so far as the Circular of the Home Ministry on conversion is concerned, I do not know whether it is correct because the Parliamentary Committee for Scheduled Castes and Scheduled Tribes have also gone there and they have examined the Government of Tamil Nadu. As far as I recollect, the Government Chief Secretary and other have told us that they have no evidnce whatsoever of any money being given to these Scheduled Castes who have converted themselves into Islam: we have reported to Parliament, for. Therefore, there is this contradiction that may have to be examined.

श्री सुन्दर सिंह: उपाध्यक्ष जी, हमारी की तुलना चाहिए ।

MR. DEPUTY-SPEAKER. One from the ruling Party and the other from the Opposition. You will have to wait, Si,. I am going to call you. He is my very good friend. I am going to call him. This is a chance for the Opposition. When the ruling party's turn comes, I will call you. Next time I am going to calll you, after Shri Kodiyan.

SHRI P. K. KIDOYAN (Adoor): Mr. Deputy-Speaker, Sir, it is a matter of shame for all of us that atrocities against the weaker sections and Harijans continue to take place in our country even after 35 years of Indeptndences. I do not want to refer to the various incidents that have taken place Already the previous Speakers have referred to those incidents.

The first point that I want to make is that the discussion we are having

today in this House on this issue must have some impact on the administrative machinery both at the Centre and the States. I say this because I find that despite the discussions held in this House the suggestions made by Hon. Members and despite a series of reports submitted by the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes with a large number of suggestions, nothing happens, especially in the matter of controlling these acts of violence and atrocities on Harijans and other weaker sections.

Shri Bhole was referring to the detailed guidelines that the Central Government has issued to the State Governments. The guidelines are exhautive, but who cares to implement these guidelines? Has the Hon. Home Minister ever cared to have a review of what has happened in the States in regard to the mplementation of these variou sguidelines? It was said that in atrocity-prone districts, the District Collector and the District Superindent of Police will be held responsible for the failure of preventing major atrocities like mass murder of Harijans. Can the Hon. Home Minister tell this Houe that a single Distriact Colthis Houe that a single Distriact Collecot or a single Superintendent of Police has been suspended or proceedon account of the failure on his part to prevent the occurrence of mass atrocities being committed on the Harijan? I don't think that the Home Minister will be able to tell he House .even about a single instance. That is why I repeatedly say, 'What is the use of sending guidelines, after guidelines, when they are not implemented?' On the other hand, there are instances where district officials have been transferred after an incident, but brought back within a few weeks or after a few months.

19 hrs.

You would remember the unhappy incident which happened at Narainpur village in UP. The DIG of Gorakhpur Range who was in charge of the entire area, and the Superintendent of Police, were transferred. There were cases against 15 police personnel. There were enquiries. What happened later was that this particular DIG was sent as DIG of Moradabad Range. and the SP was transferred to the Anti-Corruption department of the State Government—while there is a report in which both the officers have been declared as unfit to hold any responsible post.

Take, for example, the Kafalta massacre of about 19 Harijans in a marriage procession. There, the DSP who happened to arrest some of the accused, was demoted. He was a Harijan. Then take, for example, this Keshtara incident where a Satnami Harijan family was massacred. That District Collector stiil remains; he was Collector of Durg. Nothing happened to him. Just for form's sake, the SP has been transfered to another place. That is why I say that unless the district officials feel that their failure in preventing atrocities would result in their suspension or dismissal, things are not going to improve. Government should be firm on this issue. Any district official who has failed in preventing the atrocitits, or any official who has been found not discharging his responsibilities at a critical situation, should be severely dealt with.

SHRI SUNDER SINGH: He should be hanged.

SHRI P. K. KODIYAN: So many hon. Members were talking about the caste system, and Mr Paswan himself suggested that the caste system should be abolished. No doubt it is not a simple proposition. But it is not the caste alone which is involved. There exists an explosive situation in many parts of our rural areas today because the Harijans and other weaker sections who are living below

[Shri P. K. Kodiyan]

the poverty line—a majority of them are living below the poverty line—despite caste prejudices and so many disabilities today are becoming conscious of their rights; they are fighting for their rights or have started fighting for their rights. It is not true that younger Harijans alone are prepared to face the onslaught. Older generation also under the inspiration of the younger Harijans is now prepared to face these injustices and tyranny that prevail in the rural areas of our country.

Therefore, it is a question of underprivileged and exploited classes coming up and asserting their rights. It is this development that has angered the vested interests, the landlords and the new rich in the rural areas. They, of course, use the existing caste prejudices in order to suppress the struggle for economic and social rights. What is the role of the Government and the administration? You notified the minimum wages for agricultural workers. When they demanded implementation of it, the landlords immediately started shooting, killing and setting their huts on fire. Their women are also being raped. Is it not the responsibility of the State and the administration to come to the defence of these under-privileged people? Unfortunately, the administration does not come to their aid; they often particularly at the lower level and more particularly the police cellude with the vested interests and abet the crimes committed against the agricultural workers Therefore, I would suggest that Government should seriously implement, whatever laws they have made, for the under-privileged section. In Aurangabad in Bihar, they were fighting for implementation of the notified minimum wages. They were not asking for anything more, but they were shot dead. Therefore, the implementation of minimum wages, the land reforms and such other economic measures should be vigorously pursued. I agree with the various suggestions that have been made regarding specially identifying areas where atrocities are perennial.

Somebody suggested that a special set up has to be evolved to deal with atrocities. I agree with the suggestion. But that is only to be confined to certain areas. Throughout the rural areas this serious explosive situation is prevailing. Therefore, the Government should take serious steps to implement the minimum wages programmes, the land reforms measures and other economic measures throughout the rural areas.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, I have already announced that the Minister will reply at 7 p.m. But it is not possible now. Now, from the ruling Party two Members and two from the Opposition will speak; each hon. Member shall take not more than five minutes. And then the Minister will reply at least at 7.30 p.m.

(Interruptions)

SHRI N. K. SHEJWALKAR (Gwalior): My submission is, I do not come in the way of Members speaking longer and many of them speaking. But there must be some limit for us to sit in the House. We are on the first day.

MR. DEPUTY-SPEAKER: What is your suggestion? Do you want the Minister to reply now?

SHRI N. K. SHEJWALKAR: We can have it tomorrow.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is not possible. The other business will be affected. I am sorry, I cannot agree. I have already told you that only two Members from the ruling Party and two from the Opposition will speak. Then the Minister will reply. How, Shri Sunder Singh.

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर): मैं श्री राम विलास पासवान का शुक्रिया अदा करता हूं जो यह रेजोल्यूशन लाए हैं। मगर मैं कहता हूं कि जो हरिजनों पर अत्याचार

हो रहे हैं वह सूरज भान की वजह से, राम विलास पासवान की वजह से, राम स्वरूप राम की वजह से, चौधरी सुन्दर सिंह की वजह से और आर. आर. भोले की वजह से। देखिए मैं आप को बताता हूं, जो आदमी जुल्म सहता है वह ज्यादा निकम्मा है उस से जो जुल्म करता है। यह बात है। मगर यह कहा है कि जहां किसी पर बीतती हो वहां उस को लड़ाई करनी चाहिए। 1947 में डाक्टर अम्बेडकर ने कहा था, 33 करोड़ आबादी थी हिन्दुस्तान की उस समय डाक्टर अम्बेडकर ने यह कहा था कि जो मुसलमान हैं उन से मिल कर अपना हिस्सा बंटा लो। उस समय 9 करोड़ मुसलमानों की आबादी थी, 6 करोड़ हमारी थी और 34 करोड़ सारी थी। 9 और 6 पन्द्रह करोड़ और 34 करोड़ सारी। क्या कर लेते? अब हम कहते हैं कि हमें यह दे दो, हमें मारते हैं, हमें मारा है। उस वक्त हम हिन्दुओं के साथ पड़ गए। हमें क्या पता था कि ऐसे जालिम लोग हैं। उस वक्त हम ने गलती की। हम मान जाते तो सत्यानाश कर देते तुम्हारा। क्या जरूरत थी हमें मांगने की? यह बात ठीक है या नहीं? उस वक्त वह हमें कहते थे हम तुम्हें मिनिस्ट्रीज दे देंगे, सारी जमीन दे देंगे, हम ने कहा कि जाओ जाओ, हम महात्मा गांधी को मानते हैं, हम हिन्दुस्तान में रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए हम हिन्दुस्तान में रहेंगे। हमें क्या पता था कि हिन्दुस्तान ऐसा है कि जहां वह मार मार कर सब अपने लिए ही ले लेते हैं। एक यह हैं कृष्णमूर्ति इन का नाम है, यह कहते हैं कि यह जो हरिजनों की प्राबलम है यह नेशनल प्राबलम है। किधर वह नेशनलिटी? मैं कहता हूं कि कहां है नेशनलिटी? है कहीं? यों ही बातें करते हैं, लम्बे लम्बे लेक्चर करते हैं। मैं आप को बता दूं मैं 1947 से चला रहा हूं, मैं ने देखा है कि हरिजनों का भला कैसे हो सकता है, जब तक लैंड रिफार्म न हो कोई बात नहीं बन सकती है। गावों में कोई नहीं रह सकता है क्यों कि जिस के पास जमीन है उस के पास लाठी होती है, जिस के पास जमीन नहीं होती है उस के पास लाठी नहीं होती है। मैं ने सब से पहले जब देखा कि यह लैंड रिफार्म नहीं हो रहा है जो उस समय सरदार प्रताप सिंह कैरों और सच्चर साहब थे, मैं ने सच्चर साहब से कहा इस के लिए तो उन्होंने कहा कि चौधरी साहब सब कुछ दे देंगे लैंड आप को नहीं दे सकते।

मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि जिनके पास जमीन है वे जबर्दस्त हैं और जो मांगने वाले हैं वे कमजोर हैं। मैंने कहा, फिर आप छोड़ो। मैं जाकर प. जवाहर लाल नेहरू से मिला और इस तरह से जमीन ली। मैं कहता हूं पंजाब में हरिजनों को कोई हाथ लगा कर देखे, कोई एक मारे तो हम दो मारें। हरियाणा में भी यही हाल है। यह जो बड़े बड़े लीडर हैं, चिट्टी-धोतियां पहने हैं, चिट्टे कपड़े पहने हैं बिहार में और यू. पी. और मैं कहता हूं -- ये जो मिनिस्टर हैं, जो 35-35 साल से मेम्बर बने हुए हैं, वे देहातों में जाकर लड़ाई क्यों नहीं करते हैं? इस में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट क्या करेगी? मैं आप को बतलाऊं--मैं इन्दिरा जी से मिला था। उन्होंने कहा--सुन्दर सिंह, तुम्हें क्या चाहिये? मैंने कहा – बूटा सिंह सब से गरीब है, इस की बिरादरी बड़ी गरीब है। मैं चाहे गरीब हूं, लेकिन आप इस को कुछ दे दो। उन्होंने कहा – उन को दे दूंगी, लेकिन तुम्हें क्या चाहिये? मैंने कहा--मुझे तो पंडित जवाहर लाल नेहरू के वक्त का स्टेटस चाहिये। जब मैं चलता था तो सारी दुनिया कांपती थी। इस लिये मैं वही चाहता हूं। मिनिस्टरी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं आप को बतलाता हूं–हरिजनों को डिवाइड-एण्ड-रूल किया जाता है जिस से वे एक्सप्लाएट होते हैं। यहां पर तारीफें करते हैं कि हम ने यह कर दिया वह कर दिया, लेकिन आदमी आपके मारे जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? अगर कुछ नहीं करते हो तो जूतियां खाओ . . . (*व्यवधान*) . . . . चाहे कोई भी गवर्नमेन्ट हो, इधर की हो या उधर की हो, ...

DR. SUBRAMANIAM SWAMI: Sir, tha should go off the record.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will go through the proceedings.

*Expenged as ordered by the Chair

श्री सुन्दर सिंह: मैं कहता हूं मुझे वहां ले चलिये जहां तकलीफें होती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि वहां कैसे लोग हैं? जहां 24-24 कत्ल होते हैं, फिर भी लोग चुप रहते हैं। आप क्यों नहीं उनका कत्ल करते हैं? कौन आप को बचाएगा? कोई नहीं बचायेगा ? सब एक ही थाली के बटटे-बटटे हैं, गरीब की कोई परवाह नहीं करता है, सब पैसे के पुत्तर हैं । कोई एक-आध आदमी सुन्दर होता है जो अकेले स्टैण्ड करता है । पंडित जवाहर लाल नेहरू के बाद मैं आप को बतलाऊं, थोड़ी सी सहानुभूति इन्दिरा जी के साथ क्यों है ? इस लिये है कि उन के अन्दर निःस्वार्थ भावना है । जो बड़े-बड़े आदमी हैं वे उन से कहते हैं कि इस को टिकट दे दो उसको टिकट दे दो, लेकिन वे सब हर जाते हैं । हमारी बात मानती नहीं है.....(व्यवधान).. .. ये बड़े-बड़े जो लीडर हैं, जो जाट हैं, इन को जाट भी वोट नहीं डालते हैं । सब से ज्यादा खतरनाक जमींदार हैं । मेरा उन के साथ शुरू से ही मुकाबला रहा है । जमीन के लिए मैं उन से लड़ाई करता रहा हूं लेकिन मैं हैरान हूं कि बिहार में इतने आदमी मरे हैं, हमारे बाबू जगजीवन राम ने वहां क्या किया । वहां उन्होंने इन लोगों को जमीन क्यों नहीं दी। यू. पी. में इन को जमीन क्यों नहीं दी? इतने दिन से लीडर बने रहे लेकिन किया कुछ नहीं । आप यह कहते हैं कि स्पेशल कोर्ट बना दो, लेकिन कौन बनायेगा, कोई नहीं बनायेगा ।

अब मैं पंजाब की बात बतलाऊं – वहां पर 90 फीसदी पुलिस है, हिन्दू बहुत कम है। उन के लड़के कत्ल करते हैं, लेकिन उन को कौन पकड़ेगा ? कोई नहीं पकड़ सकता है । इन को मरते देख कर सभी लोग खुश होते हैं । 100-50 रूपया दे कर कहते हैं कि हम ने बड़ी मदद कर दी, लेकिन मैं बतलाऊंगा जो हरिजन अफसर हैं । निकम्मी पोस्टों पर उन को रखा हुआ है । पंजाब और हरियाणा में यह हालत है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितने रिजोल्यूशन आप एडाप्ट करते रहें, आप जो मर्जी करते रहें, लेकिन कुछ बनने वाला नहीं है । हरिजन का हरिजन भी कुछ नहीं करेगा । कई हरिजन हैं, जो कि आफिसर बने हुए हैं । कोई आदमी किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं है । मैं पासवान से कहना चाहता हूं कि इस संबंध में हमें और आगे बढ़ना होगा, हमें लड़ाई करनी होगी, लड़ाई के बिना कुछ नहीं हो सकता है । सरदार पटेल ने लिखा है --

If you want peace, prepare for war.

आप चाहे कोई चीज कर लो, लेकिन आपका भला नहीं होने वाला है । ब्राह्मण, खतरी सब मुसलमान बने, लेकिन हम उस वक्त भी मुसलमान नहीं बने, हमने सब मिल कर गुजारा कर लिया । राजपूत, जाट खतरी सब बने हैं, हम में से कोई नहीं बना है । ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं ।

डा. सुब्राह्मण्यम स्वामी : ज्ञानी जी की जगह आप ले लो ।

श्री सुन्दर सिंह : बात नजदीक आ रही है । अभी पूरी नहीं हुई है । जब तक हरिजन नहीं बनेगा, तब तक महात्मा गांधी का सपना पूरा नहीं होने वाला है । वह भी बैकवर्ड है, इसके बाद हमारी बारी आएगी । यह सरकार आपकी वजह से कमजोर है । हमें श्रीमती इंदिरा गांधी पर फेथ है, हम उनको अपना लीडर मानते हैं । लेकिन आपके 18 लीडर बने हुए हैं ।

Who lacks faith, lacks all. It is faith in the name of the Lord that works wonders, for faith is life and doubt is death.

मैं कहता हूं कि आप अपना एक लीडर चुनिए, तो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा ।

*Expunged as ordered by the Chair.

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप इधर आ जाइए ।

श्री सुन्दर सिंह : मैं भी आ जाऊंगा, पहले आप एक तो बन जायें । न तुम एक बनोगे और न मैं उधर आऊंगा । आया राम गया राम वाला हिसाब चल रहा है । । मैं श्री पासवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सत्र के शुरूआत में इस विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित किया है । मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं । जब मैं इलैक्शन लड़ रहा था, तो मेरे विरोधी पक्ष में बी. ए., एल. एल. बी. का कैंडिडेट था । मैंने कहा – मुझे बी. ए., एल. एल. बी. हरा नहीं सकता है कोई * * तो हो सकता है । लेकिन * * कोई नहीं है ।

वह मुझे हरा नहीं सकता । ये यहां पर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, यह बनाओ, वह बनाओ, लेकिन कौन बनायेगा ? हमें खुद बनाना होगा, हमें खुद सारा सिलसिला सम्भालना पड़ेगा । जब तक हम खुद नहीं संभालेंगे तब तक कुछ नहीं बनेगा । लेक्चर सुनाने से कुछ नहीं होगा । महात्मा गांधी का आदर्श तब पूरा होगा, जब हम बरसरे-इक्तदार होंगे, गवर्नमेंट हमारे हाथ में होगी । इस वक्त तो ये 20 करोड़ आदमी मर रहे हैं, सताये जा रहे हैं ।

इन शब्दों के साथ आखिर में यही कहूंगा कि हमें डट कर मुकाबला करना चाहिए। जहां लड़ाई होती है उस का मुकाबला करना चाहिये ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस से पहले कि मैं कोई बात कहूं मैं सदन के माननीय सदस्य श्री रामविलास पासवान जी को धन्यवाद देता हूं । उन्होंने सदन के शुरु के दिन ही इस देश तथा सदन, दोनों का ध्यान कमजोर वर्गों के ऊपर होने वाले अत्याचारों की तरफ दिलाया है । इस में कोई शक नहीं, यदि इस देश में परियार रामास्वामी न होते, बाबासाहब डा. अम्बेदकर न होते, डा. राम मनोहर लोहिया न होते और महात्मा गांधी न होते तो इस देश में कमजोर वर्गों के जो लोग हैं, जिन को हरिजन और शूद्र कहा जाता है जो पिछड़े हुए, दलित और शोषित हैं, शायद वे इस तरफ कोई कदम न उठा पाये होते, अपनी तरक्की के बारे में सोच भी न पाये होते । आज हम गरीबों पर होने वाले अत्याचारों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यही स्थिति जारी रहेगी तो इस के क्या नतीजे होंगे ? अभी पिछले दिनों 12-13 जून को मैं और भाई रामविलास पासवान तथा हमारे भाई डी. पी. यादव मद्रास के त्रिचुरापल्ली में द्रविड़ कजगम की एक कान्फरेंस में गये थे । जहां कई लाख स्वयं-सेवक काले कपड़े पहने हुए, काले अंग वस्त्र डाले हुए, पेरियार रामास्वामी और डा. अम्बेदकर के फोटो ले कर जलूस में चल रहे थे । उन के दिल में इस वर्ण-व्यवस्था के प्रति एक आग थी । ब्राह्मणवादी व्यवस्था को तोड़ने के लिए, जात-पांत के बन्धन को समाप्त करने के लिये, इस देश में समानता लाने के लिये वे दृढ़ संकल्प थे । उनका कहना था कि हमें पेरियार, बाबा साहेब और डा. लोहिया के विचारों को देश के कोने-कोने में फैलाना होगा वरना ये दलित और शोषित इसी तरह से मारे और काटे जाते रहेंगे । इन के लिये बचाव का कोई अवसर नहीं मिलेगा ।

हमें उस समय एक घटना याद आती है । पासवान जी और मैं तमिल दलपति वीरमणि जी के साथ डायस पर बैठे हुए थे और लाखों स्वयंसेवकों का जलूस हमारे सामने निकल रहा था । वहां एक ब्राह्मण अपनी वेशभूषा में जलूस के सामने आता है और कुछ हस्तक्षेप करता है । एक तरफ से लोग उस पर टूट पड़ते हैं और सैंकड़ों पुलिस वाले उसको बचा कर हमारे सामने लाते हैं, हमें उस की चोटी छुपानी पड़ती है, उस के जनेउ छुपाने पड़ते हैं, उन को छुपाने के लिये अपने अंग-वस्त्र देने पड़ते हैं । तमिल दलपति वीरमणि जी को मेज के नीचे उस को छिपाना पड़ता है, तब उस की जान बचा पाते हैं । अगर इन के घर जलेंगे, इस तरह से हरिजन जलेगा, उन के साथ अत्याचार होते रहेंगे, तो क्या

*Expunged as ordered by the Chair.

[श्री जयपाल सिंह कश्यप]

वह समय नहीं आयेगा जब ये लोग आगे बढ़ कर उस जुल्म का मुकाबला करेंगे । जब इन्सान मजबूर हो जाता है तो वह भी उसी युद्ध की तरफ बढ़ने लगता है जिन से वह बचना चाहता था । हम लोग कानून में पूरी आस्था रखते हैं, देश की परम्पराओं में हम ने बराबर आस्था रखी है, लेकिन हम आज मजबूर किये जा रहे हैं । हम लोगों के लिए जो भी योजनाएं दी जा रही हैं, वे हमारे लिए लागू नहीं होती हैं । चाहे कोई सरकार रही हो, किसी की नीयत साफ नहीं रही है इन कमजोर वर्गों के लोगों के लिए कुछ करने के लिए लिए । अगर अनुसूचित जातियों और जन-जातियों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कुछ करना होता, तो आज इस देश में इन के लिए एक अलग से मंत्रालय होता, एक अलग से मिनिस्ट्री होती लेकिन आज तक इन के लिए कोई अलग से मिनिस्ट्री नहीं बनाई गई है । इसका मतलब यह है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है । इस देश में करोड़ों-करोड़ की संख्या में ये लोग हैं और इतने बड़े प्रतिशत की यह स्थिति हो और उसके लिए अलग से मंत्रालय न बनाया जाए और केवल दूसरे मंत्रालय के अधीन सारा काम कराया जाए, तो अंजाम आप के सामने है । सरकार की नीयत साफ होती, तो सरकार एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर इन लोगों को मौका दे कर इन के ऊपर होने वाले अत्याचारों को रोक सकती थी । श्री आर० आर० भोले की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी और उस कमेटी के साथ, जिस में पासवान जी भी थे, हम देवली गांव गए, तो दूसरे गांवों से आ आ कर हरिजन कह रहे थे कि हमारी जान खतरे में है और हमें देवली में रहने दिया जाए क्योंकि पी० ए० सी० वहां पड़ी हुई है । उस समय एस० पी० नहीं आया और किसी अफसर ने जब उनकी बात नहीं सुनी, तो वहां पर साढुपुर में घटना घटी और बहुत से लोगों को मारा गया । इसी तरह से रामपुरा में 6-7 लोग मारे गए और इक्का-दुक्का तो ये घटनाएं घटती ही रहती हैं और लोग मारे जाते हैं । इन लोगों पर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं और इनका कत्लेआम होता है, क्या इस सरकार के यहां पर चर्चा कराने से या इस सदन में थोड़ी देर के लिए चर्चा करा लेने से ये रुक जायेंगे । क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था आप करते हैं कि इस के लिए अलग से एक मंत्रालय बनाएं और हर जिले में एक एडीशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एक एडीशनल एस० पी० खास तौर से इन लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए इन की जान व माल की रक्षा के लिए आप नियुक्त करें ।

थानों में क्या हो रहा है, उस की ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं पुलिस स्टेशनों के अन्दर पुलिस वाले और अपर कास्ट के लोग काम करते हैं वे इन लोगों को झूठे मुकदमों में फंसा देते हैं । अगर इनको मार दिया जाता है, तो इन को इस दुनिया से तो कम से कम मुक्ति मिल जाती है लेकिन झूठे मुकदमे चला कर इनको जेलों में सड़ाया जाता है और इनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है । इस लिए मेरा कहना यह है कि हर जिले में आप ऐसे मुंसिफ या जज नियुक्त करें, जो इन लोगों के मामलों को सुनें और किस तरह से इनको झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है और षड़यंत्र का शिकार बनाया जा रहा है, इस सब को देखें और

ऐसे मामलों को रोकने की कोशिश की जाए। बदायूं और बरेली में जहां से मैं चुन कर आया हूं किस तरह से इन लोगों को सताया जाता है, इनको मारा जाता है, काटा जाता है और कोई इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, कई बार मैंने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है। कफल्टा में घटना घटी थी और हालत यह है कि वहां पर ये लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं इन लोगों की बारातों को निकलने नहीं दिया जाता है। मैंने मुख्य मंत्री को लिखा है और कमेटी के सामने भी यह मामला आया कि इन की बारातों को निकलने नहीं दिया जाता है। मेरा कहना यह है कि हरिजनों और शिल्पकारों की बारातों को निकलने दिया जाए, ऐसी व्यवस्था आप को करनी चाहिए।

आज हाई कार्टों में अपीलें चल रहीं हैं लेकिन सरकार उन अपीलों को एक्सपीडाइट करने के लिए एप्लीकेशन देने को तैयार नहीं है। हरिजनों पर अत्याचारों के जितने मुकदमे चल रहे हैं और उन में जो अपीलें होतः हैं, उन में सरकार को एक्सपीडाइट करने के लिए एप्लीकेशन्स देनी चाहिए जिस से मुकदमें जल्दी से जल्दी तय हो जाएं।

इतना कहते हुए मैं राम विलास पासवान जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मसले को यहां पर उठाया और सरकार को बड़ी सख्ती के साथ इस मसले से निपटाना चाहिए।

श्री हीरालाल आर० परमार (पाटन): उपाध्यक्ष महोदय, देश के दलितों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में राम विलास पासवान जी ने जो सवाल उठाया है और आप ने जो चर्चा करने का मौका दिया है, उस के लिए मैं आप को धन्यवाद देता हूं।

यह एक गंभीर सवाल देश के सामने है और इस सारे सदन का ध्यान मैं इस गंभीर सवाल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 67 करोड़ की आबादी वाले देश की इस सर्वोच्च सदन में आने का जो मौका मुझे मिला है, वह कैसे मिला है यह मैं बताना चाहता हूं।

मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला वाला हूं जिस गांव में मेरी जाति का, चमार का एक ही घर है और मेरे वोट केवल 3 हैं। फिर इस सदन में मैं कैसे आया, 3 वोट वाला एक घर का आदमी यहां कैसे आया, यह मैं बताना चाहता हूं। आजदी के टाइम पर महामानव डा० बाबासाहेब अम्बेडकर ने गरीबों की रक्षा के लिए, दलितों की पैरवी के लिए, अन्याय के खिलाफ चौकीदारी के लिए उन लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया है। यह रिजर्वेशन भी नहीं होता, अगर कांग्रेस नहीं होती और कांग्रेस को इन्दिरा गांधी जैसी प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलती तो मुझ जैसे आदमी को इस सदन में आने का मौका नहीं मिलता।

यहां आने के बाद मैं सारे देश के दलितों का, जिन पर कि अत्याचार हो

[श्री हीरालाल आदेश]

रहे हैं खास कर उनका प्रतिनिधित्व करता हूं। सारे देश में 16 करोड़ दलित लोग हैं। उन के हितों की रक्षा करने के लिए और जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उन के लिए लड़ने के लिए मैं यहां आया हूं।

ऐसा पोलिटिशियन नहीं हूं कि बाहर से कुछ हो और अन्दर से कुछ और हो। मेरे में एक कमी है कि मैं अपनी अन्तरात्मा की आवाज को दबा नहीं सकता।

इस देश के दलितों की रक्षा के लिए इस सदन में आज इस समय 6 और सात बजे के बीच में 80 प्रतिशत लोग दलित वर्ग के बैठे थे। उन में से 15 परसेंट लोग चले गए। अब इस समय यहां 65 परसेंट लोग दलित रह गए हैं। दूसरा तो कोई इस समय है नहीं। इस से हमें मालूम होता है कि दलितों के सवाल से अन्य सदस्यों को कितना प्रेम है। इस देश में 16 करोड़ लोग दलित हैं। मैं उन 16 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि हूं। मेरे ऊपर गांव के पिछड़े और अनपढ़ लोग दबाव डालते हैं कि हम सब 16 करोड़ दलित एक हो जाएं क्योंकि उन पर सामूहिक अत्याचार होते हैं।

एक दिन भी ऐसा नहीं होता है जिस दिन कि अखबार के पन्ने में आपको सुबह यह नहीं मिलेगा कि जिस दिन 10, 15 या 20 दलितों की हत्या न हुई हो। मैं सदन के सामने यह बात कहना चाहता हूं और अपने विरोध पक्ष के भाइयों से भी यह कहना चाहता हूं कि पिछले ढाई सालों में इस सदन में पांचवीं बार यह बहस हो रही है। यहां बहस हो जाती है उसके दूसरे दिन फिर अखबार में आता है कि 16, 20, 50 दलित भाइयों के साथ अत्याचार हुआ। बिहार में दलित इंजीनियर, प्रोफेसर, डाक्टर या अन्य पढ़े लिखे आदमी को भी नक्सलवादी डाकू कह कर मारा जाता है। यह एक गंभीर सवाल है।

मुझ से पूर्व माननीय वक्ता सदस्य ने अपने भाषण में बताया कि यह हजारों सालों की जो गुलामी है, हजारों सालों से चला आ रहा जो अन्याय है, वह 35 साल में कैसे मिटेगा। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि हजारों-हजारों सालों से चले आ रहे राजा-महाराजाओं को, उनके रजवाड़ों को हमने दो-तीन सालों में ही समाप्त कर दिया। जब हम उनको इतनी अवधि में समाप्त कर सकते हैं तो क्या दलितों को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा सकते। मैं कहता हूं कि दलितों और आदिवासियों के लिए अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिए। कम से कम दस सालों से इस सदन में यह मांग हो रही है कि 16 करोड़ दलितों और 12 करोड़ आदिवासियों के लिए एक अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिए।

किस्तवार, देहली और साधुपुर में जिन बच्चों के मात-पिता मारे गए, उन बच्चों को गोद लेना और छात्रावास में रखने का सरकार से स्वयं आश्वासन दिया था, वह भी सरकार से नहीं हो सका है। यह किसी संस्था का सवाल नहीं है, किसी पार्टी का सवाल नहीं है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूं कि दलितों के लिए आदिवासियों के लिए अलग से मिनिस्ट्री बनाई जाय अगर आप दलितों और आदिवासियों की रक्षा के लिए कदम नहीं उठायेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। हमें भी संतोष नहीं होने वाला है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देश दलित में जाग गए हैं। कहीं उन में ऊबाल न आ जाए। इसलिए दलितों को बचाने के लिए घड़ि-

याली आंसू न बहायें, वोट लेने के लिए बड़ी-बड़ी बातें न करें। इस समय दलितों के अलावा जो माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित हैं, वे सिर्फ रिकार्ड बनाने के लिए उपस्थित हैं। किसी के दिल में दर्द नहीं है। मैं आशा करता हूं कि सदन मेरी बातों को गंभीरता से समझेगा नहीं तो देश में आफत आ सकती है। दलित जाग उठेगा, तब उसको कोई रोक नहीं सकेगा।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि हरिजनों पर हुए अत्याचारों की चर्चा में मुझे आपने अंत में समय दिया है, लेकिन अफसोस है कि पिछले सत्रों की तरह फिर वही चर्चा का अंत तो हो जाएगा लेकिन हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों का अंत इस देश में नहीं होगा, कम से कम इस मौजूदा सरकार के रहते यह दिखाई नहीं पड़ता।

हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारी यह मनःस्थिति हो गई है कि रोज सुबह अखबार देखते हैं और सोचते हैं कि वह तो रोज का काम है और दूसरी तरफ सरकार की मनःस्थिति यह हो गई है कि झूठे आंकड़े इकट्ठे किए जायें, ताकि आने वाले सत्र में विरोधी दलों के लोगों को झुठलाया जा सके कि हरिजनों पर अत्याचार कम हो रहे हैं। ये दोनों पक्षों की मनःस्थिति उपाध्यक्ष महोदय मैंने आपके सामने रखी है।

कस्तरा में क्या हुआ? हत्यारे आए, हरिजनों को बाकायदा पहले खबर मिल गई और सब एक घर में जाकर छुप गए और दरवाजा बंद कर दिया किवाड़ तोड़ने शुरू कर दिए गए। एक बूढी औरत बाहर निकली और उसने कहा कि हम लोग गांव छोड़कर चले जायेंगे, हमको छोड़ दो, लेकिन उसकी एक बात नहीं सुनी गई और उसको नंगा कर के पेड़ से बांध दिया गया। इसके बाद मकान की छत तोड़कर और मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई। बच्चे तो वहां मर गए, बड़े तड़पने लगे तो उनको किवाड़ तोड़कर बाहर निकल गया और उस बढिया से पूछा गया कि क्या यह तुम्हारा बेटा है, क्या यह तुम्हारा भाई है। इस के बाद उस बुढिया को पैरों से काटना शुरू किया गया और गर्दन तक काटकर चैन ली। आज इस देश के अन्दर इस तरह के राक्षसी अत्याचार हो रहे हैं। सरकार कहती है कि हरिजनों पर अत्याचार कम हो रहे हैं। लेकिन सही स्थिति यह है कि इन दो-ढाई सालों के अंदर हरिजनों पर अत्याचार बढ़े हैं। मैं सत्रह्मण्यम स्वामी की बात नहीं मानता। यह सब सरकार की नीतियों के कारण हैं, इंदिरा जी की नीतियों के कारण हैं। अगर इंदिरा जी हरिजन के अंदर जमीन की झूठी भूख पैदा न करतीं तो हरिजन इस देश में पहले भी तो रह रहा था। उसी दिन से दुश्मनी शुरू हो गई। इदिरा जी ने यह दिखाया कि मैं तो जमीन देना चाहती हूं लेकिन बड़े जमींदार तैयार नहीं हैं और जमींदार यह समझने लगा कि अगर हरिजन की स्थिति मजबूत हो गई तो जमीन छीन ली जाएगी। अगर इंदिरा जी वास्तव में उन लोगों को जमीन देना चाहती हैं तो 5–5, 6–6 सालों से मुकदमें क्यों चल रहे हैं, उनको क्यों नहीं निपटाया जाता? क्यों नहीं 122बी और जमीन के मुकदमें खत्म किये जाते? इंदिरा जी और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ यह काम किया है कि हरिजनों क· भस बिकवा दी, जेवर बिकवा दिऐ, घर से बेघर करवा दिया और वह जमीन को बचाने में उलझ गया। यह काम कांग्रेस पार्टी

[श्री जगपाल सिंह]

और इंदिरा गांधी जी ने किया है। दुश्मनी पैदा हो गई है जो आज चल रहा है उसको लेकर। दूसरी दुश्मनी इस कारण पैदा हुई है कि आपने कह दिया कि कर्जे माफ कर दिए गए हैं। कर्जा माफ नहीं हुआ और इसको लेकर दूश्मनी का माहौल देहातों में पैदा हो गया। हरिजनों को मजबूर होकर कर्जा देना पड़ा। इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है। एक तरफ तो श्रीमती इंदिरा गांधी है, सरकार है और दूसरी तरफ सामाजिक स्थिति है। इस वासते मैं श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी की बात को नहीं मानता हूं। एक तरफ तो सामाजिक स्थिति जिम्मेदार है और दूसरी तरफ सरकार की नितियां जिम्मेदार हैं।

हरिजनों की बाबत डा० अम्बेदकर ने कहा था कि उनको सामाजिक समानता दी गई है, राजनैतिक समानता दी गई हैं। लेकिन उनको आज तक आर्थिक समानता नहीं दी गई है। बिना आर्थिक समानता के तथा-कथित दूसरी समानतायें अर्थहीन है। आर्थिक समानता के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिएं जो वह नहीं उठा रही है।

आज क्या स्थिति है। मैं सहारनपुर जन पद की बात आपको बताता हूं। वहां एस० एस० पी० पंडित है, एस० पी० पंडित है, डी० एम० पंडित है, ए० डी० एम० पंडित है। चार में से दो एस डी० एम० पंडित हैं। सोलह थानों के इंचार्ज पंडित हैं। पूरे जिले में यह स्थिति है। इस ओर इशारा करते हुए मैं यह बताना चाहता हूं कि वीकर सैक्शंज के लोगों हरिजनों, और आदि-वासियों को भी जिलों में भेजा जाए ताकि हरिजनों का मारेल ऊंचा हो।

मैं पासवान जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहले ही दिन इस सदन के अन्दर हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों की समस्या को उठाया और इस में भाग लेने का हम को अवसर दिया।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : (निजामाबाद) : मुझे अफसोस है कि इसको सियासी मसला बना दिया गया है। अपोजीशन की तरफ से पहला भाषण जो हुआ वह ठीक था लेकिन होते होते इसको पार्टी पालिटिक्स का विषय बना दिया गया है। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है। यह एक नेशनल प्राबलैम है। हर आदमी को अगर इस तरह की घटनाएं देश में घटती हैं तो शर्मिन्दा होना चाहिए। पार्लियामेंट में जो बात हम करते हैं दुनियां में यह पहुंचती हैं। हम आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। पूरी दुनिया में यह न्यूज जाएगी और हमारी बदनामी भी बहुत होगी। After the event we cannot do anything, but before the event, we can do a lot.

हम हरिजनों को जमीन देते हैं। मैं कहता हूं कि जमीन देते वक्त पुलिस का अफसर और रेवेन्यू अफसर दोनो को खेत पर भेजा जाए और वे लोग जा कर हर आदमी को जमीन दिलाएं। जब मैं एम० एल० ए० था उस वक्त जमीन तक्सीम नहीं होती थी। फिर भी लड़ाई होने का इमकान रहता था। इस वास्ते पहले ही पुलिस और रेवेन्यू आफिसर्स को वहां भेज देता था और खुद भी जाता था। ऐसा आप क्यों नहीं करते हैं ?

जिस फैमिली के लोग हरिजनों के ऊपर अत्याचार करते हैं उस फैमिली के लोगों को कोई भी पोलिटिकल पार्टी टिक्ट न दे, न हम दें और न बी जे

पी वाले और न कोई दूसरी पार्टी । आज होता यह है कि यहां नहीं दी जाती हैं तो वहां मिल जाती है। इस तरह से ये लोग असैम्बलीज और पार्लियामेंट में घुस जाते हैं। हमें कोड बनाना चाहिए। कि कोई फैमिली हरिजनों के ऊपर अत्याचार करते है तो उस फैमली का कोई आदमी पालिटिक्स में घुस न सकें और कोई पार्टी उसको घुसने का मौका न दे ।

जो अत्याचार हरिजनों पर हो रहे हैं ये बन्द होने चाहिए। खास तौर पर जो गरीब बच्चे हरिजन वगैरह होस्टल्ज में रहते हैं उनको खाना वगैरह अच्छा देने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उनकी तन्दुरुस्ती कायम रह सके।

THE MNISTER OF DEFENCE AND HOME AFFAIRS (SHRI R. VENKATARAMAN): At the outset I would like to express my gratitude to the House for sitting so late and discussing an important subject which is of vital interest to the ountry as a whole. I must also tank all the participants for bringing to bear on the subject a fair sense of objectivity. Naturally in any politcal debate there must be same sharp exchanges here and there. But apart from that, there has been a fair sense of objectivity brought to bear on this debate and I am greatful to the Members for that.

As we all know, this is a festering sore in our body politic. This has been with us not only for the last 35 years. this has been with us for thousands of years. So when an hon. Member said. Within 35 years you have not done any thing and you have not completely eliminated or eradicated this social evil.' I was a little surprised... whether they honestly believe that within thirty five years we can eradicate the social evil which, has come down to us for generations and generation over thousands of years.

Therefore, it should be the endeavour of all of us irrespective of the parties to which we belong—we may occasionally use this to score some political advantage over each other, it is a legitimate thing—to see that we get rid of this very obnoxious system that is eroding our social life.

What is it that we can do in this? Certainly, the first thing that we can do is to educate our people on the fundamental principle of equality of man. Our religious teachers have taught us the principles. Out social workers have done a great deal of work. All the great names have been mentioned by the Members. Gandhiji, Ambedkar and Periyar, all these people, have done their best to eradicate this evil and their line should be continued by their progeny. The third thing which I think is very important is that we should improve the economic lot of the weaker sections and it is only by improving their economic lot that we can really bring about a social equality. The man, after all, has weakness for the respectability. It is born out of the position. If we find that the weaker sections have a certain economic status, a certain economic strength and a ctrtain economic position, they will not be treated in the way they are being done. Therefore, the object to the Government is to see that we tackle this problem from all the three aspects from the point of view of bringing about a social awekening among the masses, the second thing to be done is to bring about a better economic status for the weaker sections so that they may, in the eves of the other classes, gain the respectability. We may have differences with the pace at which that should be done, we may have differences on the level of expenditure that is being incurred in respect of this.

Apart from that, I do not know what miracle can bring about this social change. Here I want to point out that Government have done practically all that is necessary for the upliftment of this class of people. They have also done all that is possible under the circumstances to enforce their rights through the law and they have also done something to see that the economic exploitation is not carri-

[Shri R. Venkataraman]

ed on or the exploitation does not go on in the way in which it has been before.

Sir, the points which have been raised in the course of the debate would call for a very short reply. In fact, Shri Paswan who led the debate asked a number of questions. I thought that it was my duty to reply to them. The first question that he put was about the number of convictions that have been secured in 1980-81 in respect of offences which have been committed against the scheduled castes. In this case, I can give the figures In all two were sentenced to death and 98 sentenced to life imprisonment and some others were sentenced to various terms of imprisonment In fact I would say that never before such large number of people have been sentenced for offences against the scheduled castes.

Then Shri Paswan watned to know as to how many scheduled castes and scheduled tribes people are in responsible positions. I could not get the figurts for whole of India but if he puts a separate question I will collect the information and supply. As for as U.P. is concerned I have got the figures. The total number of District Magistrates in U.P. is 57 out of which 13 are from scheduled castes and scheduled tribes. There are 57 SPs and 9 out of them are scheduled caste and scheduled tribes people.. Likewise there are twelve Commissioners and seven out of them are people from scheduled castes and scheduled tribes.

This is the position with regard to the number of people who are occupying responsible positions in the U.P. Government.

Sir, Mr. Paswan also said that the situation has worsened during the last two years. I am afraid that his figures are not correct. In 1975 the total number of I.P.C. crimes against scheduled castes and scheduled tribes was 7781. In 1976 the total number was 5968 and in 1977 it was only 10879. In 1978 it became 15070.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: During Janata period Harijans became fearless and, as such, they went to police stations to register their cases.

SHRI RAM VILAS PASWAN (Hajipur): What about killings?

SHRI R. VENKATARAMN: This is with regard to the number of offences including murder, grievous hurt, rape, etc..

Now, Dr Subramaniam Swamy unless these 15,000 cases occurred then only people got registered these cases. It means they are ture or do you mean to say they are not true cases and only false cases registered.

DR.SUBRAMANIAM SWAMY: Earlier on there was under reporting.

SHRI R. VENKATARAMAN: So, you are admitting that there were 15,000 cases. That is enough for me. Mr. Paswan asked about murder. Even if you include murder and grievous hurt you will find that the total number is 15,070. In 1979 the number is 13,975 and in 1980 it is 13,865. Therefore, it is not correct to say that I do not want to....

SHRI RAM VILAS PASWAN: Have you got the number of killings of scheduled castes?

SHRI R. VENKATARAMAN: If you put a separate question then I will give the complete information. What

I would like to give you the total figure. I am not saying that this Government is justified in having ten or eleven thousand cases of grievous hurt or other offences. On the contrary I only want to rebut your charge that during this period it has increased.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (Pauskura): Since the world did not

stop in 1979 may we know the latest statistics as well.

SHRI R. VENATARAMAN: Yes. Yes. In 1980 the total number of offences was 13,866 and in 1981 it was 14,308.

Now, all I said, is in the earlier period it was higher; I don't say that it is justified; but I rebut the charge that during the last 2 years, it has increased over the earlier period. That is all that I am saying. Nobody can take pride that there are 14,000 cases of crimes against the scheduled castes and so on. But I refute your statement and your charge that during this period it has increased. That is all my point. Now you also mentioned that the punishment was not heavy. I will give you the figures with regard to the punishments. In the case of Kaila 3 were sentenced to life imprisonment and 8 sentenced to two years of imprisonment. In Bishrampur, 27 persons were sentenced to life imprisonment. You mentioned about Kafalta. Here, all the 33 persons were acquitted by the court. But the State Government has filed an appeal against the acquittal; the State Government has not accepted it.

SHRI RAM VILAS PASWAN: They could not produce evidence.

SHRI R. VENKATARAMAN: When we say acquittal is wrong and we file an appeal it shows how we are interested in seeing that proper justice is meted out. If we had kept quiet, it would have been a blame-worthy thing on the part of the Government. ....

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (New Delhi): Appeal is all right. But why has the prosecution failed? You please find out.

SHRI R. VENKATARAMAN: It is an illogical argument because if the court acquits and keep quiet and I acquiesce in it then you can say, you are responsible for these. On the contrary, I do not agree with the court. (*Interuptions*)

SHRI RAM VILAS PASWAN: It is the duty of the State to produce evidence.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: What has the Judge said? Kindly go through the judgment. (*Interruption*)

SHRI RAM VILAS PASWAN: There is lack of evidence. (*Interruption*)

SHRI R. VANKATARAMAN: If you say, in every case where the Government prosecution fails, then the Government is to blame, this is a proposition which no Jurist will accept. To say that merely because prosecution has failed, therefore Government is to blame, is a totally unacceptable proposition in any jurisprudence.

SHRI RAM VILAS PASWAN: Regarding tht incidents in Belchi, Bishrampur and Kaila, the State Government was indifferent. That is why no imprisonment was given.
(*Interruptions*)

SHRI R. VENKATARAMAN: Then there is another case also. In the case Jetalpur 3 persons were sentenced to life imprisonment. Now these are the facts. Your charge that cases were not prosecuted, people have not been brought to book, that they have not been punished etc has been totally disproved from the figures which I have given to you. There is the third point which you mentioned. Others also mentioned the same, saying, land has not been distributed to the various scheduled caste people out of the ceiling which had been fixed by the Government. Now this is the position with regard to distribution of land:

> 'The Minister for Agriculture informed that 66 per cent of the area distributed under the revised ceilling laws has gone to the persons belonging to the scheduled castes, who represent 51 per cent of all the allotees.'

SHRI RAM VILAS PASWAN: How much was the surplus land?

SHRI R. VENKATARAMAN: Whatever was available, out of that available land, 51 per cent of allottees were scheduled castes. You can say that you must have got more. But my point is this. Whatever was available under the ceiling law, out of that, 51 per cent has been given to them. (*Interruptions*)

SHRI RAM VILAS PASWAN: Out of 44 lakhs acres only 22 lakhs acres have been distributed.

SHRI R. VENKATARAMAN: You are saying that you must have got more under the Ceiling Laws. That is a different issue.

AN. HON. MEMBER: This is pending in the courts.

SHRI R. VENKATARAMAN: What I say is this. Out of the land which has been secured under the revised Ceiling Laws—ont of the allottees of that surplus, 51 per cent are of the scheduled castes.

Then, Sir, the hon. Member said that no cases have been filed under the Protection of Civil Rights Act. I will give you the figures in this regard.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Not so many.

SHRI R. VENKATARAMAN: I think it is 1227. I will give you the exact figures. But this is my recollection. (*Interruptions*) I am accustomed to economic statistics. I am sorry I have now to deal with the crimes cases. (*Interruptions*) These are incontrovertible facts; you may not like it. But these are incontrovertible facts.

Now, in the year 1980, the number of cases ending in conviction under the Protection of Civil Rights Act (all India) are 1267. That is for 1980. That is the year for which we have this figure. In 1979, it was 613. So, you can compare it yourself. Therefore, your statement that no action has been taken under the Protection of Civil Rights Act is not borne out. (*Interruptions*). You cannot go on finding verbal ditinction. I have said that these are the figures. These are the convictions under the Act.

PROF. MADHU DANDAVATE: For instance, if you take the number of Harijans killed or murdered and compare the figure with the total population of the whole country, statistically you are correct.

SHRI R. VENKATARAMAN I have not said that. The debate consists of two parts. One part in which all of us must be concerned is to see how best to improve the situation and the other part is that Mr. Paswan specifically charged this Government with neglect and failure and there I am saying it is not so. In every one of the case, it has been borne out that his statement or assertion is incorrect.

PROF. MADHU DANDAVATE: You may argue that not so many Harijans have been killed or murdered.

SHRI R. VENATARAMAN: The point that the persons have not been convicted under the Act and action has not been taken, is incorrect. That is all I am saying. The proposition that he put forward is not correct. Now, so far as protection of the Harijan are concerned, we have already requested four State Governments to consider the setting up of a Village Security Force and issued the suggestion that the Scheduled Castes people should be appointed to one of the key posts. That is, we have said that the District Collectors or the Superintendent of Police or one of the other officers concerned with the maintenance of law and order should belong to Shecduled Caste community. This is the Suggestion which has been given.

SHRI SURAJ BHAN (Ambala): Are they being implemented?

SHRI R. VENKATARAMAN: Yes, we are following it up. We are asking them what they have done in this regard. Everytime we are getting information. This is what we can do. Some people said: "You establish a Cell here and then monitor what the State

does". I wonder whether your friend sitting by your side, from West Bengal will agree to the Government of India doing it.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South): We do not accept that because we do not have faith in the Central Government.

SHRI R. VENKATARAMAN: On one hand you talk of State autonomy and non-interference by the Centre in the State Affairs and on the other you say that you have no faith in the Centre. You must have certain consistency.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: We are very much consistent in our statement.

SHRI R. VENKATARAMAN: Again I do not know whether the Deputy-Speaker, when they were in Government, would have allowed this kind of things to be done. Mr. Dandapani was saying very eloquently. Now, what we have done is that we have asked them, we have given them guidolines and we have told them that these must be done.

In the last meeting of the Chief Secretaries it was put to them and we tried to get that implemented. There is only persuasion by which that can be done.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Generally some things are there which shuold not be politicalised. These issues we should not politicalise. I say this particularly to the Professor.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: How do we divorce politics?

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is all right. But there is no harm in this. This is in the interest of the Harijans that you are speaking. There is no harm. Even there you should not differ.

SHRI R. VENKATARAMAN: Now, in the guidelines that we have issued to the State Governments, we have specifically stated that the areas which are prone to communal tension, particularly tensions against the Scheduled Castes, they should have special consideration; and ten additional Scheduled Castes police stations in sensitive districts have been opened in Bihar and they have started functioning. This is the result of the action taken.

The Chief Minister of Uttar Pradesh has stated that the crimes against the Scheduled Castes ane not centralised in a particular place. The administration is already alert in respect of the crimes against the Scheduled Castes.

SHRI SURAJ BHAN: What do you mean by the Scheduled Castes?

SHRI R. VENKATARAMAN: All the people who come in the Scheduled communities are Scheduled Castes.

SHRI RAM VILAS PASWAN: It would be better if you fix the responsibility on District Magistrate and Superintendent of Police. If you don't fix the responsibility on them, then it will be fruitless.

SHRI R. VENKATARAMAN: We can fix the responsibility on the State Governments and we monitor this through the State Governments. We ask the State Governments to fix the responsibility on the District Collector and D.S.P. and so on. Therefore, we will try certainly to see that the monitoring is done a little more effectively. That means we can only call for information from time to time. We cannot do anything more than that. And all the State Governments are equally inttrested and we should try to see that all cooperate with the State Government in seeing that effective measures are taken against these.

Then we come to the developmental measures. The estimated outlay in the States' Special Component Plan for Scheduled Castes under the Sixth Plan is estimated to be Rs. 4,000/- crores.

[Shri R. Venkataraman]

Police stations specialy dealing with these complaints of the Scheduled Castes have been established in Bihar. This is the information that I have got.

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन): मध्य प्रदेश में जनरल एस. पी. को पोस्ट पर काम करते हैं किन्तु उनका फंक्शन ठीक नहीं है ।

SHRI R. VENKATARAMAN: I don't vouchsafe that everywhere we have estalished this kind of authority or anything like that, or they have been functioning satisfactorily. All that we can do at the Central Government is to see that they are activised and made to function. That is all we can do.

SHRI SURAJ BHAN: Such stations specially dealing with the complaints of the Scheduled Castes are at Patna. So, a villager will have to go to Patna to get the cases registered instead of his getting it registered at the nearest Police station.

SHRI R. VENKATARAMAN: If you have any suggestion for a particular State, I will certainly see to it.

SHRI SURAJ BHAN: I have already given to you.

SHRI RAM VILAS PASWAN: Have you got data on how many persons have been killed in the name of Naxalites and among them how many are Scheduled Castes? 90 per cent belong to the Scheduled Castes who have been killed in the name of the Naxalites. And that figure is not with you.

SHRI R. VENKATARAMAN: I cannot vouch for whether what you say is right or not. If you want that information you must ask for it specifically. And if you make an assertion as a Member of the House, I will respect you; I will not say anything against you. That is all right.

SHRI RAM VILAS PASWAN: Then you will say it is a State subject.

SHRI R. VENKATARAMAN: I come to a more important thing. There are certain things on which we have to give greater attenton. Number one is the enforcement of the Minimum Wages Act. It is in this where a large number of troubles arise Many of the so-called atrocities have their origin here, i.e. particularly where the Scheduled Castes people ask for their rights, and certainly insist on their rights. Hitherto, it has been somehow managed by the other classes. Now they have become aware of their rights. Therefor, when they begin to assert their rights about minimum wages, there is clash and this clash takes a communal colour, because the land-owners and others belong to a particular class or community. In fact, the position in Tirunelveli to which Dr. Subramaniam Swamy referred, is more or less like that. The land-owning class is different from the workers; and there has been a problem.

The first thing that the Government wants to do is to see that the Minimum Wages Act is enforced, and every protection is given to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes when they insist on their rights with regard to minimum wages. The second thing which we want to do is in respect of tenancy rights. In respect of tenancy rights also, a number of questions have arisen; and there, we want to give protection to the persons who are entitled, under the law, to protection. Here, specific instructions will have to be given to the District Collectors to see that those rights are ensured to the weaker sections, particularly to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

The third one arises where the Scheduled Castes are allotted lands which are surplus lands. And when they go to take possession of these lands, either the erstwhile owners, or others who are jealous, being to obstruct. That also causes tension, and leads to a certain amount of tension, particularly rioting

and all that. That has to be seriously monitored; and here also, Government wants to give every protection and see that Government stands by the people who are entitled to the rights, rather than the people who are obstructing them. These are the guidelines which the Government has given to State Governments to take in respect of each one of these items.

This is a social evil, as have already mentioned. Nobody wants to make political capital out of it. We shall all endeavour to see that this social evil is eradicated as soon as possible; and I welcome the cooperation of all parties. And wherever they find that there has been any violation of the rights of the weaker sections, particularly Scheduled Castes and Scheduled Tribes, they may bring it to our notice. Even now, when we see it in the newspapers or otherwise it has been brought to our notice—we ourselves send wireless messages or letlers to the various State Governments asking for information. We look into the newspaper reports; and we ourselves ask for this information. And if Members have any further information, certainly we will try to pursue it further, and take their fullest cooperation in this matter.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Mr. Suraj Bhan read out something about a Home Ministry report about foreign money being responsible.

SHRI R. VENKATARAMAN: I will look into it.

SHRI A. K. ROY (Dhanbad): What percentage of your letters are replied to by the State Governments.

SHRI R. VENKATARAMAN: I nave not calculated, but I should say that we are getting replies, but some of them are delayed.

SHRI A. K. ROY: In reply to all the questions, the Minister said that the State Governments had been asked, and replies were awaited.

SHRI R. VENKATARAMAN: There are a number of letters I have written to Mr. Paswan in which I have said that I have sent the points to the Bihar Government and that I am awaiting a reply.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: You have rightly pointed out that your problem also concerns land reforms. In this connection, since you are the Home Minister, I would invite your attention to what the West Bengal Legislative Assembly had sent to the Centre quite a long time ago, drastic land-reforms; and it is awaiting central approval, President's assent. It depends upon the Ministry of Home Affairs. President means that he has to act on the advice of the Council of Ministers. Why is it that this delay has taken place if you mean business, if you are really true to what you say? Why have you delayed giving assent to that Bill which the West Bengal Legislature has already passed requesting you to please obtain the assent of the President as soon as possible so that we can distribute more surplus land to the scheduled castes and tribes and landless people?

SHRI R. VENKATARAMAN: I have just taken this charge. Therefore, you wait till I get into my shoes properly. I will look into it.

SHRI RAM VILAS PASWAN: Two suggestions are there. One is regarding constituting a separate Ministry for the welfare of SC &ST; another is for providing free arms to them.

SHRI R. VENKATARAMAN: So far as the separate Ministry is concerned, it is in the discretion of the Prime Minister and unless she finds that it is absolutely necessary to have a separate Ministry for this, well, nobody can give an answer about it. The second thing is about the arms. Somebody said that I have said that no arm should be given. I have not said anything like that. All I have said in our Consultative Committee meeting is that there was liberal issue of arms

[Shri R. Venkataraman]

to certain States particularly to various people in some States—I mentioned one or two—in those States, there have been various offences; it is in those States that there have been so many riots and all that; there the number is larger. Then I said, under the Arms Act, the issue of licences is regulated by the District Magistrate being satisfied that there is a need for a person possessing fire arms; and he has to exercise his discretion and give them. In cases where he finds that it is necessary to give them, he will give them; and a liberal issue of these licences for arms has really resulted in a larger number of crimes being committed in that area. That is the position. But if the circumstances warrant, certainly there is no distinction in law between SC & ST and any other person; where the circumstances warrant, they are entitled to get them.

SHRI A. K. ROY: There are two points. One is issue of arms to the Harijans Another is liberal confiscation of arms from the landlords.

SHRI R. VENKATARAMAN: Yes, we have also done liberal confiscation of arms. In the Budh Gaya matter, we have seized a number of arms.

SHRI SURAJ BHAN: What about the fine in the villages where these atrocities are committed?

SHRI R. VENKATARAMAN: We have also suggested punitive action. We cannot levy it. It is the State Government to do it.

SHRI RAM VILAS PASWAN: You cannot order them, but you can give direction to the State Governments.

SHRI R. VENKATARAMAN: Thank you very much.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stand adjourned to re-assemble tomorrow at 11 A.M.

20.24 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, July 9, 1982/Asadha 18, 1904 (Saka).